SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

हरियाणा सरकार

2026 की प्रतिवेदन संख्या 5

(अनुपालन लेखापरीक्षा - राजस्व)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

हरियाणा सरकार

2026 की प्रतिवेदन संख्या 5

(अनुपालन लेखापरीक्षा - राजस्व)

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-x
अध्याय-1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1-7
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	7-8
कर-निर्धारणों में बकाया	1.3	8-9
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	9
रिफंड मामले	1.5	10
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.6	10
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.7	10-13
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.8	13
लेखापरीक्षा योजना	1.9	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	14
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.11	14
अध्याय-2		
राज्य आबकारी		
कर प्रबंधन	2.1 (क)	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1 (ख)	15
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबंधन	2.2 (क)	16
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2 (ख)	16-17
वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.3	17-43
अंतिम स्टॉक पर कर का अनुद्ग्रहण	2.4	44-45
कर की कम दर लागू करने/कर उद्ग्रहित न करने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.5	45
अवैध 'सी' फार्मों के विरूद्ध कर की रियायती दर की अनुमति के कारण कर के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप डीलरों को अनुचित लाभ	2.6	46-47
अस्वीकार्य/अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ	2.7	47-48
अयोग्य डीलरों को जारी किए गए फॉर्म वैट-डी1 के विरूद्ध बिक्री की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.8	48-49
ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	2.9	49-50

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-3		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंधन	3.1	51
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	51-52
अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	3.3	52-53
सहयोग करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	3.4	53-54
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण और बंधक विलेख का गलत वर्गीकरण	3.5	54-55
गैर-वास्तविक डिक्रियों को वास्तविक मानते हुए स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	3.6	56-57
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट	3.7	57
कृषि भूमि के विनिमय पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	3.8	58
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	3.9	59
प्राइम खसरा भूमि पर नॉन-प्राइम दर लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	3.10	60
विक्रय विलेखों को हस्तांतरण विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	3.11	61-62
बिक्री करार के संदर्भ में अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	3.12	62
पट्टा विलेखों पर वार्षिक औसत किराए की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	3.13	63
मुआवजे की राशि से खरीदी गई अचल संपत्तियों के मामले में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट	3.14	64
अध्याय-4		
वाहनों पर कर		
कर प्रबंधन	4.1	65
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	65-66
सरकारी प्राप्तियों का संदिग्ध दुर्विनियोग	4.3	66-68
मालवाहक वाहनों के मालिकों से मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली	4.4	68-69
मैक्सी/मोटर कैब मालिकों से मोटर वाहन कर की अवसूली	4.5	69-71

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	31 मार्च 2025 तक राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.7.5	73
1.2	31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों का विभागवार विवरण	1.7.5	74
1.3	आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	75
1.4	आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) के स्वीकृत मामलों की वसूली	1.8.2	76
2.1	विस्तृत लेखापरीक्षा करदाताओं की सूची	2.3.5	77
2.2	अभिलेख प्रस्तुत न करने के कुल मामले	2.3.7.1	78-79
2.3	कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर छूट/रियायती दरों का गलत लाभ उठाना	2.3.7.2 (क)	80
2.4	प्राप्त अग्रिम पर भुगतान न की गई कर देयता	2.3.7.2 (ख) (i)	81-82
2.5	करयोग्य टर्नओवर को छिपाने के कारण भुगतान न की गई कर देयता	2.3.7.2 (ख) (ii)	83
2.6	अचल परिसंपत्तियों पर भुगतान न की गई कर देयता	2.3.7.2 (ख) (iii)	84
2.7	आर.सी.एम. के तहत कानूनी और पेशेवर प्रभारों/रॉयल्टी/माल ढुलाई प्रभारों पर कर का भुगतान न करना/कम भुगतान करना	2.3.7.2 (ग)	85
2.8	आई.टी.सी. का रिवर्सल न करना/कम रिवर्सल करना	2.3.7.3 (क)	86
2.9	पंजीकरण प्रमाण पत्र में नए एस.ए.सी. कोड की घोषणा न करना	2.3.8.1	87
2.10	ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान	2.3.8.2	88-90
2.11	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना	2.3.8.3	91
2.12	जी.एस.टी.आर.-9 कॉलम-8डी में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना	2.3.8.3	92-93
2.13	जी.एस.टी.आर.-9 कॉलम-6जे में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना	2.3.8.3	94-96
2.14	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 (कॉलम 8ए) में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना	2.3.8.3	97-98

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.15	रिटर्न (जी.एस.टी.आर.-1/जी.एस.टी.आर.-3बी/ जी.एस.टी.आर.-9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा	2.3.8.3	99-100
2.16	आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान	2.3.8.3	101
2.17	संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा मामलों की सूची	2.3.9.1	102
2.18	अभिलेख की संवीक्षा	2.3.9.1 (i)	103
2.19	कार्यात्मक लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का चयन	2.3.9.1 (i)	104
2.20	करयोग्य टर्नओवर के छिपाव के कारण कर का कम उद्ग्रहण	2.3.9.1 (ii) (क)	105
2.21	प्राप्त अग्रिमों पर कर का अनुद्ग्रहण	2.3.9.1 (ii) (ख)	106
2.22	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर/7जी में असमायोजित टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर	2.3.9.1 (ii) (ग)	107
2.23	डी.आर.सी. 01 और डी.आर.सी. 05 के मध्य अंतर	2.3.9.1 (ii) (घ)	108
2.24	ब्याज का कम उद्ग्रहण	2.3.9.1 (ii) (ङ)	109
2.25	अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया	2.3.9.1 (ii) (च)	110
2.26	रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की गई	2.3.9.2	111
2.27	रिफंड दावों के प्रसंस्करण और भुगतान में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र	2.3.9.3	112
2.28	अभिलेखों का रखरखाव	2.3.9.4	113

प्राक्कथन

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व सेक्टर के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2023-24 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2023-24 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक है, शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 509.22 करोड़ की राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज, स्टाम्प शुल्क के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, मोटर वाहन कर के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण आदि से संबंधित 21 लेखापरीक्षा अनुच्छेद, वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) शामिल है।

अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 49.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 69.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.59 प्रतिशत की कमी हुई और विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के हिस्से में 73.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 80,614.12 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 79.57 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियों का शेष 20.43 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, उत्पाद शुल्क और परिवहन से संबंधित 143 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2023-24 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 7,144 मामलों में कुल ₹ 998.85 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,769 प्रकरणों में शामिल ₹ 814.62 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2023-24 के दौरान 41 मामलों में ₹ 0.24 करोड़ वसूल किए, जिनमें से ₹ 0.20 करोड़ की राशि के 41 मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

अध्याय-2

राज्य आबकारी/बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में छूट और रियायती दरों का गलत लाभ उठाने, अग्रिमों एवं अचल परिसंपत्तियों पर कर का भुगतान न करने तथा ब्याज के कम भुगतान के मामले पाए गए, जिससे संचयी रूप से ₹ 389.07 करोड़ की अनुपालन अनियमितताओं का पता चला। इसके अतिरिक्त, 30 करदाताओं में से 18 मामलों के विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके

कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 37.69 करोड़ की अनियमितता/विसंगति और भुगतान न की गई कर देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा में अनुचित संवीक्षा के मामले भी देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यात्मक लेखापरीक्षा में कर का कम भुगतान, टर्नओवर का छिपाव, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान न होना और ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ, जिनकी कुल राशि ₹ 4.83 करोड़ है।

सिफारिशें

सरकार, लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के विस्तृत अभिलेख प्राप्त करने और उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं के संबंध में, सभी संबंधित कर अधिकारियों द्वारा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो, विभाग रिटर्न और लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता की जांच करे तथा रिटर्न में पाई गई विसंगतियों या अनियमितताओं पर उचित कार्रवाई शुरू करे।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अंतिम स्टॉक के संदर्भ में पांच डीलरों की बिक्रियों के विवरणों का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.67 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय वस्तुओं की बिक्री पर लागू कर की दर से कम दर लागू की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त, ₹ 2.47 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.93 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप पेनल्टी सहित ₹ 2.32 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अयोग्य डीलरों को जारी किए गए वैट-डी1 के आधार पर तीन डीलरों को रियायती बिक्री की अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.16 करोड़ की राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.8)

अध्याय-3

स्टाम्प शुल्क

कृषि भूमि की दरों के आधार पर 266 विलेखों में ₹ 49.60 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की गई थी, हालांकि, भू-अभिलेखों (जमाबंदी) से पता चला कि वे आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्लॉट/भूमि थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.08 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

59 मामलों में सहयोग करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 30.65 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.4)

53 दस्तावेजों में, बंधक विलेख पंजीकृत किए गए थे, जिनमें स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस या तो कम प्रभारित की गई थी या बिल्कुल भी प्रभारित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.43 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, 10 दस्तावेजों के मामले में, साधारण बंधक दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 50.27 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। इस प्रकार, ₹ 9.93 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

24 समझौता डिक्रियां, जो वास्तविक नहीं थी, नाममात्र स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस प्रभारित करके पंजीकृत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट हुई।

(अनुच्छेद 3.6)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने भूमि विनिमय के 32 विलेखों को पंजीकृत करते समय ₹ 16.10 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की, हालांकि, इन पर ₹ 1.92 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी क्योंकि भूमि का विनिमय अलग-अलग राजस्व संपदाओं या आवासीय भूमि के अंतर्गत आता था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.8)

खून के रिश्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण विलेखों के 21 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 99.55 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.9)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि हेतु नियत सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.54 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.10)

अध्याय-4

वाहनों पर कर

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकुला में नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ के सरकारी धन का संदिग्ध दुर्विनियोग हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

अध्याय 1

सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों में राज्य के हिस्से का संक्षिप्त विवरण तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े **तालिका 1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24[1]
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	कर राजस्व	42,824.95	41,913.80	53,377.16	62,960.80	72,511.12
	कर-भिन्न राजस्व	7,399.74	6,961.49	7,394.13	8,742.63	8,103.00
	योग	**50,224.69**	**48,875.29**	**60,771.29**	**71,703.43**	**80,614.12**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	7,111.53	6,437.59	9,722.16	10,378.00	12,345.35[2]
	सहायता अनुदान	10,521.91	12,248.13	7,598.24	7,113.26	8,355.37[3]
	योग	**17,633.44**	**18,685.72**	**17,320.40**	**17,491.26**	**20,700.72**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**67,858.13**	**67,561.01**	**78,091.69**	**89,194.69**	**1,01,314.84**
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**74.01**	**72.34**	**77.82**	**80.39**	**79.57**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

[1] राज्य सरकार के वित्त लेखे।

[2] इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,746.67 करोड़ की राशि शामिल हैं।

[3] इसमें भारत सरकार की ओर से राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान के रूप में ₹ 3,613.48 करोड़ की राशि शामिल है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति (₹ 3,504.88 करोड़) भी शामिल है।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.1: कुल राजस्व प्राप्तियां

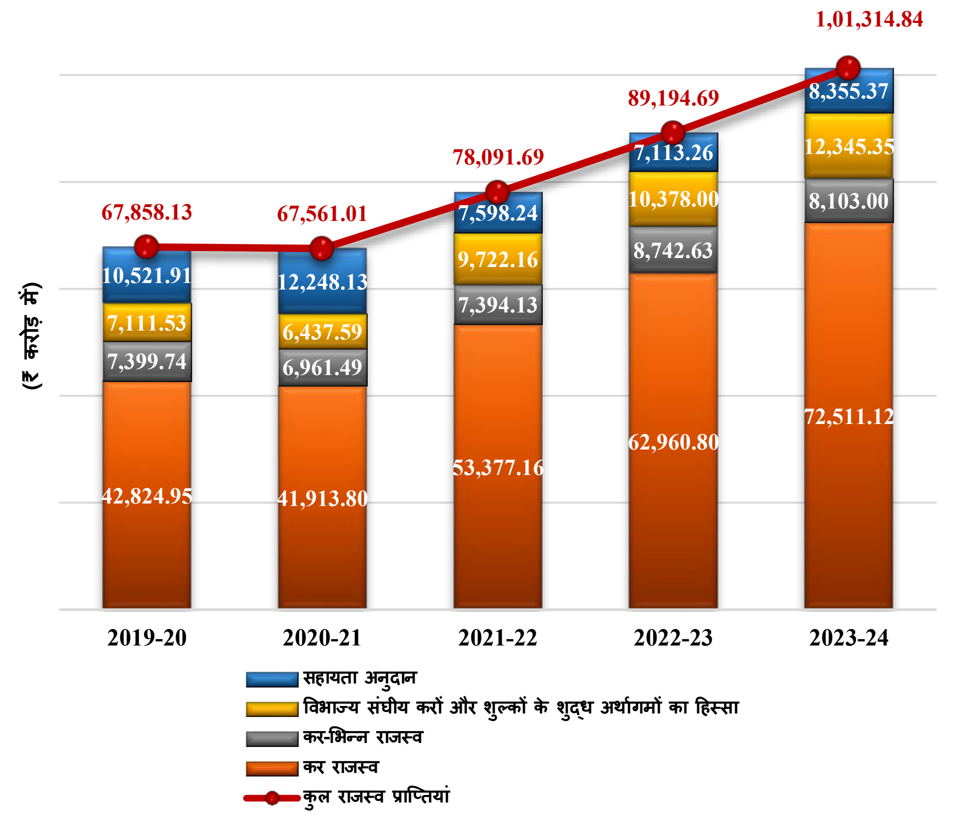

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 49.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 69.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.59 प्रतिशत की कमी हुई और विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के हिस्से में 73.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 80,614.12 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 79.57 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियों का शेष 20.43 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2019-20 से 2023-24 के दौरान 72.34 प्रतिशत तथा 80.39 प्रतिशत के मध्य थी।

1.1.2 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.2** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23 के वास्तविकों पर 2023-24 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	8,397.81 (19.61)	8,660.16 (20.66)	11,220.71 (21.02)	11,262.05 (17.89)	11,330.56 (15.63)	0.61
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	18,872.95 (44.07)	18,235.79 (43.50)	22,922.15 (42.94)	28,576.56 (45.39)	33,960.03 (46.83)	18.84
3.	राज्य आबकारी	6,322.70 (14.76)	6,864.42 (16.38)	7,933.42 (14.86)	9,673.37 (15.36)	11,326.48 (15.62)	17.09
4.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	6,013.30 (14.04)	5,157.02 (12.30)	7,598.38 (14.24)	8,607.13 (13.67)	10,529.29 (14.52)	22.33
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	15.85 (0.04)	3.74 (0.01)	5.94 (0.01)	2.76 (0.00)	6.71 (0.01)	143.12
6.	वाहनों पर कर	2,915.76 (6.81)	2,495.08 (5.95)	3,264.61 (6.12)	4,231.20 (6.72)	4,903.64 (6.76)	15.89
7.	बिजली पर कर एवं शुल्क	262.01 (0.61)	476.07 (1.14)	404.36 (0.76)	578.00 (0.92)	424.47 (0.59)	(-) 26.56
8.	भू-राजस्व	20.68 (0.05)	16.60 (0.04)	21.29 (0.04)	22.43 (0.04)	22.41 (0.03)	(-) 0.09
9.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	3.89 (0.01)	4.92 (0.02)	6.30 (0.01)	7.30 (0.01)	7.53 (0.01)	3.15
	योग	**42,824.95**	**41,913.80**	**53,377.16**	**62,960.80**	**72,511.12**	**15.17**
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	**0.57**	**(-) 2.13**	**27.35**	**17.95**	**15.17**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति **चार्ट 1.2** में उल्लिखित है।

चार्ट 1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

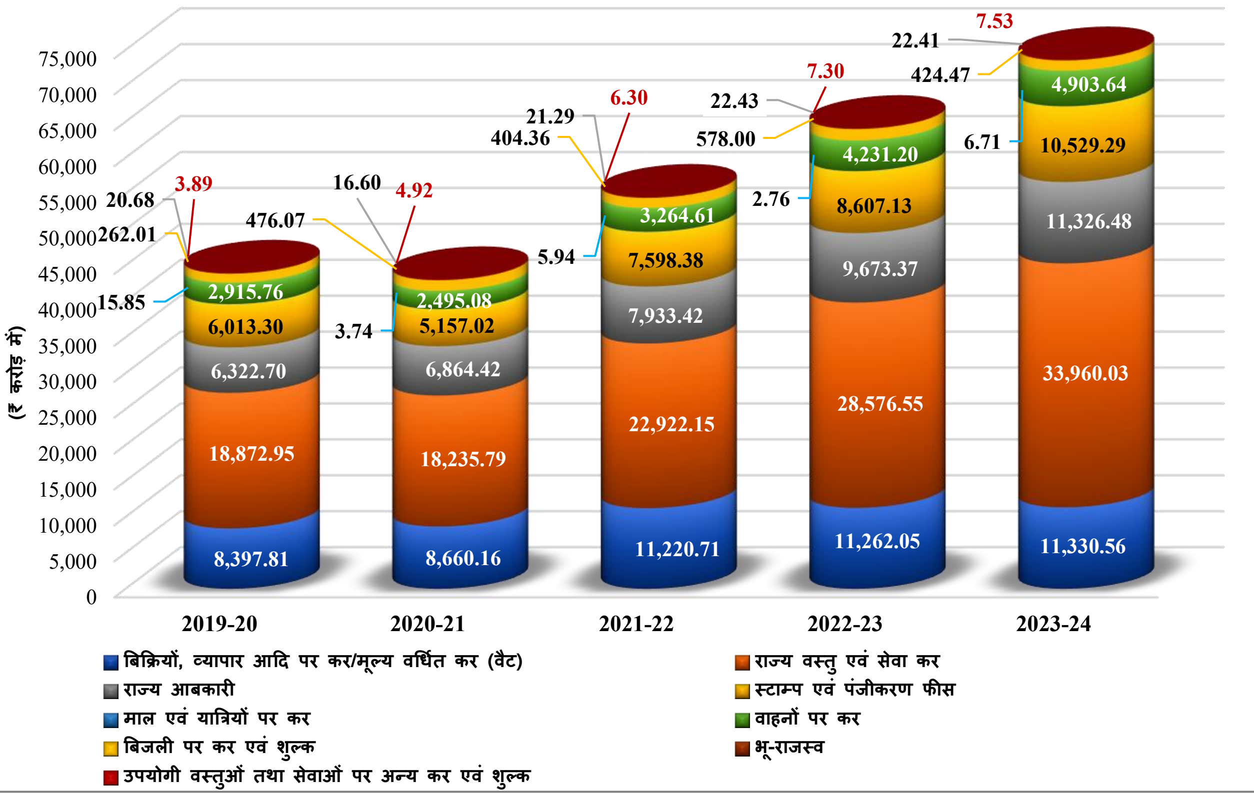

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कर राजस्व में ₹ 29,686.17 करोड़ (69.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें इस अवधि के लिए औसत वृद्धि दर 11.78 प्रतिशत रही।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किएः

- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट):** बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) बकाया राशि (पुराने और वर्तमान दोनों) की वसूली में मामूली बढ़ोतरी, पेट्रोल और डीजल पर वैट के संग्रह और शराब पर सीएसटी में वृद्धि के कारण 2022-23 में ₹ 11,262.05 करोड़ की तुलना में 2023-24 में बढ़कर ₹ 11,330.56 करोड़ हो गया।

- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** 2022-23 के ₹ 28,576.56 करोड़ की तुलना में 2023-24 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति बढ़कर ₹ 33,960.03 करोड़ हो गई। यह वृद्धि 2023-24 में करदाता आधार में महत्वपूर्ण वृद्धि (4.85 लाख से बढ़कर 5.11 लाख पंजीकृत करदाता) के कारण हुई, जिससे राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

- **राज्य आबकारी:** लाइसेंस फीस में वृद्धि के कारण राज्य आबकारी की प्राप्ति 2022-23 में ₹ 9,673.37 करोड़ की तुलना में 2023-24 में बढ़कर ₹ 11,326.48 करोड़ हो गई।

- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस:** अचल संपत्ति के दस्तावेजों के अधिक पंजीकरण (2022-23 में 7,40,810 से 2023-24 में 7,44,856) के कारण स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस की प्राप्ति 2022-23 में ₹ 8,607.13 करोड़ की तुलना में 2023-24 में बढ़कर ₹ 10,529.29 करोड़ हो गई।

- **वाहनों पर कर:** नए वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण 2022-23 के ₹ 4,231.20 करोड़ की तुलना में 2023-24 में वाहनों पर कर की प्राप्ति बढ़कर ₹ 4,903.64 करोड़ हो गई।

- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की कम वसूली के कारण बिजली पर कर एवं शुल्क की प्राप्ति 2022-23 में ₹ 578.00 करोड़ की तुलना में 2023-24 में घटकर ₹ 424.47 करोड़ हो गई।

1.1.3 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में इंगित किए गए हैं।

तालिका 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23 के वास्तविकों पर 2023-24 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,974.86 (26.69)	1,561.74 (22.43)	1,378.23 (18.64)	1,464.09 (16.75)	1,645.20 (20.30)	12.37
2.	सड़क परिवहन	1,114.51 (15.06)	585.38 (8.41)	1,077.44 (14.57)	1,333.43 (15.25)	1,368.50 (16.89)	2.63
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	457.94 (6.19)	595.47 (8.55)	220.11 (2.98)	677.73 (7.75)	366.52 (4.52)	(-) 45.92
4.	शहरी विकास	1,855.51 (25.08)	1,953.92 (28.06)	1,240.74 (16.78)	1,284.24 (14.69)	1,559.63 (19.25)	21.44
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	702.25 (9.49)	1,020.95 (14.67)	837.77 (11.33)	834.41 (9.54)	810.77 (10.01)	(-) 2.83
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	171.74 (2.32)	209.67 (3.01)	232.10 (3.14)	360.11 (4.12)	618.33 (7.63)	71.71
7.	पुलिस	179.84 (2.43)	53.51 (0.77)	87.39 (1.18)	90.25 (1.03)	159.05 (1.96)	76.23
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	107.89 (1.46)	65.62 (0.94)	87.83 (1.19)	155.02 (1.77)	167.69 (2.07)	8.17
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	23.07 (0.31)	19.97 (0.29)	16.73 (0.23)	21.27 (0.24)	23.03 (0.28)	8.27
10.	विविध सामान्य सेवाएं[4]	62.96 (0.85)	131.69 (1.89)	283.99 (3.84)	102.75 (1.18)	189.05 (2.33)	83.99
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	171.89 (2.32)	197.19 (2.83)	221.87 (3.00)	472.53 (5.40)	301.21 (3.72)	(-) 36.26
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	577.28 (7.80)	566.38 (8.14)	1,709.93 (23.13)	1,946.80 (22.27)	894.02[5] (11.04)	(-) 54.08
	योग	**7,399.74**	**6,961.49**	**7,394.13**	**8,742.63**	**8,103.00**	**(-) 7.32**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

[4] अस्वामिक जमा, राज्य लॉटरी, भूमि तथा संपत्ति की बिक्री और गारंटी फीस।

[5] लाभांश एवं लाभ ₹ 289.79 करोड़, लोक सेवा आयोग ₹ 20.15 करोड़, जेल ₹ 4.06 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान ₹ 0.43 करोड़, स्टेशनरी एवं मुद्रण ₹ 0.55 करोड़, लोक निर्माण ₹ 56.67 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली ₹ 68.16 करोड़, परिवार कल्याण ₹ 0.02 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता ₹ 48.69 करोड़, आवास ₹ 10.02 करोड़, सूचना एवं प्रकाशन ₹ 0.29 करोड़, श्रम एवं रोजगार ₹ 43.87 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण ₹ 162.36 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं ₹ 0.30 करोड़, फसल पालन ₹ 43.04 करोड़, पशुपालन ₹ 2.33 करोड़, डेयरी विकास ₹ 0.01 करोड़, मछली पालन ₹ 3.45 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण ₹ 0.23 करोड़, सहकारिता ₹ 8.65 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम ₹ 1.73 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ₹ 2.96 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग ₹ 4.22 करोड़, उद्योग ₹ 0.18 करोड़, नागरिक विमानन ₹ 1.63 करोड़, सड़क एवं पुल ₹ 65.01 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान ₹ 0.01 करोड़, पर्यटन ₹ 0.96 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं ₹ 54.25 करोड़।

चार्ट 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

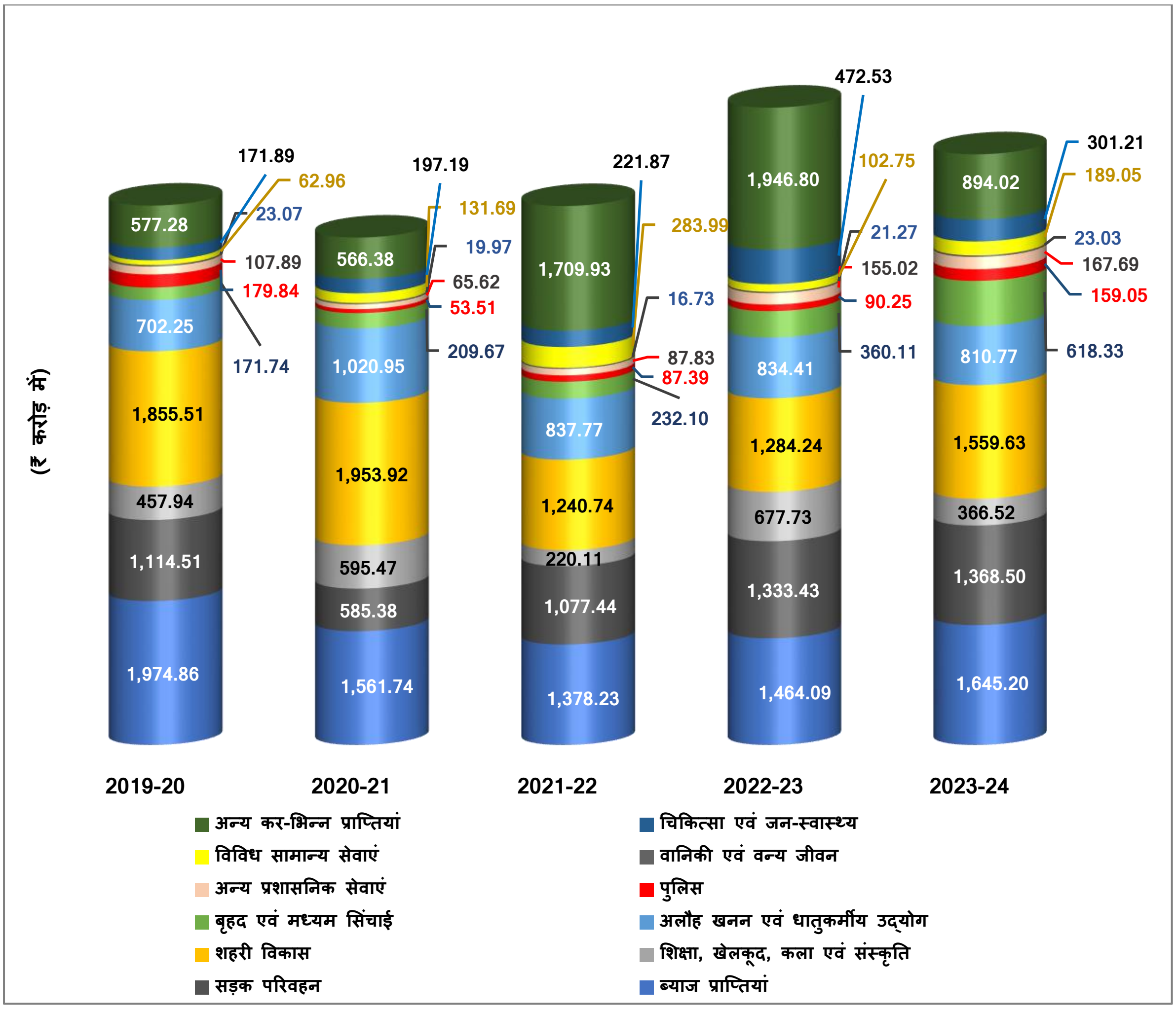

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा आठ प्रतिशत रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 639.63 करोड़ (7.32 प्रतिशत) की कमी दर्ज की गई। यह कमी मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य (41.94 प्रतिशत) की प्राप्तियों में आई गिरावट के कारण हुई। इसके विपरीत, पिछले वर्ष की तुलना में पुलिस (76.23 प्रतिशत), शहरी विकास (21.44 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियों (12.37 प्रतिशत) और बृहद् एवं मध्यम सिंचाई (71.71 प्रतिशत) के तहत कर-भिन्न प्राप्तियों में वृद्धि हुई। ब्याज प्राप्ति, शहरी विकास के तहत प्राप्तियां और सड़क परिवहन कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और कुल कर-भिन्न राजस्व में 56.43 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **शहरी विकास:** 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (21.44 प्रतिशत) इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए सी.एल.यू./लाइसेंस मामलों की अधिक संख्या के कारण थी।

- **बृहद् एवं मध्यम सिंचाई:** पिछले वर्ष के बकाया की वसूली और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की शेष राशि के कारण 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (71.71 प्रतिशत) हुई।
- **पुलिस:** अन्य राज्य सरकारों को पुलिस सेवाएं प्रदान करने के कारण 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (76.23 प्रतिशत) हुई।
- **चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य:** लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण के लिए आवेदनों की संख्या में कमी के कारण 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (36.26 प्रतिशत) हुई।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2024 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 34,548.64 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 14,231.35 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि **तालिका 1.4** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2024 को बकाया राशि	31 मार्च 2024 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,437.24	12,581.07	माननीय उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,033.19 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी और सरकार द्वारा ₹ 65.14 करोड़ की वसूली रोकी गई थी। ₹ 38.38 करोड़ की वसूली डीलरों के दिवालिया होने के कारण और ₹ 1,429.93 करोड़ की वसूली सुधार/समीक्षा/आवेदन के कारण लंबित थी। ₹ 112.02 करोड़ की वसूली को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना थी। न्यायालय में मामले लंबित होने के कारण ₹ 3,580.87 करोड़ के बकाया की वसूली लंबित थी, अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किए जाने के कारण ₹ 1,734.07 करोड़ लंबित थे, और ₹ 18,904.51 करोड़ की वसूली कार्रवाई के विभिन्न चरणों[6] में थी। अंतर-राज्यीय बकाया ₹ 390.17 करोड़ और अंतर-जिला बकाया ₹ 112.95 करोड़ था। ₹ 0.10 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। शेष ₹ 3,035.91 करोड़ की राशि सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लंबित मामलों के कारण बकाया थी।
2	राज्य आबकारी	663.85	267.19	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 30.10 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 0.67 करोड़ की वसूली बट्टे खाते डाली जानी संभावित थी। न्यायालय के मामलों के कारण ₹ 46.98 करोड़ के बकाया की वसूली लंबित थी, अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किए जाने के कारण ₹ 70.92 करोड़ लंबित थे, और ₹ 369.96 करोड़ की वसूली कार्रवाई के विभिन्न चरणों में थी। अंतर-राज्यीय बकाया ₹ 36.95 करोड़ और अंतर-जिला बकाया ₹ 108.27 करोड़ था।
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	446.93	181.00	अंतर-राज्यीय बकाया के कारण ₹446.93 करोड़ की राशि लंबित थी।

[6] विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2024 को बकाया राशि	31 मार्च 2024 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
4	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	203.38	203.24	₹ 177.93 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, सरकारी परिसमापक/ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ. आर.) के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 0.05 करोड़ की वसूली लंबित थी। ₹ 0.05 करोड़ न्यायालय में लंबित मुकदमों के कारण लंबित थे, ₹ 4.98 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे तथा ₹ 20.37 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
5	पुलिस	140.88	40.89	₹ 7.37 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम लिमिटेड से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.30 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 33.22 करोड़ कानून व्यवस्था हेतु तथा चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.11	11.11	₹ 8.52 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.01 करोड़ की वसूली बट्टे खाते डाली जानी संभावित थी तथा न्यायालय में लंबित मामलों के कारण ₹ 0.21 करोड़ लंबित थे तथा ₹ 0.04 करोड़ की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी। सरकारी परिसमापक/ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास ₹ 2.33 करोड़ की राशि लंबित थी।
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2,645.25	946.85	₹ 513.79 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों[7] द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थी, ₹ 516.17 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.26 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा माननीय न्यायालय में लंबित मामलों के कारण ₹ 3.03 करोड़ लंबित थे, अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किये जाने के कारण ₹ 1,372.51 करोड़ लंबित थे। अंतरराज्यीय बकाया ₹ 0.49 करोड़ और अंतरजिला बकाया ₹ 220.91 करोड़ थे। कार्रवाई के अन्य चरणों में ₹ 18.09 करोड़ की शेष राशि बकाया थी।
	योग	**34,548.64**	**14,231.35**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

उपर्युक्त **तालिका 1.4** से यह देखा जा सकता है कि पांच वर्षों से अधिक पुराने राजस्व के कुल बकाया का 88.19 प्रतिशत हिस्सा बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट से संबंधित था। गुरुग्राम (पश्चिम), पानीपत, गुरुग्राम (पूर्व) और गुरुग्राम (उत्तर) जिलों में पांच वर्षों से अधिक पुराने राजस्व का जिलावार बकाया क्रमशः 8.43 प्रतिशत, 12.44 प्रतिशत, 14.71 प्रतिशत और 16.06 प्रतिशत था। विभागों/सरकार को राजस्व के लंबित बकाये की वसूली के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण

[7] इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, अथवा किसी टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की शर्तों के तहत सरकार को देय कोई भी किराया, रॉयल्टी, कर, फीस या अन्य राशि, राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, उसी तरह वसूल की जा सकती है जैसे भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है।

जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में प्रस्तुत किए गए, **तालिका 1.5** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.5: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89
	2020-21	35,570	3,606	39,176	34,140	5,036	87
	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33
	2022-23	6,180	4,473	10,653	3,576	7,077	34
	2023-24	7,077	3,884	10,961	3,588	7,373	33

स्रोतः राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित मामलों की संख्या घटकर 7,373 रह गई, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 35,570 थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि मामलों के निपटान का प्रतिशत 2019-20 में 89 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2023-24 में 33 प्रतिशत रह गया। **मामलों के निपटान और लंबित रहने का जिलावार प्रतिशत अनुलग्नक I से V में दिया गया है।**

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के प्रावधानों के अनुसार, विभाग को कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, विभाग नए करदाता की पहचान करने के लिए व्यावसायिक परिसरों में सर्वेक्षण भी करता है। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अंतिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2023 को लंबित मामले	2023-24 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2024 को अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	0	1	1	0.003	0
2	राज्य आबकारी	37	141	178	143	6.24	35
	योग	**38**	**141**	**179**	**144**	**6.24**	**35**

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई सूचना

31 मार्च 2024 तक, 35 मामले निर्धारण/जांच के लिए लंबित हैं, 144 मामलों का निपटान कर दिया गया है, और इन मामलों में विभाग द्वारा ₹ 6.24 करोड़ की मांग की गई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2023-24 के आरम्भ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत/अस्वीकृत रिफंड तथा वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित मामलों की संख्या **तालिका 1.7** में वर्णित हैं।

तालिका 1.7: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	217	187.08	37	3.42
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	211	64.82	79	13.54
3	वर्ष के दौरान किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	333	88.09	83	14.67
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	95	163.81	33	2.29

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई सूचना

बिक्री कर/वैट और राज्य आबकारी के संबंध में वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष के अंत में बकाया मामलों की संख्या में कमी आई है। फरवरी 2026 तक विभाग से वस्तु एवं सेवा कर रिफंड मामलों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु नियोजित किए गए 165 यूनिटों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान (राज्य आबकारी) के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 161 यूनिटों की लेखापरीक्षा की जैसा कि **तालिका 1.8** में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.8: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	143	143
राज्य आबकारी	22	18
योग	**165**	**161**

आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियोजित/आयोजित नहीं की गई थी और विभाग द्वारा इसका कारण भी नहीं बताया गया। मोटर वाहनों पर कर के मामले में, आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई नहीं गई/आयोजित नहीं की गई, जिसका कारण कथित तौर पर कर्मचारियों की कमी बताया गया। उल्लेखनीय है कि अध्याय 2 से 4 में चर्चा की गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र का संकेत हैं।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) तैयार किए जाते हैं, जो संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने

के लिए जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रबंधन-पत्र के रूप में सूचित की जाती हैं।

जून 2024 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जून 2024 के अंत में 3,265 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 11,807 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ **तालिका 1.9** में वर्णित है।

तालिका 1.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2022	जून 2023	जून 2024
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,053	3,140	3,265
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	9,950	10,384	11,807

1.7.1 विभाग-वार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन

जून 2024 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विभाग-वार विवरण नीचे **तालिका 1.10** में वर्णित हैं।

तालिका 1.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या
1	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री कर/वैट	452	4,692
		राज्य आबकारी	269	653
		माल एवं यात्रियों पर कर	247	433
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	49	65
2	**राजस्व**	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,487	4,513
		भू-राजस्व	173	311
3	**परिवहन**	वाहनों पर कर	469	910
4	**विद्युत**	बिजली पर कर एवं शुल्क	12	27
5	**खदान एवं भू-विज्ञान**	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	107	203
योग			**3,265**	**11,807**

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अभ्युक्तियों के समाधान के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। सरकार को विभागों को जवाबदेह ठहराने और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों और निपटाए गए अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.11** में वर्णित है।

तालिका 1.11: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ करोड़ में)
1	आर.टी.ए./आर.एल.ए., परिवहन विभाग	6	33	0.63

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2023-24 के दौरान, 145 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण **तालिका 1.12** में उल्लिखित है।

तालिका 1.12: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) तथा परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या
कर-निर्धारण मामले		
गुरुग्राम (उत्तर)	2023-24	**130**
परिवहन आयुक्त, हरियाणा	2023-24	**5**
आर.टी.ए. पंचकुला	2023-24	**10**
योग		**145**

कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजें।

जनवरी और दिसंबर 2025 के मध्य कुल 26 प्रारूप अनुच्छेद (एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) संबंधित विभागों के प्रशासनिक अपर मुख्य सचिवों के पास भेजे गए थे। इन मामलों में सरकार की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, संबंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में सही स्थान पर उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में पुनः दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर सरकार द्वारा लोक लेखा समिति के विचार हेतु इस पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करनी चाहिए।

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-II पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और वित्त विभाग में "एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली" पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित कुल 18 अनुच्छेद शामिल हैं, को 10 मार्च 2025 को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा गया था, जिसके लिए कृत कार्रवाई टिप्पणियां अभी प्रतीक्षित हैं।

लोक लेखा समिति की 22वीं से 90वीं रिपोर्ट में निहित वर्ष 1979-80 से 2020-21 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 1,004 सिफारिशें, जैसा कि परिशिष्ट 1.1 और 1.2 में विस्तृत विवरण दिया गया है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का उत्तर देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में राज्य आबकारी के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2024 को उनकी स्थिति परिशिष्ट 1.3 में उल्लिखित है।

31 मार्च 2024 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2014-15 में 116 से बढ़कर 2023-24 में 260 हो गई और अनुच्छेदों की संख्या 2014-15 में 201 से बढ़कर 2023-24 में 537 हो गई। इस अवधि के दौरान, परिवहन विभाग के आरटीए/आरएलए के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की छः बैठकें (ए.सी.एम.) आयोजित की गई और ₹ 0.63 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के 33 अनुच्छेदों का निपटान किया गया।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति परिशिष्ट 1.4 में दी गई है।

गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति कम (26.20 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

लेखापरीक्षा के दायरे (राजस्व सेक्टर) में राज्य की 392 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से 2023-24 के दौरान 161 इकाइयों[8] की योजना बनाई गई थी और उनकी लेखापरीक्षा की गई थी। इन इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

[8] हरियाणा रोडवेज से संबंधित 18 इकाइयां।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, उत्पाद शुल्क और परिवहन से संबंधित 143 (141 राजस्व + 2 व्यय) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2023-24 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 7,144 मामलों में कुल ₹ 998.85 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,769 प्रकरणों में शामिल ₹ 814.62 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2023-24 के दौरान 41 मामलों में ₹ 0.24 करोड़ वसूल किए, जिनमें से ₹ 0.20 करोड़ की राशि के 41 मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 509.22 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 22 प्रारूप अनुच्छेद (एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 509.22 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 0.56 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 4 में चर्चा की गई है।

अध्याय 2

राज्य आबकारी/बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

अध्याय-2

राज्य आबकारी/बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

राज्य आबकारी

2.1 (क) कर प्रबंधन

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मुख्यालय पर क्लेक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबंधन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

2.1 (ख) लेखापरीक्षा के परिणाम

2023-24 में, 2023-24 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 105 इकाइयों में से 19 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,761 मामलों में ₹ 203.17 करोड़ से संबंधित आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई, जो **तालिका 2.1** में दर्शाई गई श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
1.	परमिट की मात्रा से कम पास जारी करने के कारण हानि	25	81.19
2.	कम उठान/ब्याज/लाइसेंस फीस/पेनल्टी आदि के कारण बकाया की वसूली न होना	279	54.37
3.	नीति वर्ष के अंत में स्टॉक का अद्यतन न करने के कारण हानि	62	47.96
4.	विविध/अन्य अनियमितताएं	1,395	19.65
	योग	**1,761**	**203.17**

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 490 मामलों में आवेष्टित ₹ 44.70 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभाग ने वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित एक मामले में ₹ 1.00 लाख वसूल किए।

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.2 (क) कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. एक्ट)[1] तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रमुख हैं, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.2 (ख) लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2023-24 में, वैट/बिक्री कर निर्धारण से संबंधित 46 इकाइयों में से 16 इकाइयों (14 राजस्व और दो व्यय) के अभिलेखों की नमूना-जांच में 194 मामलों में ₹ 466.99 करोड़ से संबंधित अवनिर्धारण/कर के अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई जो **तालिका 2.2** में दर्शाई गई निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
1.	"वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.)	1	393.90
2.	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनियमित/गलत/ अधिक अनुमति	77	29.30
3.	कर का अवनिर्धारण	43	14.80
4.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	16	13.87
5.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	19	1.82
6.	अन्य अनियमितताएं	36	13.30
	योग (I)	**192**	**466.99**
व्यय			
1.	अन्य अनियमितताएं	2	0.00
	योग (II)	**2**	**0.00**
	कुल योग (I+II)	**194**	**466.99**

[1] यद्यपि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, फिर भी वर्ष 2017-18 के अंत में मूल्य वर्धित कर (वैट) के निर्धारण के बड़ी संख्या में मामले लंबित थे। सितंबर 2015 में, एचवीएटी अधिनियम की धारा 17 के तहत संशोधन के माध्यम से, कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) उस वर्ष की समाप्ति के आठ वर्ष पूरे होने से पहले या उस वर्ष का कर-निर्धारण अंतिम होने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले (जो भी बाद में हो), उस डीलर की कर देयता का पुन: कर-निर्धारण कर सकता है। इस प्रकार, 2017-18 में समाप्त होने वाले मामलों को 2024-25 तक फिर से खोला जा सकता है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा किए गए वैट मामलों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 125 मामलों में ₹ 442.31 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 0.04 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई है।

₹ 415.68 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3 वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (एच.जी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 2 (119) के तहत 'कार्य अनुबंध' का अर्थ है: "किसी भी अचल संपत्ति के निर्माण, संरचना, फेब्रिकेशन, पूर्णता, परिनिर्माण, स्थापना, फिटिंग, सुधार, संशोधन, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण, परिवर्तन या कमीशनिंग के लिए किया गया अनुबंध, जिसमें एक ऐसे अनुबंध के निष्पादन के दौरान माल (माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल हो।" वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध में माल के स्वामित्व का अनिवार्य हस्तांतरण' शामिल होता है।

वस्तु एवं सेवा कर के तहत निर्माण सेवाओं के लिए सेवा लेखांकन कोड (एस.ए.सी.) 9954 है। इस शीर्ष के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में भवनों का निर्माण (99541), सिविल इंजीनियरिंग कार्यों का सामान्य निर्माण (99542), साइट तैयार करने की सेवाएं (99543), पूर्व-निर्मित संरचनाओं का संयोजन और स्थापना (99544), विशेष व्यापार निर्माण सेवाएं (99545), स्थापना सेवा (99546) और भवन पूर्णता और फिनिशिंग सेवाएं (99547) शामिल हैं।

2.3.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य कर आयुक्त हरियाणा में आबकारी एवं कराधान विभाग के समग्र प्रभारी हैं। यह विभाग राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के साथ-साथ हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) का प्रबंधन करता है। कर प्रबंधन हेतु राज्य को पांच रेंजों और 27 कराधान जिलों में विभाजित किया गया है। जिला स्तर पर विभाग की फील्ड इकाइयों का नेतृत्व राज्य कर उपायुक्त (डी.सी.एस.टी.) द्वारा किया जाता है, उन्हें राज्य कर के आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.), राज्य कर के सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ए.ई.टी.ओ.) और कराधान निरीक्षक (टी.आई.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निम्नलिखित का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी:

i) क्या कर प्रबंधन, कार्य अनुबंधों/निर्माण सेवाओं में शामिल करदाताओं द्वारा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने और उनके द्वारा किए गए कर छूट के दावों से संबंधित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा

कर/एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं और निर्धारित प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में प्रभावी था; और

ii) कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित करदाताओं की संवीक्षा और निर्धारण की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु विभागीय फील्ड इकाइयों (राज्य कर उप-आयुक्तों) के कार्यों का मूल्यांकन करना।

2.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं में लगे करदाताओं के रिटर्न और अभिलेखों की जांच शामिल थी, जिसमें विशेष रूप से निर्माण सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित अनुपालनों पर ध्यान दिया गया:

- रिटर्न फाइल करना,
- स्व-निर्धारण कर का भुगतान,
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.),
- रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के तहत भुगतान किया गया कर,
- प्राप्त/उपयोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, और
- आपूर्ति के स्थान/समय से संबंधित प्रावधान और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्य प्रावधान।

फील्ड लेखापरीक्षा दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी। विभाग द्वारा रिटर्न की संवीक्षा की समीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन के अंतर्गत अप्रैल 2020 से मार्च 2022 की अवधि को शामिल किया गया, जबकि चयनित विभागीय फील्ड इकाइयों (डी.ई.टी.सी.) के कार्यों की लेखापरीक्षा में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि को शामिल किया गया।

फील्ड लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले, 8 अगस्त 2024 को राज्य कर आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ एक एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूनों के चयन, लेखापरीक्षा के क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। मामला अप्रैल 2025 में विभाग के संज्ञान में और मई 2025 में सरकार के संज्ञान में लाया गया था। आयुक्त एवं सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 30 जून 2025 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को प्रासंगिक अनुच्छेदों में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.3.5 लेखापरीक्षा नमूना

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दो अलग-अलग भाग हैं:

(i) भाग I - करदाताओं के रिटर्न और संबंधित वित्तीय विवरणों की विस्तृत लेखापरीक्षा

(क) वित्तीय प्रासंगिकता:

वित्तीय प्रासंगिकता के आधार पर करदाताओं को उनके टर्नओवर के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत करदाताओं को शामिल करते हुए चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पांचवीं श्रेणी में शेष करदाता शामिल थे।

(ख) स्कोरिंग प्रणाली - जोखिम मापदंड

नमूना चयन के लिए 12 जोखिम मापदंडों के एक सेट पर विचार किया गया था, जिसका विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है:

तालिका 2.3: जोखिम मापदंड

क्र.सं.	जोखिम मापदंड
1.	सेवा लेखा कोड (एस.ए.सी.) 99541 के मामले में नई निर्माण परियोजना की घोषणा न करना और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को न हटाना अर्थात जहां आर.ई.जी.-06 में अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है
2.	सामान्य दरों अर्थात 18 प्रतिशत की तुलना में रियायती दरों (अर्थात 1-1.5 प्रतिशत/5-7.5 प्रतिशत/12 प्रतिशत) पर भुगतान किए गए कर का अनुपात
3.	कुल कर योग्य मूल्य की तुलना में रियायती दरों (अर्थात 1-1.5 प्रतिशत/5-7.5 प्रतिशत) पर भुगतान किए गए कर योग्य मूल्य का अनुपात और इसके सापेक्ष केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 42 एवं 43 के तहत रिवर्स किया गया या प्राप्त किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट
4.	जी.एस.टी.आर.-3बी में घोषित कर योग्य मूल्य की तुलना में जी.एस.टी.आर.-2ए की तालिका 9 में टी.डी.एस. क्रेडिट के मध्य विसंगति
5.	क) एच.एस.एन. 995433 (उत्खनन एवं मिट्टी हटाने संबंधी सेवाएं) के तहत प्राप्त छूट/रियायती दरें
	ख) एच.एस.एन. 99546 (इंस्टॉलेशन सेवाएं) के तहत ली गई छूट या रियायती दरें
6.	निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट
7.	शून्य दर/ छूट प्राप्त/गैर-जी.एस.टी. आपूर्ति/कुल जावक आपूर्ति का अनुपात
8.	भुगतान किए गए कर की तुलना में क्रेडिट नोट (कर) का अनुपात
9.	जी.एस.टी.आर.-3बी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतान किया गया कर शून्य है, या जी.एस.टी.आर.-1 का कुल कर योग्य मूल्य और जी.एस.टी.आर.-3बी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आने वाली आवक आपूर्ति के मूल्य का अनुपात बहुत अधिक है
10.	प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध भुगतान किए गए कर का अनुपात 20 प्रतिशत से कम है
11.	पंजीकरण की तिथि और पंजीकरण के तीन महीने के भीतर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मूल्य ₹ 20 लाख से अधिक है
12.	यह जांच करना कि क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट का सही ढंग से लाभ उठाया गया है?

प्रत्येक मानक को दिए गए जोखिम स्कोर के आधार पर, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए आठ राज्य कर उप-आयुक्तों[2] में से 30 करदाताओं का चयन किया गया (परिशिष्ट 2.1)।

(ii) राज्य कर उप-आयुक्तों/विभागीय फील्ड इकाइयों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए मामलों के नमूनों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली विभागीय फील्ड इकाइयों को, उनके कार्यों के मूल्यांकन हेतु फील्ड इकाइयों के नमूने के रूप में माना गया। रेंज से, एक से अधिक विभागीय फील्ड इकाई का चयन नहीं किया गया। इस प्रकार, विभाग में प्रचलित प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की लेखापरीक्षा के लिए पांच राज्य कर उप-आयुक्तों[3] (विभागीय फील्ड इकाइयों) का चयन किया गया।

---

[2] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), हिसार, रेवाड़ी और सोनीपत।

[3] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण) और सोनीपत।

2.3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोतों में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और उनके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान **तालिका 2.4** में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: मानदंडों के स्रोत

सामान्य लेखापरीक्षा मानदंड		
क्र.सं.	**लेखापरीक्षा दायरा**	**अधिनियम/नियम/अधिसूचना के प्रावधान**
1	रिटर्न प्रस्तुत करना	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 37, 38, 39
		हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 59, 60, 61, 80
2	भुगतान न की गई देयता	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9 और 49, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 85 से 88
3	पंजीकरण	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 से 25
		हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 8 से 26
4	कर का वर्गीकरण और दर	अधिसूचना 11/2017-सीटी-आर दिनांक 28 जून 2017 समय-समय पर यथा संशोधित
5	आपूर्ति की प्रकृति	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7
6	आपूर्ति का समय	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 और 13
7	आपूर्ति का मूल्य	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15
8	आपूर्ति का स्थान	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12(3) और 13(4)
9	कर का भुगतान	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 11(2), 32(1), 49 से 52 और धारा 76
10	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5(3), जिसे दोनों अधिसूचना संख्या 13/2017 (सीटीआर) और 8/2017 (सीटीआर) दिनांक 28 जून 2017 के साथ पढ़ा जाए
11	इनपुट टैक्स क्रेडिट	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 और 17
12	आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 65 और 66 तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली का नियम 101

2.3.7 लेखापरीक्षा उपलब्धियां

लेखापरीक्षा ने कार्य अनुबंध/निर्माण आपूर्ति में शामिल करदाताओं द्वारा कर के भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाले पहलुओं के साथ-साथ सेवा लेखांकन कोड 9954 के तहत पंजीकृत करदाताओं के संबंध में सर्कलों के कार्यों की समीक्षा की और इसकी उपलब्धियों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है:

1. कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित विशिष्ट अनुपालन मामले
2. राज्य कर उप-आयुक्तों की कार्यात्मक लेखापरीक्षा

कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित विशिष्ट अनुपालन मामले

एक स्व-निर्धारण व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का उत्तरदायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रबंधन तंत्र स्थापित करने और उसे बनाए रखने की है। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आधारित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर

शासन की एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, समग्र राज्य के डेटा विश्लेषण के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में पाई गई विसंगतियों/विचलनों की पहचान के आधार पर इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में 30 करदाताओं के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी। अपनाई गई कार्यप्रणाली में विसंगतियों/असंगतियों/विचलनों और संदेहास्पद संकेतों की पहचान करने के लिए बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध जी.एस.टी.आर.-9सी एवं अन्य अभिलेखों के भाग के रूप में करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न और वित्तीय विवरणों की डेस्क समीक्षा करना शामिल था। डेस्क समीक्षा के परिणामों के आधार पर, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा की फील्ड इकाइयों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई, इसके लिए करदाताओं के संबंधित विस्तृत अभिलेख, जैसे कि वित्तीय खाता, चयनित महीनों के बीजक आदि मंगवाए गए, ताकि चिह्नित जोखिमों के उत्तरदायी कारकों की पहचान की जा सके और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके।

विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा किए गए गैर-अनुपालन का अंतिम प्रभाव पस्तुत की गई रिटर्न की सत्यता**,** इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और कर भुगतान के निपटान पर पड़ता है। अतः, लेखापरीक्षा उपलब्धियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, क) रिटर्न, ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग, ग) कर देयता का भुगतान।

2.3.7.1 दायरे की सीमा (अभिलेखों को प्रस्तुत न करना)

बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता में विसंगतियों से संबंधित जोखिमों की पहचान की गई। इनपुट टैक्स क्रेडिट के आयाम पर, जी.एस.टी.आर.-3बी की तुलना जी.एस.टी.आर.-2ए एवं जी.एस.टी.आर.-9 से करके, तथा जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं के आधार पर विसंगतियों की पहचान की गई। कर देयता के आयाम पर, जी.एस.टी.आर.-3बी की तुलना जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 से करके विसंगतियों की पहचान की गई। लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित राज्य कर उप-आयुक्तों के माध्यम से करदाताओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता की विसंगतियों के लिए उत्तरदायी कारकों की जांच हेतु अपेक्षित विस्तृत अभिलेखों जैसे कि चयनित महीनों के बीजक, टिप्पणियों और अनुसूचियों सहित वित्तीय विवरण, डेबिट/क्रेडिट नोट, लेनदारों की सूची, पूरक वित्तीय खाता बही, करारों की प्रतियां आदि की मांग की गई।

क) 30 करदाताओं से संबंधित विस्तृत अभिलेखों की मांग की गई थी, जिनमें से 18 मामलों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, इसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने और यूडीएल में ₹ 37.69 करोड़ की अनियमितता/विसंगति से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच नहीं की जा सकी। अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का क्षेत्राधिकार-वार विवरण **तालिका 2.5** में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.5: फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का विवरण

क्षेत्राधिकार इकाई	नमूना	अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना
	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या
अंबाला	3	3
भिवानी	4	4
फरीदाबाद (पूर्व)	5	5
गुरुग्राम (पूर्व)	3	2
गुरुग्राम (दक्षिण)	5	4
हिसार	4	0
रेवाड़ी	3	0
सोनीपत	3	0
योग	**30**	**18**

अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का करदाता-वार और वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने 15 करदाताओं से संबंधित तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि चार करदाताओं को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे तथा 11 करदाताओं के संबंध में विभाग ने बताया कि वह तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं है।

तीन करदाताओं के संबंध में, विभाग ने बताया कि दो करदाताओं की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवा दी गई थी और शेष एक करदाता के लिए, वस्तु एवं सेवा कर कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध डेटा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि मांग किए गए सभी विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे और इसके अतिरिक्त, मांगे गए अभिलेख वस्तु एवं सेवा कर कॉमन पोर्टल पर भी उपलब्ध नहीं थे।

2.3.7.2 अदत्त कर देयता

वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर के आरंभ ने सेवा कर और वैट दोनों को एकल कर व्यवस्था में सम्मिलित करके कार्य अनुबंध सेवाओं के कराधान को सरल बना दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत, कार्य अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II की प्रविष्टि 6 (ए) के तहत 'सेवाओं की आपूर्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची II में प्रविष्टि 5 (बी) के अनुसार, किसी परिसर, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी हिस्से का निर्माण, जिसमें किसी खरीदार को पूर्ण या आंशिक रूप से बिक्री के लिए लक्षित परिसर या भवन शामिल है, सिवाय उन मामलों के जहां पूर्ण प्रतिफल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद या उसके पहले अधिभोग के बाद प्राप्त किया गया हो, जो भी पहले हो, सेवा की आपूर्ति है और वस्तु एवं सेवा के लिए उत्तरदायी है।

सरकारी प्राधिकरणों को प्रदान की जाने वाली कार्य अनुबंध सेवाओं के मामले में रियायती दरें लागू होती हैं जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.)/आबकारी एवं

कराधान विभाग (ई.टी.डी.), हरियाणा द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन हैं।

अदत्त कर देयता के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

2.3.7.2 (क) कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर छूट/रियायती दरों का गलत लाभ उठाना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 11/2017 दिनांक 28 जून 2017 और हरियाणा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2 दिनांक 30 जून 2017, समय-समय पर यथा संशोधित, जो राज्य कर की दरों को अधिसूचित करती हैं, वस्तु एवं सेवा कर फ्रेमवर्क के तहत वस्तु एवं सेवा कर दरों के लिए जारी की गई मुख्य अधिसूचनाएं हैं। यह मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत सेवाओं पर लागू होने वाली कर दरों से संबंधित है, विशेष रूप से उन सेवाओं से जो कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से जुड़ी हैं। यह अधिसूचना कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित कर की रियायती दरों या छूट का प्रावधान करती है, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए। इसे हरियाणा राज्य कर विभाग द्वारा जारी किया गया था।

यह अधिसूचना किफायती आवास[4] के निर्माण के लिए कर की रियायती दरों का प्रावधान करती है, जो विशिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं; जैसे कि सेवा की आपूर्ति में उपयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभारित किए गए इनपुट टैक्स का लाभ नहीं लिया गया हो, तथा निर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही को डेबिट करके नकद में किया जाएगा आदि। यह विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सकल दर[5] या प्रभावी दरों[6] पर अलग-अलग दरों से कर के भुगतान का प्रावधान भी करती है। ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों द्वारा सरकारी परियोजनाओं को प्रदान की जाने वाली कार्य अनुबंध सेवाओं के मामले में, यह अधिसूचना कर की छूट/रियायती दरों का प्रावधान करती है।

तीन राज्य कर उपायुक्तों[7] के अभिलेखों की संवीक्षा में चार करदाताओं के सात मामलों में ₹ 23.39 करोड़ की अनुपालन संबंधी कमियां पाई गई। ये कमियां करदाताओं द्वारा गलत तरीके से कर की छूट/रियायती दरों का लाभ उठाने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया (परिशिष्ट-2.3)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तीन करदाताओं से संबंधित छः मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि तीन मामलों में डी.आर.सी.-01 जारी

---

4 किफायती आवास के अंतर्गत वे घर आते हैं जिनका कारपेट एरिया मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर (लगभग 645 वर्ग फुट) तक और गैर-मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर (लगभग 960 वर्ग फुट) तक होता है। मेट्रो और गैर-मेट्रो दोनों शहरों में ₹ 45,00,000 तक के मूल्य वाले घरों को किफायती आवास माना जाता है।
मेट्रो शहरों के अंतर्गत बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर (केवल दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई {(संपूर्ण मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर)} शामिल हैं।

5 सकल दर वह दर है जो संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट की गई है।

6 प्रभावी दर का निर्धारण कुल मूल्य में से भूमि के मूल्य के मद में एक-तिहाई की कटौती करने के पश्चात किया जाता है।

7 फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व) और सोनीपत।

कर दिया गया था तथा शेष तीन मामलों को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के तहत संवीक्षा निर्धारण के लिए लिया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

- गुरुग्राम (पूर्व) के एक करदाता[8] ने, जो एसएसी कोड 995411[9] और 995414[10] में लेन-देन कर रहा था, वर्ष 2019-20 और 2021-22 के लिए (जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9 के अनुसार) 18 प्रतिशत की दर से कर देयता का भुगतान किया। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान, करदाता ने ₹ 191.72 करोड़ के कर योग्य मूल्य पर 7.5 प्रतिशत की दर से कर देयता का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.13 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

विभाग ने बताया कि करदाता आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की निर्माण सेवाएं प्रदान कर रहा था और अधिसूचना संख्या 03/2019 के अनुसार, करदाता ने आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आर.ई.पी.) कार्यों की निर्माण आपूर्ति के लिए क्रमशः 7.50 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर से कर देयता का सही भुगतान किया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा को ऐसे कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिनसे यह सिद्ध हो सके कि करदाता ने किफायती आवास परियोजना के अलावा किसी अन्य परियोजना में लेन-देन किया था।

किसी भी स्थिति में, करदाता किफायती आवासों के अतिरिक्त अन्य कर योग्य आपूर्ति पर ₹ 23.70 करोड़ का आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने के लिए उत्तरदायी था। जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4बी (1) के अनुसार, करदाता ने केवल ₹ 4.61 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया। इस प्रकार, ₹ 19.09 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम रिवर्सल हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.47 करोड़ की छूट वाली आपूर्ति थी, जिस पर ₹ 0.06 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया जाना था। कुल मिलाकर, ₹ 19.15 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम रिवर्सल हुआ। साथ ही, जी.एस.टी.आर.-9सी के अनुसार, ₹ 191.72 करोड़ के कर योग्य मूल्य पर कर देयता ₹ 14.38 करोड़ थी, जबकि जी.एस.टी.आर.-3बी के अनुसार नकद में भुगतान किया गया कर केवल ₹ 12.55 करोड़ था। इसलिए, नकद में ₹ 1.83 करोड़ के कर का कम भुगतान भी देखा गया।

2.3.7.2 (ख) कर का भुगतान न करना/कम भुगतान

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 13 यह प्रावधान करती है कि सेवाओं पर कर भुगतान की देयता आपूर्ति के समय उत्पन्न होगी, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवॉइस जारी करने

---

[8] बोवेब पोर्टल (जीएसटी पोर्टल) पर उपलब्ध प्रोफाइल के अनुसार, करदाता के पास राज्य के भीतर या बाहर पैन पर केवल एक ही जीएसटीआईएन था और एक अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान घोषित किया गया था।

[9] 995411: एकल आवास या बहु-आवास या बहु-मंजिला आवासीय भवनों की निर्माण सेवाएं।

[10] 995414: वाणिज्यिक भवनों, जैसे कि कार्यालय भवन, प्रदर्शनी एवं विवाह हॉल, मॉल, होटल, रेस्तरां, हवाई अड्डे, रेल या सड़क टर्मिनल, पार्किंग गैरेज, पेट्रोल और सर्विस स्टेशन, थिएटर और अन्य समान भवन, की निर्माण सेवाएं।

की तिथि, यदि इनवॉइस निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया हो या भुगतान प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, मानी जाएगी।

जी.एस.टी.आर.-9सी, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 44 के अनुसार वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्नओवर और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणी में घोषित टर्नओवर के बीच एक मिलान विवरण है।

जी.एस.टी.आर.-1 की तालिका 11 में प्राप्त किए गए अग्रिम, अग्रिमों के समायोजन और संशोधनों की जानकारी दर्ज की जाती है। जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 4 (कॉलम 4एफ) में वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए अग्रिमों और उनके विरुद्ध चुकाई गई कर देयता का विवरण दर्ज किया जाता है।

(I) प्राप्त किए गए अग्रिम पर कर देयता

राज्य कर उपायुक्त, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व) और गुरुग्राम (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि चार करदाताओं के सात मामलों में प्राप्त किए गए अग्रिमों पर आपूर्ति के समय के प्रावधानों का अनुपालन न होने के कारण करदाताओं की ₹ 361.11 करोड़ (परिशिष्ट 2.4) की कर देयता अदत्त रह गई थी।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने एक करदाता से संबंधित तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- गुरुग्राम (पूर्व) के एक करदाता ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,131.44 करोड़ का अग्रिम (ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम ₹ 1,129.74 करोड़ और संबंधित पक्षों से प्राप्त अग्रिम ₹ 1.69 करोड़) घोषित किया था, जबकि 2021-22 में जी.एस.टी.आर.-1 में संशोधनों सहित घोषित प्राप्त अग्रिम केवल ₹ 118.10 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,013.33 करोड़ की अंतरीय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ₹ 182.40 करोड़ की कर देयता कम घोषित की गई।

विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित पक्षों से प्राप्त अग्रिम ऋण के रूप में थे और उन पर वस्तु एवं सेवा कर लागू नहीं होता था। यह उत्तर उन अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं था जो यह सिद्ध कर सकें कि ये अग्रिम संबंधित पक्षों से लिए गए ऋण थे, साथ ही वित्तीय विवरणों में अन्य चालू देयताओं के शेड्यूल के तहत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाई गई राशि को स्पष्ट करने में भी विफल रहा।

(II) कर योग्य टर्नओवर का छिपाव

राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) और गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कर योग्य टर्नओवर (टी.टी.ओ.) को छिपाने के कारण दो करदाताओं (परिशिष्ट 2.5) से संबंधित दो मामलों में ₹ 1.90 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। इन मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

- वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) में एक करदाता ने ठेकेदार की खाता-बही के अनुसार ₹ 346.74 करोड़ का कार्य दर्शाया था, जबकि जी.एस.टी.आर.-9 में टर्नओवर (क्रेडिट नोट्स और छूट प्राप्त आपूर्ति सहित) ₹ 338.61 करोड़ था, इस प्रकार, ₹ 8.13 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर को छिपाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (पूर्व) में एक करदाता ने जी.एस.टी.आर.-3बी के अनुसार ₹ 12.48 करोड़ की कर योग्य आपूर्ति दर्शाई थी। करदाता ने जी.एस.टी.आर.-1 में क्रेडिट नोट को 'शून्य' दर्शाया था, जबकि जी.एस.टी.आर.-9 में टर्नओवर (क्रेडिट नोट और छूट प्राप्त आपूर्ति सहित) ₹ 10.08 करोड़ था, इस प्रकार ₹ 2.41 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर को छिपाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.43 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने एकल करदाता से संबंधित एक मामले के तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। एक अन्य करदाता के शेष मामले में, विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित और भुगतान की गई कर देयता में कोई विसंगति नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि करदाता ने जी.एस.टी.आर.-1 में डेबिट/क्रेडिट नोट को शून्य दर्शाया था।

(III) अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर

राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक करदाता के दो मामलों में करदाता ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ₹ 4.99 करोड़ मूल्य की अचल परिसंपत्तियां बेची थी (नोट 10 के अनुसार (अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची), जिन पर कर उद्ग्रहित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.90 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ (परिशिष्ट 2.6)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने वर्ष 2021-22 के तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

2.3.7.2 (ग) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के तहत कानूनी एवं पेशेवर प्रभार/रॉयल्टी/ माल ढुलाई प्रभारों पर कर का भुगतान न करना या कम भुगतान करना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5(3) के तहत सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना के माध्यम से वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की ऐसी श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती है, जिन पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

अधिसूचना संख्या 13/2017 दिनांक 28 जून 2017, किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों का प्रावधान करती है, जिन पर वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा।

राज्य कर उपायुक्त, भिवानी और फरीदाबाद (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दो करदाताओं से संबंधित चार मामलों में, दोनों करदाताओं ने अपनी बैलेंस शीट में कानूनी एवं पेशेवर प्रभारों, रॉयल्टी और माल ढुलाई प्रभारों के रूप में ₹ 4.36 करोड़ के व्यय दर्ज किए थे। इन सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज आधार पर 18 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए था। यह देखा गया था कि करदाताओं ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर ₹ 0.64 करोड़ की राशि के कर का भुगतान नहीं किया या कम भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप कर का कम भुगतान हुआ (परिशिष्ट 2.7)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- फरीदाबाद (पूर्व) के एक करदाता ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1.05 करोड़ और ₹ 0.22 करोड़ के कानूनी एवं पेशेवर प्रभार तथा ₹ 1.51 करोड़ और ₹ 0.99 करोड़ की रॉयल्टी फीस का भुगतान किया। इन सेवाओं पर प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज आधार पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान किया जाना चाहिए था। दोनों वर्षों के जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9 में यह पाया गया था कि करदाता ने क्रमशः ₹ 0.29 करोड़ और ₹ 0.49 करोड़ की राशि पर ही 18 प्रतिशत की दर से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर देयता का भुगतान किया था। इस प्रकार, करदाता ने दोनों वर्षों में कुल फीस पर 18 प्रतिशत की दर से ₹ 0.54 करोड़ (₹ 0.41 करोड़ + ₹ 0.13 करोड़) के कर की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की देयता का कम भुगतान किया।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने दो करदाताओं से संबंधित चार मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि इन सभी मामलों को संवीक्षा निर्धारण के लिए लिया गया है।

2.3.7.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट

(i) इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

अधिनियम की धारा 16(2) और नियम 36 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य पूर्व-शर्तें ये हैं कि करदाता के पास कर इनवॉइस या अन्य कोई निर्दिष्ट कर भुगतान दस्तावेज होना चाहिए, माल या सेवाएं अनिवार्य रूप से प्राप्त की गई होनी चाहिए, आपूर्तिकर्ता द्वारा वास्तव में कर का भुगतान किया गया हो और करदाता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए रिटर्न फाइल की हो। कर सहित माल या सेवाओं के मूल्य का भुगतान इनवॉइस जारी होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को कर दिया जाना चाहिए। किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाले सितंबर माह तक या वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, के बाद नहीं उठाया जा सकेगा।

(क) इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करना/कम वापस करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17(2) के साथ पठित नियम 42 और 43 प्रावधान करते हैं कि यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-दर आपूर्ति सहित कर-योग्य आपूर्ति और आंशिक रूप से कर-मुक्त आपूर्ति के लिए किया जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि केवल उसी हिस्से तक सीमित होगी, जो शून्य-दर आपूर्ति सहित कर-योग्य आपूर्ति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, भवनों या सिविल संरचनाओं के निर्माण से संबंधित सेवाओं के मामले में, जिन्हें खरीदार को बेचा जाना है, कर-मुक्त आपूर्ति के मूल्य की गणना परियोजना-वार की जाएगी।

राज्य कर उपायुक्त, भिवानी और फरीदाबाद (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन करदाताओं के पांच मामलों में रिटर्न (जीएसटीआर-9/9सी) में कर-मुक्त आपूर्ति तो दर्शायी गई थी, परंतु जीएसटीआर-3बी {तालिका 4बी(i)} में नियम 42/43 के अंतर्गत कर-मुक्त आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल नहीं किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.66 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल नहीं हुआ/कम रिवर्सल हुआ (परिशिष्ट 2.8)।

दो उदाहरणात्मक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- राज्य कर उपायुक्त, भिवानी में एक करदाता ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 83.07 करोड़ के कुल कर-योग्य टर्नओवर में से ₹ 0.93 करोड़ को कर-मुक्त, 'शून्य' दर और गैर-वस्तु एवं सेवा कर आपूर्ति के रूप में (जीएसटीआर-9 के अनुसार) घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप, कर-योग्य टर्नओवर के विरुद्ध दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुपात के आधार पर ₹ 0.15 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल नहीं हुआ/कम रिवर्सल हुआ।
- राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) में एक करदाता ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 214.60 करोड़ के कर-योग्य टर्नओवर में से ₹ 2.39 करोड़ को गैर-वस्तु एवं सेवा कर और कर-मुक्त आपूर्ति के रूप में (जीएसटीआर 9 के अनुसार) घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप, कर-योग्य टर्नओवर के विरुद्ध दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुपात के आधार पर ₹ 0.25 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल नहीं हुआ/कम रिवर्सल हुआ।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि दो करदाताओं से संबंधित चार मामलों में नोटिस जारी किए जा चुके थे तथा एक करदाता के शेष एक मामले को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के तहत संवीक्षा निर्धारण के लिए लिया गया था।

2.3.8 अन्य अनुपालन मामले

2.3.8.1 प्रमाण पत्र में नए सेवा लेखा कोड की घोषणा न करना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 24(2)(ए) के अनुसार विद्यमान कानून के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के माइग्रेशन के संबंध में, जिस भी व्यक्ति को उप-नियम (1) के

तहत अनंतिम पंजीकरण दिया गया है, उसे फॉर्म जीएसटी आरईजी-26 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, यह आवेदन कॉमन पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, विधिवत हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड द्वारा सत्यापित होना चाहिए और वर्णित आवेदन में निर्दिष्ट सभी जानकारी और दस्तावेज शामिल होने चाहिए। नियमावली के नियम 2(बी) के अनुसार, क्लॉज (ए) के लिए मांगी गई जानकारी तीन महीने की अवधि के भीतर या आयुक्त द्वारा इस संबंध में बढ़ाई गई अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। नियम 2(सी) के तहत, यदि उचित अधिकारी द्वारा आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी और विवरण सही और पूर्ण पाए जाते हैं, तो पंजीकरण प्रमाण-पत्र फॉर्म जीएसटी आरईजी-06 में कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियम 24(3) के अनुसार, यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विवरण या जानकारी या तो प्रस्तुत नहीं की गई है, या वह सही या पूर्ण नहीं पाई गई है, तो उचित अधिकारी फॉर्म जीएसटी आरईजी-27 में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उप-नियम (1) के तहत दिए गए अनंतिम पंजीकरण को निरस्त कर देगा और फॉर्म जीएसटी आरईजी-28 में आदेश जारी करेगा।

सात राज्य कर आयुक्तों[11] के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 30 में से 13 करदाताओं ने कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित नए सेवा लेखा कोड (9954XX) के स्थान पर पुराने सेवा कर कोड (00440XXX) का उल्लेख किया था (परिशिष्ट 2.9)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एक करदाता के मामले में ₹ 50,000 की पेनल्टी उद्ग्रहित और वसूल की गई थी। एक अन्य करदाता के मामले में, ₹ 50,000 की पेनल्टी उद्ग्रहित की गई थी, तथापि, वसूली लंबित थी। तीन करदाताओं से संबंधित तीन मामलों में नए एचएसएन/एसएसी कोड को अद्यतन करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे और एक अन्य करदाता का मामला अपेक्षित कार्यवाही हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था। सात करदाताओं से संबंधित शेष सात मामलों में पुराने कोड के स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर के तहत नया सेवा लेखा कोड डालकर सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई थी।

2.3.8.2. ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करना

अधिनियम की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, परंतु निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उस अवधि के लिए, जिसके दौरान कर या उसका कोई हिस्सा अदत्त रहता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा का निर्धारण, जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान के विवरण और जीएसटीआर-3बी

[11] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), हिसार, रेवाड़ी और सोनीपत।

फाइल करने की तिथि के आधार पर किया गया था। देय ब्याज की गणना के लिए केवल निवल कर देयता (नकद घटक) पर ही विचार किया गया है।

छ: राज्य कर आयुक्तों[12] के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 65 मामलों अर्थात मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न में, 11 करदाताओं ने एक दिन से 78 दिनों तक के विलंब के साथ जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करके अपनी कर देयताओं का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.47 करोड़ के ब्याज का कम भुगतान हुआ (परिशिष्ट 2.10)। जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एकल करदाता से संबंधित एक मामले की राज्य वस्तु एवं सेवा कर की धारा 65 के तहत जांच की जाएगी, तीन करदाताओं से संबंधित तीन मामलों में नोटिस जारी किए गए थे और सात करदाताओं के शेष सात मामलों में करदाताओं से ₹ 0.04 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई थी।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- राज्य कर आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व) के एक करदाता ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान पांच कर-अवधियों के लिए मासिक रिटर्न (जीएसटीआर-3बी**)** विलंब से प्रस्तुत करके अपनी कर देयता का भुगतान किया था, जिसमें विलंब क्रमशः पांच दिन से 36 दिन तक था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ/कम भुगतान हुआ।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज जमा कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा आयोजित करके मामले की जांच की जाएगी।

2.3.8.3 रिटर्न के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और उसका उपयोग

अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत, करदाताओं द्वारा फाइल की गई विभिन्न रिटर्न की संवीक्षा उचित अधिकारी (राज्य कर के आबकारी एवं कराधान अधिकारी) द्वारा की जानी चाहिए ताकि रिटर्न की सत्यता का सत्यापन किया जा सके और रिटर्न में पाई गई किसी भी विसंगति या असंगति पर उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसा कि **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने और कर भुगतान के निपटान में विसंगतियां

आयाम	पहचानी गई विसंगतियां			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतीक्षित/ खंडन किया गया	
	करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	(₹ करोड़ में)	स्वीकृत मामलों की संख्या (करदाताओं की संख्या)	(₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या (करदाताओं की संख्या)	(₹ करोड़ में)
जीएसटीआर-2ए[13] और जीएसटीआर-3बी[14] में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना (परिशिष्ट-2.11)	2	2	4.27	2 (2)	4.27	0	0

[12] भिवानी, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), फरीदाबाद (पूर्व), हिसार और सोनीपत।

[13] करदाता की इनपुट आपूर्तियों और उपलब्ध आईटीसी का स्वतः जनित विवरण।

[14] जीएसटीआर-3बी की तालिका 4, जो प्राप्त किए गए आईटीसी को दर्शाती है।

आयाम	पहचानी गई विसंगतियां			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतीक्षित/ खंडन किया गया	
	करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	(₹ करोड़ में)	स्वीकृत मामलों की संख्या (करदाताओं की संख्या)	(₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या (करदाताओं की संख्या)	(₹ करोड़ में)
जीएसटीआर-9 कॉलम-8डी[15] में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना (परिशिष्ट-2.12)	4	5	1.40	4 (3)	1.37	1 (1)	0.03
जीएसटीआर-9 कॉलम-6जे[16] में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना (परिशिष्ट-2.13)	8	14	30.44	10 (6)	9.41	4 (2)	21.03
जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 (कॉलम-8ए[17]) में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना (परिशिष्ट-2.14)	6	8	0.68	5 (4)	0.66	3 (2[18])	0.02
रिटर्न (जीएसटीआर-1/3बी/9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा (परिशिष्ट-2.15)	6	7	0.61	3 (2)	0.27	4 (4)	0.34
आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान (परिशिष्ट-2.16)	2	3	0.29	2 (1)	0.02	1 (1)	0.27
योग	**28[19]**	**39**	**37.69**	**26 (18)**	**16.00**	**13 (10)**	**21.69**

लेखापरीक्षा ने इन 28 करदाताओं से संबंधित 39 मामलों के संबंध में विसंगतियों के कारणों का पता लगाने के लिए विभाग से अतिरिक्त अभिलेखों जैसे कि पक्षों के बीच कार्य अनुबंध/करार, चयनित महीनों के बिक्री इनवॉइस और खरीद इनवॉइस, ट्रायल बैलेंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल वर्किंग शीट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत प्राप्त आपूर्तियों के विवरण इत्यादि की मांग की। विभाग ने इन मामलों में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। हालांकि, उसने 26 मामलों में ₹ 16.00 करोड़ के अंतर की विसंगतियों/असंगतियों को स्वीकार किया। लेखापरीक्षा का मत है कि करदाताओं के मूल अभिलेख प्राप्त करने और उन्हें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि विसंगतियों के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण किया जा सके।

13 मामलों में विभाग द्वारा दिए गए उत्तर या तो अपने दावे की पुष्टि के लिए अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं थे या उपलब्ध अभिलेखों जैसे कि रिटर्न

15 जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए में दिए गए जीएसटीआर-2ए/2बी के अनुसार आईटीसी और वार्षिक रिटर्न में प्राप्त किए गए आईटीसी के विवरण दर्शाने वाली जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी और 6सी के कुल योग के बीच का अंतर।

16 जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए में दर्शाए गए अनुसार मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी और जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच में घोषित अनुसार प्राप्त आईटीसी के विवरण के बीच का अंतर।

17 जीएसटीआर-2ए/2बी के अनुसार आईटीसी।

18 एक ही करदाता के दो मामलों में, उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार नहीं था।

19 12 विशिष्ट करदाता।

(जीएसटीआर-1/3बी/9/9सी), विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के साथ मिलान करने पर तर्कसंगत नहीं पाए गए।

2.3.9 राज्य कर उपायुक्तों की कार्यात्मक लेखापरीक्षा

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 59 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर एक स्व-निर्धारण आधारित कर है, इसके अंतर्गत कर देयता की गणना करने, गणना की गई कर देयता का भुगतान करने और रिटर्न फाइल करने का उत्तरदायित्व करदाता पर निहित है। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न नियमित रूप से कॉमन वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर पेनल्टी देय होगी। भले ही किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई कर देयता न हो, फिर भी शून्य रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 प्रावधान करती है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है और पाई गई विसंगतियों के बारे में करदाता को सूचित कर सकता है और उनसे स्पष्टीकरण मांग सकता है।

विभागीय फील्ड इकाइयों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु पांच राज्य कर उपायुक्तों[20] का चयन किया गया, ताकि संवीक्षा एवं निर्धारण की प्रभावशीलता तथा विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशक (डीजीएआरएम)/कर अनुसंधान इकाई की कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित रिपोर्टों के अनुपालन का आकलन किया जा सके। राज्य कर उपायुक्तों की लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रकार हैं:

2.3.9.1 रिटर्न की संवीक्षा

(i) रिटर्न की संवीक्षा से संबंधित सूचना प्रस्तुत न करना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 99 के तहत, जब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्न को संवीक्षा के लिए चुना जाता है, तो उचित अधिकारी अपने पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के प्रावधानों के अनुसार उसकी संवीक्षा करेगा और किसी भी विसंगति की स्थिति में, वह उक्त व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी ए.एस.एम.टी.-10 में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे उक्त विसंगति की सूचना दी जाएगी और नोटिस जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर या उसके द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर उससे इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, साथ ही, जहां संभव हो, ऐसी विसंगति के संबंध में देय कर, ब्याज और किसी भी अन्य राशि का निर्धारण भी किया जाएगा।

पंजीकृत व्यक्ति उप-नियम (1) के तहत जारी नोटिस में उल्लिखित विसंगति को स्वीकार कर सकता है और ऐसी विसंगति से उत्पन्न कर, ब्याज और किसी भी अन्य राशि का भुगतान कर सकता है और इसकी सूचना दे सकता है या विसंगति के लिए फॉर्म जीएसटी ए.एस.एम.टी.-11 में उचित अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या उप-नियम (2) के तहत प्रस्तुत की गई जानकारी स्वीकार्य पाई जाती है, तो

[20] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण) और सोनीपत।

उचित अधिकारी उसे फॉर्म जीएसटी ए.एस.एम.टी.-12 में तदनुसार सूचित करेगा। यदि प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है या करदाता सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहता है, जैसे कि बकाया कर का भुगतान न करना या गलत तरीके से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान करने में विफल रहना, तो उचित अधिकारी कर और अन्य देय राशि निर्धारित करने के लिए हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 73/74 के तहत कार्यवाही आरंभ करेगा।

लेखापरीक्षा को आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला (अर्थात मुख्यालय) के कार्यालय से उन मामलों की सूचियां प्राप्त हुई (जुलाई 2024), जिन्हें आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान (अर्थात वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए) केंद्रीय रूप से संवीक्षा और लेखापरीक्षा हेतु चुना गया था, ये मामले उन पांच चयनित राज्य कर उपायुक्तों से संबंधित हैं, जिन्हें राज्य कर उपायुक्तों की कार्यात्मक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया था। पांच राज्य कर उपायुक्तों में विभाग द्वारा संवीक्षा के लिए कुल 2,206 मामले और लेखापरीक्षा हेतु 149 मामले चुने गए थे (परिशिष्ट-2.17)।

राज्य कर उपायुक्तों की कार्यात्मक लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा पांच राज्य कर उपायुक्तों से उनके द्वारा की गई संवीक्षा का विवरण और उनके अंतिम परिणाम (जैसे ए.एस.एम.टी.-10 जारी करने की तिथि आदि) मांगे गए, विशेष रूप से उन मामलों के लिए जिनमें करदाता कार्य अनुबंध या निर्माण सेवाओं में शामिल थे। हालांकि, इनमें से किसी भी राज्य कर उपायुक्त द्वारा यह विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा राज्य के राजस्व की सुरक्षा हेतु कार्य अनुबंध/निर्माण सेवा करदाताओं के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई समग्र प्रणाली पर टिप्पणी करने में असमर्थ रही और क्या राज्य के वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा राजकोष के राजस्व की सुरक्षा की गई (परिशिष्ट-2.18)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि वस्तु एवं सेवा कर एक वेब-आधारित प्रणाली है, जिसमें पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, प्रतिसंहरण, संवीक्षा, लेखापरीक्षा और वसूली आदि सहित सभी कार्यवाहियां बोवेब पोर्टल पर ऑनलाइन संचालित की जाती हैं और इससे संबंधित समस्त डेटा बोवेब पोर्टल पर डिजिटल रूप में अनुरक्षित किया जाता है। कारण बताओ नोटिस जारी करने, करदाता द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने और अंतिम न्यायनिर्णयन आदेश सहित सभी कार्यवाहियां ऑनलाइन जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा पार्टी की पहुंच कॉमन बोवेब पोर्टल तक थी और सभी डिजिटल अभिलेख उनके लिए सुलभ थे। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यद्यपि व्यक्तिगत करदाताओं के अभिलेख बोवेब पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं, किंतु लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई सारांश जानकारी, जो संवीक्षा के लिए चयनित मामलों की संख्या और कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं में शामिल करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा के परिणामों से संबंधित है, बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है और मांग किए जाने पर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उपर्युक्त के बावजूद, लेखापरीक्षा ने मुख्यालय कार्यालय द्वारा प्रदान की गई संवीक्षा और लेखापरीक्षा मामलों की सूची में से, कार्य अनुबंध (नया एसएसी कोड 9954/पुराना कोड 0044) से संबंधित करदाताओं के प्रोफाइल और उच्चतम कुल टर्नओवर के आधार पर 25 करदाताओं/मामलों (प्रत्येक राज्य कर उपायुक्त में पांच मामले) का चयन किया (परिशिष्ट-2.19)।

(ii) रिटर्न की संवीक्षा में अपर्याप्तता

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत, करदाताओं द्वारा फाइल की गई विभिन्न रिटर्न की उचित अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए ताकि रिटर्न की शुद्धता का सत्यापन किया जा सके और रिटर्न में परिलक्षित किसी भी विसंगति या असंगति पर उचित कार्रवाई की जा सके।

(क) करयोग्य टर्नओवर को छिपाने के कारण कर का कम उदग्रहण

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9 (2) के अंतर्गत, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों की सभी आपूर्तियों पर कर के उद्ग्रहण की परिकल्पना की गई है, जो धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और परिषद की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एवं संशोधित दरों पर लगाया जाएगा और जिसका भुगतान करयोग्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) के 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि करदाता ने अपने जीएसटीआर-1 की तालिका 12 में ₹ 52.49 करोड़ का कुल कर योग्य टर्नओवर (टीटीओ) घोषित किया था। जब इसकी तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिका 3 और जीएसटीआर-9 की तालिका 4(ए+बी) से की गई, तो लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल कर योग्य टर्नओवर ₹ 78.78 करोड़ था। इस प्रकार, कुल कर योग्य मूल्य घोषित मूल्य की तुलना में ₹ 26.29 करोड़ अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.15 करोड़ के कर की कम वसूली हुई (परिशिष्ट-2.20)।

हालांकि, कर की इस कम वसूली का उल्लेख न तो करदाता को जारी किए गए फॉर्म एएसएमटी-10 (दिनांक 02 जनवरी 2023) के नोटिस में किया गया और न ही फॉर्म डी.आर.सी.-01 (दिनांक 23 दिसंबर 2023) में कारण बताओ नोटिस में किया गया।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि करदाता किफायती सोसायटी से संबंधित निर्माण गतिविधियों के विकास में संलग्न है। जीएसटीआर-3बी में घोषित कर योग्य मूल्य में निर्माण सेवाओं के साथ-साथ भूमि के घटक से संबंधित प्रतिफल भी शामिल है। इसके परिणामस्वरूप, कर योग्य प्रतिफल पर प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर दर आठ प्रतिशत होती है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने अपने तर्क की पुष्टि के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। विभाग ने आगे बताया कि जांच के बाद लेखापरीक्षा को विस्तृत उत्तर प्रदान किया जाएगा।

(ख) प्राप्त अग्रिम पर कर का अनुद्ग्रहण

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 13 यह प्रावधान करती है कि सेवाओं पर कर भुगतान की देयता आपूर्ति के समय उत्पन्न होगी, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवॉइस जारी करने की तिथि, यदि इनवॉइस निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया हो या भुगतान प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, मानी जाएगी। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 44 के अनुसार, जीएसटीआर-9सी लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय रिटर्नों में घोषित टर्नओवर और वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्नओवर का एक मिलान विवरण है। जीएसटीआर-1 की तालिका 11 में प्राप्त अग्रिम और संशोधनों के साथ अग्रिमों के समायोजन की जानकारी दर्ज की जाती है। जीएसटीआर-9 का कॉलम 4एफ वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त अग्रिम और उसके विरुद्ध चुकाई गई कर देयता का विवरण दर्ज करता है।

राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) और भिवानी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दो करदाताओं से संबंधित दो मामलों में करदाताओं पर प्राप्त अग्रिमों के संबंध में ₹ 0.16 करोड़ (परिशिष्ट-2.21) की भुगतान न की गई कर देयता शेष थी। उचित अधिकारी प्राप्त अग्रिम राशि पर कर उद्ग्रहण करने विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप संवीक्षा निर्धारण के दौरान कर का उद्ग्रहण नहीं हो पाया।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-19 के दौरान करदाता ने जीएसटीआर-9(4एफ) में 'अग्रिम जिस पर कर का भुगतान कर दिया गया है लेकिन इनवॉइस जारी नहीं किया गया है' के संबंध में अपने कर योग्य टर्नओवर को ₹ 1.19 करोड़ कम कर दिया था। जब जीएसटीआर-1 के साथ इसका मिलान किया गया, तो पाया गया कि वर्ष 2017-18 में तालिका 11 के अनुसार प्राप्त अग्रिम ₹ 0.97 करोड़ था और अग्रिमों का समायोजन ₹ 0.35 के लिए किया गया था। इस प्रकार, असमायोजित अग्रिम ₹ 0.63 करोड़ थे। हालांकि, वर्ष 2018-19 में, करदाता ने प्राप्त अग्रिम को शून्य (जीएसटीआर-1) दर्शाया था और जीएसटीआर-9 की तालिका 4एफ में अग्रिम समायोजन ₹ 1.19 करोड़ दर्शाया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 में ₹ 0.56 करोड़ का अधिक समायोजन प्राप्त किया गया। अतः, करदाता 18 प्रतिशत की दर से, अंतर वाले कर योग्य टर्नओवर पर ₹ 0.10 करोड़ का कर चुकाने के लिए उत्तरदायी था।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एकल करदाता के एक मामले में डीआरसी-01 जारी किया गया है और दूसरे करदाता के शेष मामले में नोटिस जारी किया गया था।

(ग) जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर/7जी में मिलान न किया गया टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर

जीएसटीआर-9सी हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 44 के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक मिलान विवरण है। जीएसटीआर-9सी की तालिका 5, लेखापरीक्षित

वार्षिक वित्तीय रिटर्नों में घोषित टर्नओवर और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 में घोषित टर्नओवर के बीच का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 5आर, अपेक्षित समायोजनों के बाद वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 और उस वर्ष के वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर के बीच के असमाधित टर्नओवर को कैप्चर करता है। इसी प्रकार, जीएसटीआर-9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 7जी, वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 के बीच के असमाधित कर योग्य टर्नओवर को कैप्चर करता है।

वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9सी में नियम 80 (3) के तहत अपेक्षित अनुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का विश्लेषण किया गया और लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य कर उपायुक्त, अंबाला के दो करदाताओं से संबंधित दो मामलों में जीएसटीआर-9सी (तालिका 5आर/7जी) में ₹ 30.89 करोड़ का असमाधानित टर्नओवर था (परिशिष्ट-2.22)। इन मामलों की संवीक्षा के दौरान, उचित अधिकारी द्वारा एएसएमटी-10 में यह मामला नहीं उठाया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- राज्य कर उपायुक्त, अंबाला में लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि करदाता ने जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में ₹ 19.30 करोड़ का असमाधानित टर्नओवर घोषित किया था और कंपनी ने जीएसटीआर-9सी की तालिका 6 में आपूर्ति का मूल्य ₹ 15.44 करोड़ दर्शाया और वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन में परिवर्तन का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि उसने वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू होने से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ करार किया था, इसलिए उस पर कर का प्रभाव लागू नहीं होगा।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए दोनों मामलों को पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

(घ) डी.आर.सी.-01 और डी.आर.सी.-05 के बीच अंतर

हरियाणा जी.एस.टी. रिटर्न संवीक्षा मैनुअल, एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अनुसार करदाताओं के रिटर्न की जांच के संबंध में प्रक्रियात्मक पहलुओं का प्रावधान करता है, जैसे कि नोटिस जारी करना, करदाताओं को विसंगतियों की सूचना देना, उचित अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड का सत्यापन आदि। मैनुअल के बिंदु 11(5) के अनुसार, डी.आर.सी.-01[21] में नोटिस जारी करके करदाता के विरुद्ध अधिनिर्णयन कार्यवाही की परिकल्पना की गई है। नोटिस में मामलों/विसंगतियों का विस्तृत विवरण होना चाहिए। बिंदु 13 के साथ पठित बिंदु 11(9) के अनुसार, यदि उचित अधिकारी कर, ब्याज और पेनल्टी के भुगतान सहित करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारियों से संतुष्ट है, तो इस कार्यवाही को डी.आर.सी.-05[22] में स्पष्ट आदेश जारी करके समाप्त कर दिया जाएगा।

[21] डी.आर.सी.-01 करदाता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का सारांश है।

[22] डी.आर.सी.-05 करदाता को कार्यवाही समाप्त होने की सूचना है।

राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2018-19 की अवधि के लिए एकल करदाता के तीन मामलों में, उचित अधिकारी ने दिसंबर 2023 में करदाता को डी.आर.सी.-01 जारी किया था और बाद में करदाता के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करते हुए डी.आर.सी.-05 जारी कर दिया था। हालांकि, यह देखा गया था कि डी.आर.सी.-01 में कई बिंदु उठाए गए थे जैसे कि जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-9 में देयता के अंतर पर ब्याज, जीएसटीआर-3बी को देरी से फाइल करने पर ब्याज और विलंब फीस तथा जीएसटीआर-9सी को देरी से फाइल करने पर पेनल्टी; जिनका कार्यवाही समाप्त करने से पहले डी.आर.सी.-05 में समाधान नहीं किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.07 करोड़ का कर निहितार्थ हुआ (परिशिष्ट-2.23)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2025), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत समन जारी किए गए थे।

(ङ) ब्याज का कम उद्ग्रहण

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 50 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उस अवधि के लिए, जिसके दौरान कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान नहीं किया जाता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) और सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन करदाताओं से संबंधित छः मामलों में ₹ 0.82 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ जिसका कारण या तो किसी महीने में जीएसटीआर-3बी के माध्यम से कर देयता का कम भुगतान होना या फिर उचित अधिकारी द्वारा देय ब्याज की गलत गणना करना था (परिशिष्ट-2.24)।

इन मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- राज्य कर उपायुक्त, सोनीपत में, एक करदाता के संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि उचित अधिकारी ने वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच कर देयता में अंतर, जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच प्राप्त/दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर तथा जीएसटीआर-3बी में घोषित आरसीएम कर देयता और दावा किए गए आरसीएम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच अंतर के आधार पर 21 सितंबर 2022 से 04 अगस्त 2023, अर्थात डी.आर.सी.-01 नोटिस की तिथि, तक की अवधि के लिए ब्याज उद्ग्रहित किया था। ब्याज 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करने की नियत तारीख अर्थात 05 फरवरी 2020 से उद्ग्राह्य था, जैसा कि अधिसूचना संख्या 06/2020-केंद्रीय कर, नई दिल्ली,

दिनांक 3 फरवरी, 2020 के अनुसार निर्धारित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.63 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ

- राज्य कर उपायुक्त, सोनीपत में, एक करदाता के संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता के पास मई 2018 की अवधि के लिए कर देयता का भुगतान करने के बाद, नवंबर 2018 के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ई.सी.एल.) में ₹ 0.15 करोड़ का आई.जी.एस.टी. इनपुट टैक्स क्रेडिट शेष था। जून 2018 के महीने के लिए कर देयता ₹ 0.37 करोड़ थी (आई.जी.एस.टी. ₹ 45,872, सी.जी.एस.टी. ₹ 18,47,800 और एस.जी.एस.टी. ₹ 18,47,800), जिसका भुगतान 20 जुलाई 2018 तक किया जाना था, लेकिन इसका भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से 288 दिनों की देरी से 4 मई 2019 को किया गया। ₹ 0.23 करोड़ (45,872+18,47,800+18,47,800-14,77,146) की शेष कर देयता पर 288 दिनों के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 0.03 करोड़ का ब्याज देय था।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अनुसार करदाता ने सितंबर 2018 महीने के लिए आई.जी.एस.टी.- ₹ 10,45,60,288, सी.जी.एस.टी.- ₹ 5,45,05,471 और एस.जी.एस.टी.- ₹ 5,45,05,471 के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था और इतनी ही राशि (सी.जी.एस.टी.- ₹ 5,20,84,887, एस.जी.एस.टी.- ₹ 5,20,84,887 और आई.जी.एस.टी.- ₹ 10,47,95,665) जीएसटीआर-9/3B में रिवर्स की गई थी। यह देखा जा सकता है कि 4 मई 2019 को अगस्त 2018 महीने की कर देयता का भुगतान करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में केवल ₹ 1,42,92,687 का आई.जी.एस.टी. शेष बचा था। सितंबर 2018 महीने के लिए जीएसटीआर-3बी में घोषित कर देयता के अनुसार, जिसका भुगतान 25 अक्तूबर 2018 तक किया जाना था, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से 196 दिनों की देरी से 9 मई 2019 को किया गया; कर देयता को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पर्याप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। ₹ 0.72 करोड़ (50,460+1,06,98,112+1,06,98,112-1,42,92,687) की शेष कर देयता पर 196 दिनों के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 0.07 करोड़ का ब्याज देय था।

करदाता ने वर्ष 2018-19 के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया। हालांकि, संवीक्षा के दौरान इस मामले का पता नहीं चल पाया क्योंकि करदाता को जारी किए गए फॉर्म ए.एस.एम.टी.-10 में नोटिस, फॉर्म डी.आर.सी.-01 में कारण बताओ नोटिस और फॉर्म डी.आर.सी.-05 में अंतिम आदेश में इस मामले का उल्लेख नहीं किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2025) और तीन मामलों में डी.आर.सी.-08 के माध्यम से सुधार आदेश और दो मामलों में डी.आर.सी.-01 जारी किया।

- राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) में, हालांकि करदाता से संबंधित 2018-19 के तुलनात्मक सारांश के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच समग्र कर देयता में कोई अंतर नहीं पाया गया था, फिर भी अक्तूबर 2018 में जीएसटीआर-1 (₹ 2,04,26,337) और जीएसटीआर-3बी (₹ 1,30,01,513) के बीच घोषित कर देयता में ₹ 0.74 करोड़ का अंतर था। 2018-19 के लिए इलेक्ट्रॉनिक

क्रेडिट/कैश लेजर (ई.सी.एल.) की संवीक्षा करते समय यह पाया गया था कि जीएसटीआर-3बी देयता के अनुसार ₹ 1.30 करोड़ (क्रेडिट ₹ 63,11,306.00+कैश आई.जी.एस.टी. ₹ 43,99,311.00 + सी.जी.एस.टी. ₹ 11,45,448 + एस.जी.एस.टी. ₹ 11,45,448) का भुगतान किया गया था। अक्तूबर 2018 के लिए जीएसटीआर-3बी की देय तिथि 20 नवंबर 2018 थी। समाधान के अभाव में, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में से जिसकी देयता अधिक हो, उसका भुगतान किया जाना था। अक्तूबर 2018 के अंत में ई.सी.एल. (क्रेडिट) में शून्य शेष था।

यह आगे देखा गया था कि मार्च 2019 महीने में जीएसटीआर-1 की ₹ 2.25 करोड़ की कर देयता की तुलना में जीएसटीआर-3बी की कर देयता को ₹ 3.00 करोड़ तक बढ़ाकर, ₹ 0.75 करोड़ की कुल कर देयता का समाधान किया गया था। इस मामले में उचित अधिकारी ए.एस.एम.टी.-10, डी.आर.सी.-01 और डी.आर.सी.-07 जारी करते समय इस बिंदु को उठाने में विफल रहे। अत: इसके परिणामस्वरूप, अक्तूबर 2018 से मार्च 2019 महीनों के दौरान कर देयता का कम भुगतान हुआ। मार्च 2019 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न/भुगतान 23 जुलाई 2019 को किया गया था। उपर्युक्त अधिसूचना की धारा 88बी (2) के अनुसार, ₹ 0.09 करोड़ का ब्याज उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (जून 2025) कि इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

(च) अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना

जीएसटीआर-2ए एक खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वतः जनरेट होती है, जबकि जीएसटीआर-3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें बाहरी आपूर्ति के सारांश के साथ घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर के भुगतान की घोषणा करदाता द्वारा स्वयं की जाती है। प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता की जांच करने के लिए, जीएसटीआर-2ए से संबंधित डेटा और उसमें किए गए संशोधनों की तुलना जीएसटीआर-3बी में प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी।

राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2018-19 के लिए एक करदाता द्वारा जीएसटीआर-3बी के अनुसार प्राप्त किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक था। वेब पोर्टल के माध्यम से डीलर की निर्धारण फाइल की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि तुलना पत्र के अनुसार, करदाता ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 10.93 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जबकि जीएसटीआर-2ए में ₹ 10.32 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.61 करोड़ का कुल अंतर पाया गया। हालांकि, विभाग ने जीएसटीआर-3बी-2ए में ₹ 0.59 करोड़ के अंतर के लिए नोटिस जारी किया (मार्च 2022)। वेब पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जीएसटीआर-2ए में ₹ 0.01 करोड़ का उपकर इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है, जिसका दावा करदाता द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. का वास्तविक इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 10.30 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर-3बी-2ए में ₹ 0.63 करोड़ का

वास्तविक अंतर (सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी.) हुआ। उचित अधिकारी ए.एस.एम.टी.-10 में इस बिंदु को उठाने में विफल रहे और ए.एस.एम.टी.-12 (मामला बंद) जारी कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.63 करोड़ का अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया (परिशिष्ट-2.25)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि करदाता को डी.आर.सी.-01 जारी कर दिया गया था।

2.3.9.2 रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की गई

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 68 के साथ पठित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 46 यह निर्धारित करती है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो उसे फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3ए में एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उसे 15 दिनों के भीतर रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाएगा। यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्रित की गई सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम विवेक से उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकते हैं और फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में एक निर्धारण आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसे आदेश का सारांश सिस्टम पर फॉर्म डी.आर.सी.-07 में अपलोड किया जाना चाहिए।

आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा ने ज्ञापन संख्या 45/जीएसटी-2 दिनांक 9 जनवरी 2020 के माध्यम से रिटर्न फाइल न करने वालों के मामले में पालन की जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, यदि फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में निर्धारण आदेश जारी होने की 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर उक्त रिटर्न फाइल नहीं की जाती है, तो उचित अधिकारी अधिनियम की धारा 78 के तहत कार्यवाही और धारा 79 के तहत वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि, उपयुक्त मामलों में, मामले के तथ्यों के आधार पर आयुक्त फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 जारी करने से पहले भी अधिनियम की धारा 83 के तहत राजस्व की रक्षा के लिए अनंतिम कुर्की का सहारा ले सकते हैं। रिटर्न (जी.एस.टी.आर.-3बी) फाइल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तिथि एक ही होती है, जिसका अर्थ है कि रिटर्न फाइल करने वालों के मामले में कर का भुगतान न होने का जोखिम बना रहता है। इसी प्रकार, देर से रिटर्न फाइल करने वालों के मामले में कर के विलंबित भुगतान का जोखिम होता है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए पांच राज्य कर उपायुक्तों[23] के अभिलेखों की जांच की। बावेब पोर्टल पर उपलब्ध रिटर्न फाइल न करने वालों और रिटर्न चूककर्ताओं के सर्वोत्तम विवेक निर्धारण से संबंधित एम.आई.एस. रिपोर्टों की समीक्षा की गई थी और लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि चयनित सभी पांच राज्य कर उपायुक्तों में करदाताओं को ए.एस.एम.टी.-13 में सर्वोत्तम विवेक निर्धारण आदेश जारी नहीं किए गए थे (परिशिष्ट 2.26)।

[23] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण) और सोनीपत।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि निर्माण अनुबंध सेवाओं में शामिल करदाताओं से संबंधित विशिष्ट एम.आई.एस. रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि शीर्ष करदाताओं और अन्य बड़े करदाताओं की रिटर्न फाइलिंग स्थिति की वार्ड स्तर और जिला स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही थी। पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का एक अंतर्निहित तंत्र उन लोगों के लिए मौजूद है जिन्होंने लगातार छः महीनों तक रिटर्न फाइल नहीं की है {नियम (21 एच एवं आई)}। इसके अलावा, दिनांक 01 सितंबर 2021 से नियम 56 (6) लागू है, जो दो महीने की चूक के बाद जी.एस.टी.आर.-1/आईएफएफ फाइल करने पर रोक लगाता है। नियम 138 ई (बी) के अनुसार, पिछली दो कर अवधियों तक मासिक रिटर्न फाइल न करने वाला करदाता ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान देखे गए किसी भी रेड-फ्लैग के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी। इस प्रकार, रिटर्न फाइल न करने वालों और देर से फाइल करने वालों की निगरानी के लिए एक प्रभावी और पर्याप्त तंत्र मौजूद था। विभाग का उत्तर, चूककर्ताओं को रिटर्न फाइल न करने वाले और देरी से फाइल करने वाले के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद, उनके विरुद्ध की जाने वाली प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के पहलू का समाधान नहीं करता है।

2.3.9.3 रिफंड दावों के प्रसंस्करण और भुगतान में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र

वस्तु एवं सेवा कर रिफंड को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 89 से 97ए द्वारा शासित होते है। नियम 89 (1) के तहत, धारा 55 के तहत जारी अधिसूचना में शामिल व्यक्तियों को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति जो धारा 49 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मौजूद किसी भी शेष राशि (बैलेंस) के रिफंड का दावा कर रहा है, या उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी कर, ब्याज, पेनल्टी, फीस या किसी अन्य राशि, भारत के बाहर निर्यात की गई वस्तुओं पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के रिफंड के अलावा, के लिए रिफंड का दावा करना चाहता है, वह धारा 49 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार या नियम 10बी के प्रावधानों के अधीन, कॉमन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जी.एस.टी. रिफंड-01 में आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 92 के अनुसार, रिफंड स्वीकृत करने की एकमात्र शक्ति उचित अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकारी के पास होती है।

विभागीय क्षेत्रीय इकाइयों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए चयनित सभी पांच डी.सी.एस.टी. में, लेखापरीक्षा ने वस्तु एवं सेवा कर रिफंड तंत्र से संबंधित जानकारी एवं अभिलेखों की मांग की थी कि क्या उचित अधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा एक लाख रुपये से अधिक की स्वीकृत रिफंड-06 की बाद में जांच की गई थी (परिशिष्ट-2.27)। आवश्यक विवरण या फाइलें प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई समग्र प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है और विभाग में वस्तु एवं सेवा कर रिफंड तंत्र की प्रभावशीलता की जांच नहीं कर सकी।

विभाग ने बताया कि ज्ञापन संख्या 610/जीएसटी-II दिनांक 22 नवंबर 2022 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ₹ दो करोड़ से अधिक की किसी भी रिफंड राशि को स्वीकृत करने से पहले डी.ई.टी.सी. से पूर्व-अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया है और पत्र संख्या 539/जीएसटी-II, पंचकुला दिनांक 03 जून 2024 के माध्यम से उक्त मौद्रिक सीमा को बदलकर ₹ 10 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्देश संख्या 03/2024/जीएसटी-I के माध्यम से डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) को जी.एस.टी. में अंतर-जिला संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, ताकि वे बिना किसी मौद्रिक सीमा के अन्य जिलों के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी रिफंड आदेशों बाद में लेखापरीक्षा कर सकें।

चूंकि विभागीय क्षेत्रीय इकाइयों ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान करदाताओं को जारी किए गए रिफंड का आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए लेखापरीक्षा रिफंड के मामलों का सत्यापन करने और उन पर टिप्पणी करने में असमर्थ रही।

2.3.9.4 अभिलेखों का रखरखाव

लेखापरीक्षा ने विभागीय फील्ड इकाइयों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए चुने गए सभी पांच डी.ई.टी.सी. से संबंधित मांग पत्र जारी किए (परिशिष्ट-2.28)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ई.टी.सी. ने न तो भौतिक रूप में और न ही डिजिटल रूप में ऐसे अभिलेखों का रखरखाव किया था जो आंतरिक विभागीय समीक्षा या लेखापरीक्षा के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि वस्तु एवं सेवा कर एक वेब-आधारित प्रणाली है जिसमें पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, निरसन, जांच, लेखापरीक्षा, वसूली आदि सहित सभी प्रक्रियाएं बोवेब पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती हैं और सभी संबंधित डेटा डिजिटल मोड में बोवेब पोर्टल पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, कारण बताओ नोटिस जारी करने, करदाता द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने और अंतिम निर्णय आदेश जारी करने सहित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाती हैं। विभाग ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया (जून 2025) कि अभिलेख प्रस्तुत न करने की स्थिति से बचने के लिए शीघ्र ही डी.सी.एस.टी. को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.3.10 निष्कर्ष

हरियाणा में वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) यह जांच करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या कर प्रबंधन कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं में शामिल करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रभावी था और विभाग द्वारा कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित करदाताओं की संवीक्षा और मूल्यांकन की प्रभावशीलता का आकलन किया जाना था।

12 जोखिम मापदंडों के आधार पर, आठ डी.सी.एस.टी. से 30 करदाताओं को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। हालांकि, 18 मामलों में करदाताओं के विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 37.69 करोड़ की अनियमितता/विसंगति और भुगतान न की गई कर देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच नहीं की जा सकी।

दायरा सीमित होने के बावजूद, लेखापरीक्षा में छूट और रियायती दरों का गलत तरीके से लाभ उठाने, अग्रिमों एवं अचल संपत्तियों पर कर का भुगतान न करने और ब्याज का कम भुगतान करने के ऐसे मामले सामने आए, जिनके कारण कुल ₹ 389.07 करोड़ की अनुपालन संबंधी अनियमितताएं पाई गई। लेखापरीक्षा में अनुचित जांच के मामले भी सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यात्मक लेखापरीक्षा में कर का कम भुगतान, टर्नओवर को छिपाना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान न होना और ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ, जिसकी राशि ₹ 4.83 करोड़ थी।

करदाता द्वारा नियमों का पालन न करना और विभागीय कार्रवाई में कमजोरी, सामूहिक रूप से जोखिम की संभावना वाले कार्य अनुबंध/निर्माण क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की सत्यता और कर प्रबंधन की प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं। जब तक सख्त प्रवर्तन, मजबूत आंतरिक नियंत्रण और निरंतर निगरानी के माध्यम से इनका समाधान नहीं किया जाता, तब तक ऐसी कमियां राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए जोखिम बनी रहेंगी।

2.3.11 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. *लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के विस्तृत अभिलेख प्राप्त करने और उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र स्थापित करना;*
2. *कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं के संबंध में, सभी संबंधित कर अधिकारियों द्वारा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना;*
3. *यह सुनिश्चित करना कि विभाग रिटर्न और लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता की जांच करे तथा रिटर्न में पाई गई विसंगतियों या अनियमितताओं पर उचित कार्रवाई शुरू करे; तथा*
4. *यह सुनिश्चित करना कि विभाग जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे, जिसके लिए एम.आई.एस. रिपोर्ट पहले से ही बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं।*

2.4 अंतिम स्टॉक पर कर का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अंतिम स्टॉक के संदर्भ में पांच डीलरों की बिक्रियों के विवरणों का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.67 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

30 जून 2017 को, हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम 2003 के तहत पंजीकृत डीलर, जिसके पास अंतिम स्टॉक मौजूद था लेकिन उसने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली में माइग्रेशन नहीं किया था, उसे वैट व्यवस्था के तहत अपना व्यवसाय बंद करने वाला माना जाना था। तदनुसार, पिछले सभी टैक्स क्रेडिट को हटाकर अंतिम स्टॉक पर कर लगाया जाना था, ताकि डीलर के सिस्टम से बाहर निकलने से पहले वस्तुओं पर पूर्ण वैट मूल्य की वसूली की जा सके।

कर के पुन:निर्धारण से संबंधित हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 में सितंबर 2015 में संशोधन किया गया था, ताकि उस समय सीमा को बढ़ाया जा सके जिसके भीतर कर-निर्धारण प्राधिकारी कर का पुन:निर्धारण कर सके। इसके तहत, आयुक्त को उस वर्ष की समाप्ति के आठ वर्ष पूरे होने से पहले, या उस वर्ष का निर्धारण अंतिम होने की तिथि से तीन वर्ष पूरे होने से पहले, जो भी बाद में हो, किसी भी समय पुन: निर्धारण करने की अनुमति दी गई थी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}, गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2023) से पता चला कि वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के अंत में पांच व्यापारियों ने अपने रिटर्न में ₹ 73.93 करोड़ का अंतिम स्टॉक दर्शाया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन व्यापारियों के कर का निर्धारण (जुलाई 2018 और मार्च 2021 के बीच) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 15 (4)[24] के तहत किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण आदेश पारित करते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने जी.एस.टी. पोर्टल पर इन व्यापारियों के जी.एस.टी. में माइग्रेशन को क्रॉस-चेक नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम स्टॉक पर कर नहीं लगाया गया, जिससे ₹ 6.67 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2025) और बताया कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के तहत अतिरिक्त मांग सृजित करते हुए पुन:निर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और डीलर को वैट एन-2[25] जारी कर दिया गया है तथा अंतिम परिणाम के बारे में तदनुसार अवगत करा दिया जाएगा।

---

[24] हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 15(4) के अनुसार, यदि कोई डीलर निर्धारित तिथि तक रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, या यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि रिटर्न सही और पूर्ण हैं, तो वे अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर देय कर का निर्धारण कर सकते हैं।

[25] फॉर्म वैट-एन2 एक वैधानिक नोटिस है जो कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर देयता के निर्धारण या पुन:निर्धारण के उद्देश्य से किसी डीलर को जारी किया जाता है। यह नोटिस डीलर को कानूनी रूप से बाध्य करता है कि वह स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो, और अपने अंतिम वैट रिटर्न या स्टॉक की घोषणा के समर्थन में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करे।

मामला जनवरी 2025 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और अप्रैल 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

2.5 कर की कम दर लागू करने/कर उद्ग्रहित न करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय वस्तुओं की बिक्री पर लागू कर की दर से कम दर लागू की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त, ₹ 2.47 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7, अनुसूची 'ए' से 'जी' में निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री के टर्नओवर पर कर उद्ग्रहण का प्रावधान करती है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iv) के अनुसार, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। कर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिभार और ब्याज क्रमशः हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (ए) (2 अप्रैल 2010) और हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 14 (6) के तहत उद्ग्राह्य था।

चार डी.ई.टी.सी.[26] (एस.टी.) के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से पता चला कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए 11 डीलरों से संबंधित 11 मामलों में कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2019 और मार्च 2021 के मध्य), माल की बिक्री पर लागू कर की दर से कम कर दरें[27] लागू की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.47 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (उत्तर) और कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया कि छः मामलों में पुन:निर्धारण कर दिया गया था और ₹ 3.72 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा डीलरों को वसूली के नोटिस जारी कर दिए गए थे। दो मामलों में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया कि धारा 17 के तहत पुन:निर्धारण के नोटिस जारी किए गए थे। दो मामलों में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, मेवात और फतेहाबाद ने बताया कि पुनरीक्षण कार्रवाई शुरू करने के लिए मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे। एक मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया कि डी-नोवो निर्धारण प्रक्रियाधीन था और मामले के अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को तदनुसार अवगत करा दिया जाएगा।

मामला जनवरी 2025 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और मार्च 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

[26] फरीदाबाद (उत्तर), फतेहाबाद, गुरुग्राम (पूर्व) और मेवात।

[27] 5.25 से 13.125 प्रतिशत के बजाय, पांच मामलों में 4.2 से 5.25 प्रतिशत और छः मामलों में शून्य।

2.6 अवैध 'सी' फार्मों के विरूद्ध कर की रियायती दर की अनुमति के कारण कर के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप डीलरों को अनुचित लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.93 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 8(4) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है, के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र डीलर, कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) को प्रस्तुत न करे और जिसमें प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फार्म में विवरण हों। इसके अतिरिक्त, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माना) का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) (जनवरी 2018) के अनुसार, जिन मामलों में कर निर्धारण आदेश की तिथि से या सत्यापन पत्र भेजने की तिथि से, जो भी बाद में हो, छः महीने के भीतर सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, वहां कर-निर्धारण प्राधिकारी को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर और जुर्माना उद्ग्रहण करना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से पता चला कि 2016-17 से 2017-18 के लिए डी.ई.टी.सी. (बिक्री कर), हांसी, झज्जर (बहादुरगढ़) तथा नारनौल के कार्यालय में सात मामलों में चार डीलरों ने ₹ 8.77 करोड़ की अपनी अंतर-राज्यीय बिक्री राशि पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में, डीलरों ने सात 'सी' फॉर्म[28] जमा किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने जून 2019 और मार्च 2021 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और पूर्वोक्त अनुदेशों के अनुसार सत्यापन के बिना दाखिल किए गए घोषणा-पत्रों के विरूद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दी।

जारीकर्ता प्राधिकरण (दिल्ली मूल्य वर्धित कर) की वेबसाइट पर प्रपत्रों के सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कि हांसी और नारनौल से संबंधित दो मामलों में, खरीदारी करने वाले डीलरों का पंजीकरण लेनदेन की तारीख से पहले ही निरस्त कर दिया गया था। डी.ई.टी.सी. (बिक्री कर), झज्जर (बहादुरगढ़) से संबंधित पांच मामलों में 'सी' फॉर्म रद्द या वास्तविक नहीं पाए गए। इस प्रकार, बिना उचित सत्यापन के कर की रियायती दर की अनुमति देने के परिणामस्वरूप कर के रूप में ₹ 0.98 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.93 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, हिसार, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, बहादुरगढ़ (झज्जर) तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी, नारनौल ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2025) और बताया कि झज्जर (बहादुरगढ़) और हांसी के पांच मामलों में

28 बहादुरगढ़-1, हांसी-1, झज्जर (बहादुरगढ़)-4 और नारनौल-1

₹ 3.06 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 4.09 करोड़ के कर की मांग सृजित करके पुन:निर्धारण कर दिया गया था। डीलरों को वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे और बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे। बहादुरगढ़ और नारनौल के शेष दो मामलों में, डीलर ने ओ.टी.एस. योजना का विकल्प चुना था और ₹ 5.18 लाख जमा किए थे। हालांकि, दावे के समर्थन में दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

मामला नवंबर 2024 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और फरवरी 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

2.7 अस्वीकार्य/अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप पेनल्टी सहित ₹ 2.32 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 8 (2015 में संशोधित) यह प्रावधान करती है कि एक वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल पर इनपुट टैक्स उसके ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार द्वारा सितंबर 2015 में जारी अधिसूचना के अनुसार, इनपुट टैक्स का अर्थ उस कर से है जो वास्तव में वैट डीलर को बेची गई वस्तुओं के संबंध में राज्य को भुगतान किया गया है, जिसका क्रेडिट लेने की अनुमति ऐसे डीलर को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार स्वयं द्वारा किए गए वास्तविक कर भुगतान के रूप में दी जाती है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा ने मार्च 2006 और जुलाई 2013 में निर्देश जारी किए थे कि कर के वास्तविक भुगतान के चरण तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडात्मक कार्रवाई (कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माना) का प्रावधान है।

तीन डी.ई.टी.सी. (बिक्री कर) गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (उत्तर) और मेवात के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2023 और फरवरी 2024 के मध्य) से पता चला कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने चार डीलरों से संबंधित पांच मामलों में वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2019 और मार्च 2021 के मध्य), विक्रेता डीलरों से खरीद और कर के वास्तविक भुगतान के सत्यापन के बिना ही ₹ 65.86 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित डीलरों की बिक्री/खरीद सूचियों के क्रॉस-सत्यापन पर यह पाया गया था कि तीन मामलों में विक्रेता डीलरों ने खरीदार डीलरों को की गई किसी भी बिक्री को नहीं दर्शाया था और दो मामलों में डीलरों ने परिधानों के निर्यात पर राज्य शुल्कों में छूट (आर.ओ.एस.एल.) योजना का विकल्प चुनने के कारण तथा कर-मुक्त बिक्री के विरुद्ध अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.86 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई, इसके अतिरिक्त, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अनुसार ₹ 1.67 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, पांच मामलों[29] में डी.ई.टी.सी. ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (फरवरी 2026) कि इन मामलों में ₹ 1.28 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी तथा मार्च 2025 और जनवरी 2026 के मध्य डीलरों को वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे।

मामला अप्रैल 2025 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और दिसंबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

2.8 अयोग्य डीलरों को जारी किए गए फॉर्म वैट-डी1 के विरूद्ध बिक्री की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अयोग्य डीलरों को जारी किए गए वैट-डी1 के आधार पर तीन डीलरों को रियायती बिक्री की अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.16 करोड़ की राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (2) (बी) और 7 (3) (ए) के साथ पठित नियम 17 के तहत, किसी डीलर द्वारा अपने करयोग्य टर्नओवर पर देय कर की गणना चार प्रतिशत की दर से की जाएगी, जहां तक ऐसा टर्नओवर उप-धारा (4) में वर्णित उन वस्तुओं से संबंधित है जो किसी वैट डीलर को बेची गई हैं, बशर्ते कि खरीदार डीलर निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त फॉर्म वैट-डी 1 में निर्धारित विवरणों सहित विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करे। यदि कोई पंजीकृत डीलर अपना व्यवसाय बंद कर देता है या किसी अन्य कारण से उसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाता है, तो वह तत्काल उपयोग किए गए घोषणा फॉर्मों का भाग बी प्रस्तुत करेगा और अपने पास मौजूद अप्रयुक्त फॉर्मों को संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी को सौंप देगा और यदि वह इन फॉर्मों को प्रस्तुत करने या सौंपने में विफल रहता है, तो इन्हें उसके व्यवसाय बंद होने की तिथि या पंजीकरण निरस्त होने की तिथि से, जैसा भी मामला हो, अमान्य घोषित मान लिया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), चरखी दादरी, गुरुग्राम (पूर्व) और गुरुग्राम (उत्तर) के कार्यालयों के वर्ष 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से पता चला कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन डीलरों के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के मध्य) वैट-डी1 के विरूद्ध ₹ 52.21 करोड़ की रियायती बिक्री की अनुमति दी। विभागीय पोर्टल पर सत्यापन करने पर पाया गया कि खरीदारी करने वाले डीलर खुदरा विक्रेता थे और वे व्यापारिक वस्तुओं की खरीद के लिए रियायती कर दर पर वैट-डी1 फॉर्म का उपयोग करने के पात्र नहीं थे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, फॉर्म वैट-डी1 के विरुद्ध खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अयोग्य डीलरों को जारी किए गए वैट-डी1 के विरूद्ध रियायती बिक्री की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 2.16 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

29 गुरुग्राम (पूर्व)-2, गुरुग्राम (उत्तर)-2 और मेवात-1

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, गुरुग्राम (उत्तर) ने बताया (अप्रैल 2025) कि डीलर को पुन:निर्धारण के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। आबकारी एवं कराधान अधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अप्रैल 2025) कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के तहत ₹ 2.24 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 3.60 करोड़ की मांग सृजित करके मूल आदेश का पुन:निर्धारण किया गया था और वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। आबकारी एवं कराधान अधिकारी, चरखी दादरी ने बताया (अक्तूबर 2024) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था।

मामला दिसंबर 2024 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और अप्रैल 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

2.9 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर का भुगतान न करने पर या तो ब्याज उद्ग्रहण नहीं किया या कम ब्याज उद्ग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 14 (6) यह निर्धारित करती है कि यदि कोई भी डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, इस अधिनियम के तहत उद्ग्राह्य ब्याज, कर के भुगतान न करने या देर से भुगतान करने पर लगने वाले उस कर या पेनल्टी की राशि से अधिक नहीं होगा, जिस पर ऐसा ब्याज प्रभारित है।

डी.ई.टी.सी.[30] (बिक्री कर) भिवानी, गुरुग्राम (उत्तर) और झज्जर के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से पता चला कि पांच डीलरों ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया था। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (जून 2019 और जनवरी 2020 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच मामलों में या तो ब्याज उद्ग्रहित नहीं किया या कम ब्याज उद्ग्रहित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ या कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (उत्तर) ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एक मामले में पुन:निर्धारण कर दिया गया था और डीलर ने ओ.टी.एस. योजना का विकल्प चुना था तथा ₹ 5.82 लाख जमा किए गए थे, जबकि एक अन्य मामले में डीलर को नोटिस जारी किया गया था। एक मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी, भिवानी ने स्वीकार

[30] भिवानी-1, गुरुग्राम (उत्तर)-2 और झज्जर-2

किया और बताया कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था। झज्जर के दो मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2026)।

मामला मई 2025 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और दिसंबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

अध्याय 3

स्टाम्प शुल्क

अध्याय-3

स्टाम्प शुल्क

3.1 कर प्रबंधन

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से प्राप्तियां भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 (हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए) तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अंतर्गत विनियमित की जाती हैं। अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न विलेखों/दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता उपायुक्तों (डी.सी.), तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.) तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2023-24 के दौरान राजस्व विभाग की 143 यूनिटों में से 71 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच में ₹ 314.74 करोड़ की राशि के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई। इन अभ्युक्तियों की पहचान 2,004 मामलों में की गई थी, जो **तालिका 3.1** में उल्लिखित निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	अचल संपत्ति का अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली	1,031	195.14
2.	सहयोग करार पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली	147	64.41
3.	बंधक विलेख पर स्टाम्प शुल्क की छूट के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली	158	15.27
4.	भूमि के विनिमय पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	83	12.44
5.	प्राइम खसरा भूमि की दर पर विचार न करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली	145	2.57
6.	रिलीज विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली	70	1.01
7.	विविध/अन्य अनियमितताएं	370	23.90
	योग	**2,004**	**314.74**

विभाग ने 1,991 मामलों में आवेष्टित ₹ 313.66 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो इस वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित की गई थी। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 24 मामलों में ₹ 15.55 लाख वसूल किए।

₹ 85.37 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

3.3 अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

266 दस्तावेजों में कृषि भूमि की दरों के आधार पर ₹ 49.60 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की गई थी, हालांकि, भू-अभिलेखों (जमाबंदी) से पता चला कि वे आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्लॉट/भूमि थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.08 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

हरियाणा में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 में यह प्रावधान है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अनुसार यदि पंजीकरण अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि संपत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल तथा देय उचित शुल्क के निर्धारण हेतु कलेक्टर के पास भेज सकता है।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 44 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों[1] के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2023 और अप्रैल 2024) में यह पाया गया कि 266 ऐसे दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे (अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के मध्य), जिन्हें आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक भूमि/प्लॉट के बजाय कृषि या अन्यथा[2] के रूप में कम मूल्यांकित किया गया था। कुछ मामलों में, कवर किए गए क्षेत्र के लिए स्टाम्प शुल्क या तो उद्ग्रहित नहीं किया गया था या कम उद्ग्रहित किया गया था। इन संपत्तियों का मूल्य ₹ 1,225.99 करोड़ निर्धारित किया जाना था, जिस पर ₹ 82.83 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 85.42 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की जानी अपेक्षित थी। तथापि, विभाग ने इन संपत्तियों का मूल्य ₹ 717.15 करोड़ निर्धारित किया और ₹ 48.97 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 63.19 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.08 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (₹ 33.86 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 22.33 लाख की पंजीकरण फीस) का कम उद्ग्रहण हुआ।

---

1 अंबाला कैंट, बड़खल, बादली, बादशाहपुर, बहादुरगढ़, बालसमंद, बापौली, बरवाला, बवानी खेड़ा, चरखी दादरी, छछरौली, डबवाली, ऐलनाबाद, फरीदाबाद, फर्रुखनगर, फतेहाबाद, गन्नौर, गुरुग्राम, हांसी, हरसरू, होडल, जगाधरी, झज्जर, जींद, कादीपुर, कैथल, कालका (पंचकुला), खरखौदा (सोनीपत), महेंद्रगढ़, मानेसर, नारनौल, पलवल, पानीपत, पटौदी, रादौर, राई, सढौरा, सफीदों, समालखा, सोनीपत, थानेसर, तिगांव, उकलाना और वजीराबाद।

2 'अन्यथा' का अर्थ है ऐसी संपत्तियां, जैसे कि गैर-मुमकिन, पहाड़ आदि।

यह इंगित किए जाने पर, सभी सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (मई 2023 और मार्च 2025 के मध्य) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था/भेज दिया जाएगा।

मामला नवंबर 2025 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

3.4 सहयोग करारों[3] के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

59 मामलों में सहयोग करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 30.65 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

अक्तूबर 2013 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार कोई करार, जो किसी अचल संपत्ति के निर्माण, विकास या विक्रय या हस्तांतरण (किसी भी तरीके से) हेतु प्रोमोटर या डेवलपर, किसी भी नाम से ज्ञात, को प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित हो, पर उसी दर से स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) देय होगा, जिस दर से करार में उल्लिखित संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क उद्ग्राह्य होता है। शुल्क को नवंबर 2017 में संशोधित कर संपत्ति के बाजार मूल्य या सहयोग करार में निर्धारित प्रतिफल राशि, जो भी अधिक हो, का दो प्रतिशत कर दिया गया था।

वर्ष 2020-2022 के लिए 16 सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों[4] के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2023 और फरवरी 2024) में यह पाया गया कि दिसंबर 2020 और अप्रैल 2023 के मध्य 59 सहयोग करार पंजीकृत किए गए थे और उन पर ₹ 17.99 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की गई थी। इन करारों की संवीक्षा से पता चला कि भूमि के मालिकों ने डेवलपरों को शॉप-कम-फ्लैट और आवासीय घर बनाने हेतु भूमि का कब्जा लेने का अधिकार प्रदान किया। इसलिए ये करार अधिसूचना के अनुसार स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उत्तरदायी थे। कलेक्टर द्वारा नियत दरों के अनुसार, डेवलपरों को हस्तांतरित भूमि का मूल्य ₹ 2,417.76 करोड़ परिकलित किया गया जिस पर ₹ 49.35 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। तथापि, सहयोग करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 30.65 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क. 51 विलेखों, डेवलपरों द्वारा निष्पादित सहयोग करारों, में सब-रजिस्ट्रारों ने भूमि का मूल्यांकन कम दरों पर किया। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि यह प्रतिफल

---

[3] सहयोगात्मक या सहकारी आधार पर वाणिज्यिक परियोजना पर एक साथ काम करने के इच्छुक कम से कम दो दलों के बीच एक करार। करार में पार्टियों के कामकाजी संबंधों के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों को शामिल किया गया है जिसमें जिम्मेदारियों का आबंटन और उस कार्य से प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारा शामिल है।

[4] बादशाहपुर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, फर्रुखनगर, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हरसरू, कादीपुर, कालका, मानेसर, सिरसा, सोहना, सोनीपत, थानेसर, तिगांव और वजीराबाद।

(तय मूल्य) के विलेख में दिखाए गए मूल्य से अधिक होने, भूमि के आर-जोन में आने के कारण बाजार मूल्य के विलेख मूल्य से अधिक होने और प्लॉटेड, ग्रुप हाउसिंग या वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त भूमि के लिए निर्धारित दरों के बजाय कृषि दरों को अपनाने के कारण हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.38 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

ख. आठ मामलों में, सहयोग करार को गलत तरीके से साधारण करार के रूप में वर्गीकृत किया गया था और ₹ 2,613 के स्टाम्प शुल्क के साथ पंजीकृत किया गया, जिससे ₹ 2.27 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सभी सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (मार्च 2025 और फरवरी 2026 के मध्य) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था/भेज दिया जाएगा।

मामला दिसंबर 2025 में विभाग को संदर्भित किया गया था और सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2026)।

3.5 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण और बंधक विलेख का गलत वर्गीकरण

53 दस्तावेजों में, बंधक विलेख पंजीकृत किए गए थे, जिनमें स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस या तो कम प्रभारित की गई थी या बिल्कुल भी प्रभारित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.43 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, 10 दस्तावेजों के मामले में, साधारण बंधक दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 50.27 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। इस प्रकार, ₹ 9.93 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ/कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) की धारा 2 (17) यह प्रावधान करती है कि बंधक विलेख के अंतर्गत ऐसा प्रत्येक दस्तावेज शामिल है, जिसके द्वारा ऋण के रूप में दी गई या दी जाने वाली अग्रिम राशि, अथवा वर्तमान या भविष्य के ऋण, अथवा किसी वचन के निष्पादन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट संपत्ति पर या उसके संबंध में अधिकार हस्तांतरित करता है या सृजित करता है। इसके अतिरिक्त, धारा 29 यह प्रावधान करती है कि बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-ए के अनुसार उद्ग्रहित किया जाएगा और इसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो ऐसे दस्तावेज को तैयार, निर्मित या निष्पादित कर रहा हो। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि सरकार द्वारा, सरकार की ओर से, या सरकार के पक्ष में निष्पादित किसी भी दस्तावेज के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।

i) सत्रह[5] संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों/सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच (जून 2023 और मार्च 2024 के मध्य) में यह पाया गया कि फरवरी 2021 और नवंबर 2023 के मध्य पंजीकृत किए गए 53 बंधक विलेखों में, पंजीकरण प्राधिकारी ने दस्तावेजों को बैंक गारंटी के साथ साधारण बंधक[6] के रूप में पंजीकृत किया और इसे सरकार अर्थात नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हरियाणा के साथ किया गया बंधक मानते हुए ₹ 0.29 लाख का स्टाम्प शुल्क (₹ 100 से ₹ 20,000 के मध्य) और ₹ 1.13 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की। हालांकि, ₹ 613.62 करोड़ की बैंक गारंटी के मूल्यांकन पर ₹ 9.44 करोड़ (स्टाम्प शुल्क: ₹ 9.20 करोड़ और पंजीकरण फीस: ₹ 0.24 करोड़) का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.43 करोड़ (स्टाम्प शुल्क: ₹ 9.20 करोड़ एवं पंजीकरण फीस: ₹ 0.23 करोड़) के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ/कम उद्ग्रहण हुआ।

ii) पांच[7] संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों/सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच (जुलाई 2023 और फरवरी 2024 के मध्य) में यह पाया गया कि पंजीकरण प्राधिकारी ने फरवरी और जून 2023 के मध्य दस्तावेजों का पंजीकरण करते समय, साधारण बंधक को साम्यापूर्ण बंधक[8] के रूप में गलत वर्गीकृत किया और ₹ 64.72 लाख के उद्ग्राह्य स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के स्थान पर ₹ 14.11 लाख का उद्ग्राह्य स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.61 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (नवंबर 2023 और मार्च 2025 के मध्य) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था/भेज दिया जाएगा।

मामला मई 2025 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को संदर्भित किया गया था और सितंबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

---

5 बादशाहपुर, बहादुरगढ़, छछरौली, फरीदाबाद, फर्रुखनगर, गुरुग्राम, हरसरू, जगाधरी, कादीपुर, खरखौदा, मानेसर, पानीपत, राई, सांपला, सोहना, सोनीपत और वजीराबाद।

6 ऐसा बंधक जिसमें उधारकर्ता संपत्ति का कब्जा अपने पास रखता है, लेकिन ऋण को व्यक्तिगत रूप से चुकाने का वचन देता है। यदि उद्धारकर्ता भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता संपत्ति को बेच सकता है और बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग ऋण की वसूली के लिए कर सकता है (संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58(बी))।

7 फरीदाबाद, गुरुग्राम, जगाधरी, पानीपत और सोनीपत।

8 वह बंधक जिसमें एक ऋणकर्ता किसी ऋण की सुरक्षा के रूप में उपयोग करने के इरादे से अचल संपत्ति का मूल मालिकाना हक ऋणदाता को सौंप देता है (संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58 (एफ))।

3.6 गैर-वास्तविक डिक्रियों को वास्तविक मानते हुए स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

24 समझौता डिक्रियां[9], जो वास्तविक[10] नहीं थी, नाममात्र स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस प्रभारित करके पंजीकृत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट हुई।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अंतर्गत, न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश का, या पंचाट का अंतरण या समनुदेशन करने वाली गैर-वसीयतनामा[11] लिखत जबकि ऐसी डिक्री या आदेश या पंचाट से यह तात्पर्यित हो या उसका प्रवर्तन ऐसा हो कि वह अचल संपत्ति पर या अचल संपत्ति में ₹ 100 या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित हो या समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में, सृष्ट, घोषित, परिसीमित या निरवापित करती हो, अनिवार्य पंजीकरण योग्य दस्तावेज है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सितंबर 1996 में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि समझौता डिक्री के आधार पर पंजीकृत उत्परिवर्तित संपत्ति, जो कि वास्तविक नहीं थी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 23ए अनुसार हस्तांतरण दस्तावेज के रूप में प्रभारित किए जाने हेतु देय थी। सब-रजिस्ट्रारों को प्रत्येक दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच करने के के निर्देश दिए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टाम्प शुल्क के अपवंचन का जानबूझकर कोई प्रयास नहीं किया गया था और उस पर अधिनियम के अंतर्गत उचित रूप से स्टाम्प लगाई गई थी। इस प्रकार, एक समझौता डिक्री, जो वास्तविक नहीं है, हस्तांतरण दस्तावेज के रूप में प्रभारित किए जाने के लिए देय है।

चार[12] सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई और दिसंबर 2023 के मध्य) से पता चला है कि सितंबर 2021 और मार्च 2023 के मध्य पंजीकृत अचल संपत्तियों के 24 विलेख, न्यायालय के आदेश द्वारा वादी के पक्ष में हस्तांतरित किए गए थे। पंजीकरण प्राधिकारी ने ₹ 70.03 करोड़ के कुल प्रतिफल पर मात्र ₹ 38,000 का मामूली स्टाम्प शुल्क और ₹ 2,400 की पंजीकरण फीस प्रभारित कर विलेखों को वास्तविक मानकर पंजीकृत कर दिया। यद्यपि इन विलेखों में भूमि डिक्री के माध्यम से वादी को हस्तांतरित की गई थी। ये समझौता डिक्रियां, जो वास्तविक नहीं थी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-ए के अनुसार विलेख या हस्तांतरण के रूप में स्टाम्प शुल्क हेतु प्रभार्य थी। अतः, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-ए के अनुसार ₹ 4.90 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 4.81 करोड़ + पंजीकरण फीस: ₹ 9.50 लाख) उद्ग्राह्य थी। पंजीकरण प्राधिकारी ने सितंबर 1996 के उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया और तथ्यों के सत्यापन

---

[9] आपसी सहमति से संपत्ति का निपटान।

[10] गैर-वास्तविक डिक्री वह डिक्री है जो अधिकार का वास्तविक न्यायनिर्णय नहीं है, अर्थात खून के रिश्ते से बाहर का निर्णय।

[11] गैर-वसीयतनामा दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उपयोग अचल संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है।

[12] गोहाना, जगाधरी, राई और वजीराबाद।

के बिना ही स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से छूट की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.90 करोड़ (₹ 4.80 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 9.48 लाख की पंजीकरण फीस) के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट दी गई।

यह इंगित किए जाने पर, सभी सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (मई और दिसंबर 2024 के मध्य) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था।

मामला मई 2025 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को संदर्भित किया गया था और अक्तूबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट

पंजीकरण प्राधिकारियों ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को गलत तरीके से सरकारी संस्था मानते हुए ₹ 2.18 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से छूट की अनुमति दी।

हरियाणा राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) की धारा 3(1) में निहित प्रावधान के अनुसार, सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी दस्तावेज के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। यद्यपि, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों या स्वायत्त निकायों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर विशिष्ट छूट/छूट के लिए अधिनियम/नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

चार संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों[13] के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 14 विक्रय विलेख पंजीकृत किए गए थे (अप्रैल 2022 और मार्च 2023), जिनमें भूमि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के पक्ष में पंजीकृत की गई थी और उन्हें स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से छूट दी गई थी। स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण हेतु इन अचल संपत्तियों का कुल मूल्य ₹ 42.29 करोड़ था, जिस पर ₹ 2.11 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 0.07 करोड़ की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी, क्योंकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.18 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों/सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (मई और जुलाई 2024 के मध्य) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु संबंधित कलेक्टरों के पास भेज दिया गया था।

मामला नवंबर 2024 में विभाग को संदर्भित किया गया था और जनवरी 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

---

[13] बादशाहपुर, कादीपुर, मानेसर और वजीराबाद।

3.8 कृषि भूमि के विनिमय पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने भूमि विनिमय के 32 विलेखों को पंजीकृत करते समय ₹ 16.10 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की, हालांकि, इन पर ₹ 1.92 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्राहय थी क्योंकि भूमि का विनिमय अलग-अलग राजस्व संपदाओं या आवासीय भूमि के अंतर्गत आता था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प (आई.एस.) अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए (अनुच्छेद 31) के अनुसार, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, दो पक्ष अपनी अचल संपत्तियों का विनिमय कर सकते हैं और इसे 'विनिमय' श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है, जिस पर हस्तांतरण संख्या 23 के अनुसार संपत्ति के अधिकतम मूल्य पर समान दर से स्टाम्प शुल्क उद्ग्राहय होगा। इसके अतिरिक्त, 10 अगस्त 2021 की अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सरकार ने कृषि भूमि अर्थात आबी, बरानी, चाही और नहरी भूमि[14] वाली कृषि योग्य भूमि के विनिमय के विलेखों पर देय शुल्क को इस शर्त के अधीन कम कर दिया कि कृषि भूमि का विनिमय एक ही राजस्व संपदा में होना चाहिए और पंजीकरण के प्रत्येक विलेख पर ₹ 5,000 की मामूली दर से शुल्क प्रभार्य होगा।

नौ सब-रजिस्ट्रारों[15] के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से यह पता चला कि दिसंबर 2021 और मार्च 2023 के मध्य 32 विनिमय विलेख पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्राधिकारियों ने इन विनिमय भूमियों का पंजीकरण करते समय भूमि को एक ही राजस्व संपदा में अथवा कृषि भूमि माना और ₹ 16.10 लाख (स्टाम्प शुल्क: ₹ 8.06 लाख एवं पंजीकरण फीस: ₹ 8.04 लाख) का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की। हालांकि, ₹ 1.92 करोड़ (स्टाम्प शुल्क: ₹ 1.83 करोड़ एवं पंजीकरण फीस: ₹ 0.09 करोड़) का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उच्च दरों पर उद्ग्राहय थी क्योंकि भूमि का विनिमय अलग-अलग राजस्व संपदाओं या आवासीय भूमि के अंतर्गत आता था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (मई 2024 और फरवरी 2025 के मध्य) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए[16] के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था/भेज दिया जाएगा।

मामला अप्रैल 2025 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को संदर्भित किया गया था और अगस्त 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

---

[14] आबी भूमि: नहरों और कुओं के अलावा अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि, बरानी भूमि: वह भूमि जो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होती है, चाही भूमि: वह भूमि जिसकी सिंचाई कुओं के माध्यम से की जाती है, और नहरी भूमि: वह भूमि जिसकी सिंचाई नहर के पानी से की जाती है।

[15] बादशाहपुर, फतेहाबाद, गन्नौर, गोहाना, जगाधरी, मानेसर, पलवल, राई और वजीराबाद।

[16] यदि पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत किसी पंजीकरण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि दस्तावेज में संपत्ति का मूल्य या प्रतिफल सही ढंग से नहीं बताया गया है, तो वे पंजीकरण के बाद भी उचित मूल्यांकन और सही निर्धारण के लिए मामले को कलेक्टर को भेज सकते हैं।

3.9 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

खून के रिश्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण विलेखों के 21 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 99.55 लाख के राजस्व की हानि हुई।

राज्य सरकार के पास सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 9 के अनुसार शुल्कों को कम करने, माफ करने या संयोजित करने की शक्ति है। सरकार के 16 जून 2014 के आदेश के अनुसार सरकार, दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को माफ[17] कर देगी, यदि यह मालिक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान परिवार के अंदर अचल संपत्ति[18] को माता-पिता, बच्चों, पोते-पोतियों, भाई (यों), बहन (नों) और पति या पत्नी के मध्य जैसे किसी भी खून के रिश्तों में हस्तांतरित करने से संबंधित है। यद्यपि, अन्य हस्तांतरण विलेखों के मामले में, स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनुसूची-I में लागू स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण जारी रहेगा।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 13 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों[19] के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2023 और मार्च 2024) से पता चला कि हस्तांतरण विलेखों के 21 दस्तावेजों, जो सरकार के उपर्युक्त आदेशों में अनुमत रक्त संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए थे, में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की छूट दी गई थी। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 99.55 लाख (स्टाम्प शुल्क: ₹ 92.91 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 6.64 लाख) के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सात सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों[20] ने बताया (जुलाई 2023 और मार्च 2024) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु संबंधित कलेक्टर के पास भेज दिया जाएगा। चार संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों[21] ने बताया (जुलाई और अक्तूबर 2024) कि सभी मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था। संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, बड़खल और गोहाना के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मामला फरवरी 2025 में विभाग को संदर्भित किया गया था और मार्च 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

---

17 'छूट' से तात्पर्य है दिनांक 16 जून 2014 के सरकारी आदेश में उल्लिखित खून के रिश्तों के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ करना।

18 पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 2(6) के अनुसार, 'अचल संपत्ति' के अंतर्गत भूमि, भवन, वंशानुगत भत्ते, मार्ग के अधिकार, प्रकाश, घाट, मत्स्य पालन, या भूमि से उत्पन्न होने वाला कोई अन्य लाभ, और पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजें, या ऐसी किसी भी चीज के साथ स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें जो पृथ्वी से जुड़ी हैं, शामिल हैं; लेकिन इसमें खड़े पेड़, उगती फसलें और घास शामिल नहीं हैं।

19 बड़खल, बल्लभगढ़, डबवाली, ऐलनाबाद, गोहाना, होडल, जगाधरी, जींद, मोहना, पंचकुला, पानीपत, सफीदों और सोहना।

20 बल्लभगढ़, डबवाली, ऐलनाबाद, होडल, जींद, मोहना और सफीदों।

21 जगाधरी, पंचकुला, पानीपत और सोहना।

3.10 प्राइम खसरा भूमि पर नॉन-प्राइम दर लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि हेतु नियत सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.54 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, किसी भी दस्तावेज पर शुल्क की प्रभार्यता या शुल्क की राशि को प्रभावित करने वाले प्रतिफल, यदि कोई हो, तथा अन्य सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों का उसमें पूर्ण और सत्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने अनुदेशों के अंतर्गत (नवंबर 2000) राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों एवं लिंक सड़कों पर स्थित कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक भूमि की खसरा संख्या की पहचान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने सितंबर 2013 में राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को एफ.सी.आर. स्थायी आदेश संख्या 74 जारी किया था, जिसके अंतर्गत पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए समय-समय पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संपत्तियों के न्यूनतम बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए 'मूल्यांकन समितियों' का गठन किया गया। इन दरों की एक प्रति विभाग द्वारा पंजीकरण प्राधिकारियों को प्रदान की गई। 'मूल्यांकन समितियों' ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्राइम भूमि के लिए अलग-अलग दरें तय की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्राइम और नॉन-प्राइम भूमि के लिए कलेक्टर दरें अलग-अलग निर्धारित की जाती हैं।

पांच संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों[22] के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2023 तथा मार्च 2024 के मध्य) से पता चला कि जून 2021 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान कृषि भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर बिक्री के लिए 20 हस्तांतरण विलेख पंजीकृत किए गए थे। हालांकि, भू-राजस्व अभिलेखों के अनुसार इन विलेखों के खसरा उच्च भूमि दरों वाले प्राइम खसरा थे, इनमें शामिल भूमि के लिए कलेक्टर दर ₹ 10.93 करोड़ थी जिस पर ₹ 73.90 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 68.25 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 5.65 लाख) उद्ग्राहय थी। संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने इस भूमि का मूल्यांकन सामान्य खसरा के लिए निर्धारित दरों पर ₹ 6.69 करोड़ किया और ₹ 45.36 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 41.86 लाख + पंजीकरण फीस ₹ 3.50 लाख) उद्गृहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.54 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (मई 2023 और जनवरी 2025 के मध्य) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था/भेज दिया जाएगा।

मामला मई 2025 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को संदर्भित किया गया था और अक्तूबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

[22] अंबाला कैंट, बेरी, हिसार, जगाधरी और तोशाम।

3.11 विक्रय विलेखों को हस्तांतरण विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

आठ दस्तावेजों में, विलेखों का मूल्य कॉलोनाइजर/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के बीच तय की गई मूल लेनदेन राशि के अनुसार निर्धारित किया गया था और एक मामले में, भूमि का लाइसेंस नहीं था, हालांकि, इन दस्तावेजों का मूल्यांकन कलेक्टर दर के अनुसार किया जाना अपेक्षित था। विक्रय विलेखों को हस्तांतरण विलेखों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप ₹ 18.44 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफ.सी.आर.) द्वारा मई 1998 और उसके बाद जुलाई 2012 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, कॉलोनाइजर/हुडा और मूल आवंटी के बीच होने वाले प्रथम लेनदेन का पंजीकरण कॉलोनाइजर/हुडा द्वारा ली गई मूल विक्रय कीमत के आधार पर किया जाना अपेक्षित है और इसके बाद होने वाले लेनदेनों के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि, यदि मूल आवंटी के स्थान पर किसी नामित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो कॉलोनाइजर/हुडा द्वारा किए गए प्रथम लेनदेन के लिए भी पंजीकरण हेतु कलेक्टर दर लागू की जा सकती है।

सब-रजिस्ट्रार बड़खल, फरीदाबाद और राई के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के मध्य) में यह पता चला कि अगस्त 2021 और जनवरी 2023 के बीच पंजीकृत नौ हस्तांतरण विलेखों का मूल्यांकन कॉलोनाइजर/हुडा द्वारा प्रभारित मूल विक्रय मूल्य के आधार पर ₹ 2.85 करोड़ किया गया था और ₹ 18.20 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 1.49 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की गई थी। आठ मामलों में, कॉलोनाइजर/हुडा ने अपार्टमेंट/संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति (दूसरे आवंटी) के पक्ष में हस्तांतरित की थी और एक मामले में भूमि लाइसेंसप्राप्त नहीं थी। अतः, इन विलेखों के पंजीकरण के समय प्रचलित कलेक्टर दर पर विक्रय विलेखों का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित था। इन विलेखों का मूल्य ₹ 5.58 करोड़ निर्धारित किया जाना अपेक्षित था और कलेक्टर दर के अनुसार ₹ 35.63 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 2.50 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार, विक्रय विलेख के हस्तांतरण विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 18.44 लाख (स्टाम्प शुल्क ₹ 17.43 लाख + पंजीकरण फीस ₹ 1.01 लाख) के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी सब-रजिस्ट्रारों ने फरवरी और सितंबर 2024 के मध्य बताया कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया जाएगा/भेज दिया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पंजीकरण प्राधिकारियों ने जुलाई 2012 में जारी स्पष्टीकरण का अनुपालन नहीं किया था और हस्तांतरण विलेख इन तथ्यों की पुष्टि किए बिना पंजीकृत किए गए थे कि भविष्य के सभी लेन-देन के लिए कलेक्टर दर को ध्यान में रखा जाना था।

मामला मार्च 2025 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को संदर्भित किया गया था और सितंबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

3.12 बिक्री करार के संदर्भ में अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने पक्षकारों के मध्य सहमत मूल्य की तुलना में तीन हस्तांतरण विलेखों का कम मूल्यांकन किया। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 16.94 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) की धारा 27 निर्धारित करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए।

संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, बादशाहपुर, गुरुग्राम और सोनीपत के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सितंबर 2021 और अगस्त 2022 के बीच पंजीकृत तीन हस्तांतरण विलेखों में, ₹ 1.37 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों के बिक्री विलेख पर ₹ 6.48 लाख (स्टाम्प शुल्क: ₹ 5.98 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 0.50 लाख) का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की गई थी। संबंधित पक्षों के बीच निष्पादित अनुबंधों और विलेख राइटरों के अभिलेखों के साथ सितंबर 2004 और जुलाई 2021 के बीच इन बिक्री विलेखों के क्रॉस सत्यापन से पता चला कि कुल बिक्री मूल्य ₹ 3.18 करोड़ था, जिस पर ₹ 23.42 लाख (स्टाम्प शुल्क: ₹ 22.27 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 1.15 लाख) का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी।

इस प्रकार, हस्तांतरण विलेख पक्षकारों के मध्य सहमति से कम कीमत पर निष्पादित और पंजीकृत किए गए थे। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 16.94 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (अक्तूबर 2023 और जनवरी 2025 के मध्य) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था।

मामला फरवरी 2025 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को संदर्भित किया गया था और मार्च 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

3.13 पट्टा विलेखों पर वार्षिक औसत किराए की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने पट्टा विलेखों पर वार्षिक औसत किराए की गलत गणना के आधार पर ₹ 62.36 लाख के उद्ग्राह्य स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की बजाय ₹ 49.04 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.32 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-ए का अनुच्छेद 35, पट्टा विलेख पर निर्धारित दरों[23] के अनुसार, या आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने, प्रीमियम या अग्रिम की राशि या मूल्य के बराबर प्रतिफल और पट्टे की अवधि के आधार पर स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रावधान करता है।

छः सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों[24] के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2023 से मार्च 2024) में यह पता चला कि सितंबर 2021 से फरवरी 2023 के दौरान 10 पट्टा[25] दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे। इन विलेखों का मूल्यांकन औसत वार्षिक किराए के आधार पर ₹ 17.69 करोड़ किया जाना था, जिस पर ₹ 59.14 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 3.22 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। हालांकि, औसत वार्षिक किराए का गलत ढंग से मूल्यांकन ₹ 14.12 करोड़ किया गया और ₹ 46.64 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 2.40 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रहित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.32 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी संबंधित सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (सितंबर 2023 और जनवरी 2025 के मध्य) कि इन मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था/भेज दिया जाएगा।

मामला मार्च 2025 में विभाग को संदर्भित किया गया था और अप्रैल 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

---

23 स्टाम्प शुल्क की दर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 1.5 प्रतिशत, 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की अवधि के लिए 3 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत, 20 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष तक की अवधि के लिए 9 प्रतिशत और 30 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत है।

24 बादशाहपुर, डबवाली, फर्रुखनगर, नांगल चौधरी, राई और रोहतक।

25 तीन से 95 वर्ष के बीच की अवधि के लिए।

3.14 मुआवजे की राशि से खरीदी गई अचल संपत्तियों के मामले में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट

उन किसानों को अनियमित छूट दी गई जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और जिन्हें जनवरी 2014 के बाद मुआवजा दिया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.73 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के राजस्व की हानि हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 2010 में जारी सरकारी आदेश के अनुसार, सरकार किसानों द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों के संबंध में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की छूट देती है, जिनकी भूमि हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित की थी और जिन्होंने मुआवजा प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर राज्य में कृषि भूमि खरीदी। छूट केवल मुआवजा राशि तक सीमित होगी और नियमानुसार कृषीय भूमि की खरीद में शामिल अतिरिक्त राशि पर स्टाम्प शुल्क उद्ग्राहय होगा।

इसके अतिरिक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अक्तूबर 2019 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण के लिए धारा 4 और 6 के तहत वैधानिक कार्यवाही 1 जनवरी 2014 से काफी पहले शुरू की गई थी और बढ़ा हुआ मुआवजा 1 जनवरी 2014 से या उसके बाद दिया गया/स्वीकार्य था, वहां भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (आरएफसीटी एलएआरआर एक्ट), 2013 की धारा 24(1) (ए) के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2010 (आर एंड आर नीति दिनांक 9 नवंबर 2010) का कोई अन्य अतिरिक्त लाभ स्वीकार्य नहीं है।

संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, चरखी दादरी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक मामले में भूमि मुआवजे की राशि, जो फरवरी 2021 में प्राप्त हुई थी, से खरीदी गई थी और उपर्युक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कोई छूट लागू नहीं थी। विलेख का मूल्यांकन ₹ 1,70,53,125 किया जाना था और छः प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की राशि ₹ 10.73 लाख (स्टाम्प शुल्क: 10.23 लाख + पंजीकरण फीस: 0.50 लाख) थी। हालांकि, विभाग ने कोई स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.73 लाख की अनियमित छूट दी गई।

यह इंगित किए जाने पर, संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, चरखी दादरी ने बताया (फरवरी 2026) कि इस मामले को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेजा गया है।

मामला फरवरी 2025 में विभाग को संदर्भित किया गया था और मार्च 2025 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

अध्याय 4

वाहनों पर कर

अध्याय-4

वाहनों पर कर

4.1 कर प्रबंधन

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कंडक्टर लाईसेंसों का निर्गम, टोकन टैक्स, परमिट फीस तथा लाईसेंस फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.), हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी (आर.एल.ए.) की शक्तियों का प्रयोग सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.) द्वारा किया जा रहा है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2023-24 के दौरान, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों की 22 में से 13 इकाइयों और पंजीकरण प्राधिकरण (एम.वी.), अपर मुख्य सचिव (परिवहन विभाग) तथा राज्य परिवहन आयुक्त, चंडीगढ़ की 74 में से 22 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच में माल ढोने वाले वाहनों, मैक्सी/मोटर कैब, शैक्षिक/संस्थागत बसों से मोटर वाहन कर (एम.वी.टी.) की वसूली न होना या कम होना, ओवरलोड वाहनों से जुर्माना वसूल न करना और सरकारी खजाने में राजस्व प्राप्तियों का जमा न होना या कम जमा होना और अन्य अनियमितताओं का पता चला, जिनमें ₹ 13.95 करोड़ के 3,185 मामले शामिल हैं, जिन्हें **तालिका 4.1** में दर्शाई गई निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों को जमा न करना/कम जमा करना	5	5.44
2.	मालवाहक वाहनों/संस्थागत बसों/मैक्सी/मोटर कैब और स्टेट कैरिज बसों से मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली	2,135	5.11
3.	ओवरलोडिड वाहनों से जुर्माने की अवसूली	223	1.03
4.	राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों से नवीनीकरण प्राधिकार/समेकित शुल्क का संग्रह न किया जाना	125	0.44
5.	पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अंतर्गत मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली	40	0.27
6.	विविध अनियमितताएं	657	1.66
	योग	**3,185**	**13.95**

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 3,163 मामलों में ₹ 13.95 करोड़ के मोटर वाहन कर अवसूली/कम वसूली और अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभाग ने वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 16 मामलों में ₹ 3.25 लाख की वसूली की।

₹ 8.17 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.3 सरकारी प्राप्तियों का संदिग्ध दुर्विनियोग

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकुला में नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ के सरकारी धन का संदिग्ध दुर्विनियोग हुआ।

हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 2.1 (बी) में प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से अपने हाथों से लेन-देन होने वाले धन के लिए तथा संबंधित खाते में प्राप्तियों और भुगतानों के त्वरित अभिलेख रखने के साथ-साथ खाते की हर तरह से शुद्धता के लिए भी उत्तरदायी है। हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 2.2 और 2.4 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि सभी मौद्रिक लेन-देन के घटित होते ही वे रोकड़ बही में दर्ज किए जाएं और उनके द्वारा सत्यापित किए जाएं। उपर्युक्त नियम 2.4 यह भी प्रावधान करता है कि कार्यालय प्रमुख को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिन के दौरान एकत्र की गई सभी विभागीय प्राप्तियां उसी दिन या अगले दिन सुबह खजाना/बैंक में जमा करा दी जाएं।

पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 2.2 (iii) के अनुसार, कार्यालय प्रमुख से यह अपेक्षित है कि वह रोकड़ बही की सभी प्रविष्टियों और उनके योग को सत्यापित करे तथा यह प्रमाणित करने के लिए अपने लघु हस्ताक्षर करे कि सभी प्रविष्टियां सही हैं। नियम 2.2 (v) के अनुसार, पिछले महीने के दौरान किए गए सभी प्रेषणों के लिए अगले महीने की 15 तारीख तक खजाना से एक समेकित रसीद प्राप्त की जानी चाहिए और सत्यापन करने से पूर्व खजाना अधिकारी या बैंक की रसीद या चालान या पासबुक के माध्यम से किए गए भुगतानों का रोकड़ बही की प्रविष्टियों के साथ मिलान किया जाना चाहिए तथा स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि राशि वास्तव में खजाना या बैंक में जमा कर दी गई है। महानिदेशक, खजाना एवं लेखा, हरियाणा, चंडीगढ़ ने भी जनवरी 2017 में यह निर्देश दिया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी मासिक आधार पर ई-जीआरएएस पोर्टल पर उपलब्ध एक निश्चित अवधि की सभी प्राप्तियों का तिथि-वार सत्यापन करेंगे और उन्हें संबंधित खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी को ऑनलाइन भेजेंगे जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्ति के उपरांत मॉड्यूल में वास्तविक

समय के आधार पर इनका सत्यापन करेंगे। विभाग/आहरण एवं संवितरण अधिकारी सत्यापित सीटीआर रसीद का प्रिंट लेंगे और उसे अपने हस्ताक्षर तथा संबंधित खजाना अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर अपने मुख्यालय भेजेंगे।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकुला के अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त से सितंबर 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

(i) लेखापरीक्षा के दौरान दैनिक संग्रह रजिस्टर, समेकित खजाना रसीद रजिस्टर, रसीद पुस्तिकाओं और रोकड़ बही से यह देखा गया कि अप्रैल 2020 से अगस्त 2023 की अवधि के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न फीस एवं करों[1] के रूप में ₹ 4.94 करोड़ की राशि एकत्र की गई थी। इन संग्रहों को रोकड़ बही में दर्ज किया गया था और उक्त राशि के ई-चालान भी तैयार किए गए थे। हालांकि, संग्रह के तीन वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उक्त राशि को खजाना/सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था। खजाना एवं लेखा, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के साथ जी.आर.एन. नंबरों के सत्यापन के दौरान, राज्य सरकार के ई-ग्रास पोर्टल पर इन चालानों की स्थिति लंबित पाई गई। नियंत्रक अधिकारी ने अप्रैल 2020 से मार्च 2023 की अवधि के लिए दैनिक संग्रह रजिस्टर की न तो जांच की और न ही उस पर हस्ताक्षर किए, तथा न ही खजाना रसीद के साथ दैनिक संग्रह रजिस्टर की प्रविष्टियों का क्रॉस-सत्यापन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.94 करोड़ के संदिग्ध गबन का मामला सामने आया।

(ii) इसके अतिरिक्त, जुलाई 2020, अगस्त 2020 और अप्रैल 2021 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि आठ मामलों में, दैनिक संग्रह रजिस्टर के अनुसार विभाग द्वारा प्राप्त राशि ₹ 38.66 लाख थी। रोकड़ बही/दैनिक संग्रह रजिस्टर के योग के आधार पर, इसके एवज में केवल ₹ 14.70 लाख की राशि ही खजाने में जमा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.96 लाख का कम प्रेषण हुआ।

(iii) लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 70 मामलों में, विभाग द्वारा ई-चालान पोर्टल पर 332 चालानों के बदले ₹ 1.33 करोड़ (₹ 132.82 लाख) की राशि प्राप्त की गई थी, जबकि वास्तव में ₹ 107.30 लाख की राशि के कुल 279 चालान ही रोकड़ बही में दर्ज किए गए और

[1] मोटर वाहन कर, परमिट फीस, वाहन पंजीकरण फीस, लाइसेंस फीस, एच.एस.आर.पी. प्लेट फीस, अपराधों के लिए शुल्क और पेनल्टी, वाहन फिटनेस फीस, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल फीस और प्रदूषण फिटनेस केंद्र फीस।

सरकारी खजाने में जमा किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.52 लाख की सरकारी प्राप्ति का लेखा-जोखा न रखने के कारण राज्य सरकार के साथ इस राशि के संदिग्ध गबन का मामला सामने आया।

इस प्रकार, नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ की सरकारी राशि का संदिग्ध गबन हुआ। आंतरिक नियंत्रण की यह कमी भारी मात्रा में प्राप्त राशि, कैश बुक में उनके उचित लेखांकन और सरकारी खाते में जमा करने से संबंधित गंभीर कदाचार का कारण बन सकती है। सरकार को गबन के ऐसे मामलों की रोकथाम, पहचान और रिपोर्टिंग के लिए तत्काल उपयुक्त नियंत्रण उपाय लागू करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त 2023), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकुला ने सूचित किया (जुलाई 2024, जून 2026) कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अगस्त 2023 में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई थी और मामला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला की अदालत में विचाराधीन है।

मामला अप्रैल 2025 में आयुक्त, परिवहन विभाग के पास भेजा गया था और जुलाई 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

4.4 मालवाहक वाहनों के मालिकों से मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली

1,363 मालवाहक वाहनों के मालिकों ने मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम (एच.एम.वी.टी. एक्ट), 2016 की धारा 3 में प्रावधान है कि राज्य में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे गए सभी मोटर वाहनों पर ऐसी दरों और पेनल्टी के साथ कर लगाया और एकत्र किया जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाए। सरकार ने अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6T(I) दिनांक 29 सितंबर 2017 के माध्यम से हरियाणा राज्य में पंजीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए मोटर वाहन कर की दरों[2] को अधिसूचित किया, जिसे 31 मई 2019 और 5 अगस्त 2022 को संशोधित किया गया। राज्य में पहले से पंजीकृत परिवहन वाहनों को तिमाही/वर्ष के शुरू होने के 30 दिनों के भीतर तिमाही/वार्षिक रूप से कर का भुगतान करना चाहिए। तथापि, यदि वाहन का मालिक समय पर कर का भुगतान नहीं करता है, तो अधिसूचना

[2] ₹ 300 (1.2 टन तक), ₹ 7,200 (1.2 टन से अधिक परंतु 6 टन से कम), ₹ 9,600 (6 टन से अधिक परंतु 16.2 टन से कम), ₹ 11,200 (16.2 टन से अधिक परंतु 18.5 टन से कम), ₹ 17,300 (18.5 टन से अधिक परंतु 28 टन से कम) तथा ₹ 25,300 (28 टन से अधिक)।

के नोट (डी) के अनुसार, विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय कर के 0.5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, 5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार विलंब के लिए 3 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। पेनल्टी की अधिकतम राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

13 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[3] के कार्यालयों के मोटर वाहन रजिस्टर के अभिलेखों (मई 2023 और मार्च 2024 के मध्य) की संवीक्षा से पता चला कि 1,363 मालवाहक वाहनों के वाहन मालिकों ने 2020-23 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 1.67 करोड़ के मोटर वाहन कर को या तो जमा नहीं किया था या कम जमा किया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार ₹ 0.85 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राहय थी। विभाग द्वारा न तो कोई मांग नोटिस जारी किया गया था और न ही बकाया राशि की वसूली की निगरानी के लिए कोई प्रणाली मौजूद थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के मोटर वाहन कर की वसूली नहीं हुई या कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों ने सूचित किया (जून 2023 से अप्रैल 2025 के मध्य) कि आठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[4] के संबंध में 306 मालवाहक वाहनों के मालिकों से ₹ 43.80 लाख (जिसमें ₹ 11.33 लाख की पेनल्टी भी शामिल है) वसूल कर लिए गए हैं। साथ ही, शेष 1,057 वाहन मालिकों से ₹ 2.08 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे या जारी किए जाएंगे।

मामला अप्रैल 2025 में परिवहन विभाग के पास भेजा गया था और नवंबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

4.5 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों से मोटर वाहन कर की अवसूली

356 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों ने मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.68 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि राज्य में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे गए सभी मोटर वाहनों पर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर और पेनल्टी के अनुसार कर उद्ग्रहित और संग्रहित किया

[3] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरूक्षेत्र, नूंह, पंचकुला, रेवाड़ी और रोहतक।

[4] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अंबाला ₹ 6.62 लाख, भिवानी ₹ 3.32 लाख, फरीदाबाद ₹ 13.22 लाख, फतेहाबाद ₹ 3.62 लाख, करनाल ₹ 7.34 लाख, कुरूक्षेत्र ₹ 3.45 लाख, नूंह ₹ 3.21 लाख और रेवाड़ी ₹ 3.02 लाख।

जाएगा। सरकार ने अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6T(I) दिनांक 29 सितंबर 2017 और 5 अगस्त 2022 के माध्यम से हरियाणा राज्य में पंजीकृत वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए मोटर वाहन कर की दरें अधिसूचित की हैं। राज्य में पहले से पंजीकृत परिवहन वाहनों को तिमाही/वर्ष के शुरू होने के 30 दिनों के भीतर तिमाही/वार्षिक रूप से कर का भुगतान करना चाहिए। तथापि, यदि वाहन का मालिक समय पर कर का भुगतान नहीं करता है, तो अधिसूचना के नोट (डी) के अनुसार, विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय कर के 0.5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, 5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार विलंब की स्थिति में 3 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। पेनल्टी की अधिकतम राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी। मैक्सी/मोटर कैब वाहनों के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	कर की दर
1.	चालक को छोड़कर तीन सीटों तक	वाहन की लागत का दो प्रतिशत, जो एकमुश्त देय है
2.	चालक को छोड़कर चार और उससे अधिक सीटों वाले (तिपहिया वाहन)	₹ 600 प्रति सीट प्रतिवर्ष, जो मासिक/तिमाही आधार पर देय है
3.	चालक को छोड़कर चार से छः सीटों वाले (चौपहिया वाहन)	₹ 625 प्रति सीट प्रतिवर्ष, जो मासिक/तिमाही आधार पर देय है
4.	चालक को छोड़कर सात से बारह सीटों वाले (चौपहिया वाहन)	₹ 1,450 प्रति सीट प्रतिवर्ष, जो मासिक/तिमाही आधार पर देय है

वर्ष 2021-2023 के लिए नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[5] के कार्यालयों के यात्री वाहनों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से यह पता चला कि 356 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों ने ₹ 21.68 लाख के मोटर वाहन कर और पेनल्टी का भुगतान नहीं किया था। विभाग द्वारा कर की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.68 लाख के मोटर वाहन कर की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई, जिसमें अधिनियम के अनुसार उद्ग्राहय ₹ 7.36 लाख की पेनल्टी भी शामिल थी।

मामला इंगित किए जाने पर, सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[6] ने सूचित किया (फरवरी 2024 और जुलाई 2025 के मध्य) कि 142 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों से ₹ 8.02 लाख (₹ 2.40 लाख की पेनल्टी सहित) की राशि वसूल कर ली गई थी। शेष 214 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों से ₹ 13.66 लाख (₹ 4.96 लाख की पेनल्टी सहित) की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे।

[5] अंबाला, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूंह और रेवाड़ी।

[6] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, अंबाला: ₹ 0.03 लाख, फतेहाबाद: ₹ 0.15 लाख, गुरुग्राम: ₹ 2.03 लाख, हिसार: ₹ 1.41 लाख, झज्जर: ₹ 0.96 लाख, करनाल: ₹ 0.99 लाख, कुरुक्षेत्र: ₹ 0.60 लाख, नूंह: ₹ 0.51 लाख और रेवाड़ी: ₹ 1.34 लाख।

मामला अप्रैल 2025 में परिवहन विभाग के पास भेजा गया था और अक्तूबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

चंडीगढ़ **(आशुतोष शर्मा)**
दिनांक: 07 अगस्त 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

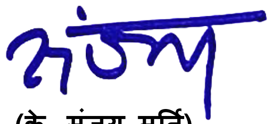

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 12 अगस्त 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 13)

31 मार्च 2025 तक राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31 मार्च 2025 को लोक लेखा समिति की लंबित सिफारिशें
1.	22वीं	1979-80	1
2.	23वीं	1980-81	3
3.	25वीं	1981-82	1
4.	28वीं	1983-84	1
5.	29वीं	1984-85	5
6.	32वीं	1985-86	2
7.	34वीं	1986-87	5
8.	36वीं	1987-88	1
9.	38वीं	1988-89	7
10.	40वीं	1989-90	13
11.	42वीं	1990-91, 1991-92, 1992-93	20
12.	44वीं	1990-91, 1991-92, 1992-93	32
13.	46वीं	1993-94	7
14.	48वीं	1993-94, 1994-95	8
15.	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	22
16.	52वीं	1996-97	26
17.	54वीं	1997-98	33
18.	58वीं	1998-99 एवं 1999-2000	55
19.	60वीं	2000-01	29
20.	62वीं	2001-02	38
21.	63वीं	2002-03	30
22.	64वीं	2003-04	42
23.	65वीं	2004-05	34
24.	67वीं	2005-06	44
25.	68वीं	2006-07 एवं 2007-08	82
26.	70वीं	2008-09	46
27.	71वीं	2009-10	42
28.	72वीं	2010-11	20
29.	73वीं	2011-12	19
30.	74वीं	2013-14	39
31.	75वीं	2012-13	33
32.	78वीं	2014-15	46
33.	82वीं	2015-16	39
34.	84वीं	2016-17	39
35.	85वीं	2017-18	54
36.	86वीं	2018-19	33
37.	87वीं	2019-20	20
38.	90वीं	2020-21	33
		योग	**1,004**

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 13)

31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों का विभागवार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल बकाया सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	577
2	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	227
3	खनन एवं भू-विज्ञान	70
4	कृषि	39
5	सिंचाई	2
6	विद्युत (मुख्य विद्युत निरीक्षक)	4
7	जन स्वास्थ्य	1
8	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	1
9	परिवहन	40
10	वित्त (लॉटरी)	4
11	सहकारी	21
12	वन	4
13	गृह	6
14	उद्योग	3
15	सामान्य	1
16	नगर एवं ग्राम आयोजना	4
	योग	**1,004**

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.1; पृष्ठ 13)

आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य
2014-15	116	201	72.47	35	93	84.78	24	49	22.58	127	245	134.67
2015-16	127	245	134.67	25	57	22.1	6	21	2.75	146	281	154.02
2016-17	146	281	154.02	22	50	39.06	23	79	31.43	145	252	161.65
2017-18	145	252	161.65	34	75	19.7	19	60	41.82	160	267	139.53
2018-19	160	267	139.53	25	72	48.61	6	18	18.89	179	321	169.25
2019-20	179	321	169.25	15	38	21.95	10	12	6.29	184	347	184.91
2020-21	184	347	184.91	33	74	85.05	11	17	4.85	206	404	265.11
2021-22	206	404	265.11	29	64	79.51	2	5	0.37	233	463	344.25
2022-23	233	463	344.25	20	119	199.66	4	85	135.42	249	497	408.49
2023-24	249	497	408.49	12	42	77.3	1	2	0.01	260	537	485.78

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.2; पृष्ठ 13)

स्वीकृत मामलों की वसूली

संदर्भ मामले आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी)

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों/ निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या	अनुच्छेदों का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	प्रतिवेदन के वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	अब तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2012-13	3	12.15	3	12.15	0.44	4.2
2013-14	2	24.87	2	24.87	0.37	6.91
2014-15	2	20.44	2	20.44	5.07	9.36
2015-16	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	60.56	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	60.56	11.58	21.23
2016-17	2	5.08	2	5.08	0.09	3.23
2017-18	5	9.59	5	9.59	0.26	4.57
2018-19	2	8.23	2	8.23	0.17	0.75
2019-20	2	1.97	2	1.97	0.26	1.03
2020-21	2	123.51	2	123.51	2.02	16.3
2021-22	1	7.46	1	7.46	-	4.17
योग	**21**	**213.3**	**21**	**213.3**	**8.68**	**50.52**
	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	**60.56**	**01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)**	**60.56**	**11.58**	**21.23**
कुल योग	**22 (एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित)**	**273.86**	**22**	**273.86**	**20.26**	**71.75**

26.20 प्रतिशत = 71.75/273.86X100

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 19)

विस्तृत लेखापरीक्षा करदाताओं की सूची

क्र.सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	डी.सी.एस.टी.
1	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला
2	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला
3	06AAxxxxxxxJ1ZF	अंबाला
4	06AAxxxxxxxQ1Z5	भिवानी
5	06AWxxxxxxxD1Z9	भिवानी
6	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी
7	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी
8	06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)
9	06AAxxxxxxxM1Z5	फरीदाबाद (पूर्व)
10	06AAxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)
11	06AAxxxxxxxD1ZQ	फरीदाबाद (पूर्व)
12	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)
13	06AAxxxxxxxD1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)
14	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)
15	06AAxxxxxxxG1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)
16	06AAxxxxxxxB1ZY	गुरुग्राम (दक्षिण)
17	06AAxxxxxxxP1ZX	गुरुग्राम (दक्षिण)
18	06ADxxxxxxxL1ZM	गुरुग्राम (दक्षिण)
19	06AQxxxxxxxL1ZP	गुरुग्राम (दक्षिण)
20	06AAxxxxxxxF1ZG	गुरुग्राम (दक्षिण)
21	06ABxxxxxxxK1ZJ	हिसार
22	06AAxxxxxxxG1Z5	हिसार
23	06AAxxxxxxxJ1Z9	हिसार
24	06AAxxxxxxxQ1ZY	हिसार
25	06AAxxxxxxxH1Z8	रेवाड़ी
26	06BWxxxxxxxL2ZK	रेवाड़ी
27	06AYxxxxxxxQ1ZJ	रेवाड़ी
28	06AAxxxxxxxC1ZR	सोनीपत
29	06AAxxxxxxxC2Z4	सोनीपत
30	06AAxxxxxxxJ1ZS	सोनीपत

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.1; पृष्ठ 22)

अभिलेख प्रस्तुत न करने के कुल मामले

करदाताओं की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	आयुक्तालय	वर्ष	आर2ए और आर3बी में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	जीएसटीआर-9 में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	वार्षिक रिटर्न में घोषित राशि की तुलना में ईसीएल में अधिक आईटीसी का लाभ उठाना	आर2ए और आर9 (8ए) में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	प्राप्त किया गया कुल आई.टी.सी.	रिटर्न (जीएसटीआर-1/ जीएसटीआर-3बी/ जीएसटीआर-9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा	आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान	कर देयता	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची
1	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2020-21	4,20,329	0	7,39,387	28,052	11,87,768	13,16,248	0	13,16,248	करार/अनुबंध, बिक्री इनवॉइस, खरीद इनवॉइस, पूर्ण तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, व्यापारिक लेखा आदि
		अंबाला	2021-22	0	0	5,579	9,748	15,327	85,037	0	85,037	
2	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला	2020-21	0	59,97,718	1,58,13,364	0	2,18,11,082	0	0	0	
		अंबाला	2021-22	4,23,15,165	0	4,75,90,132	0	8,99,05,297	0	0	0	
3	06AAxxxxxxxJ1ZF	अंबाला	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अंबाला	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	06AAxxxxxxxQ1Z5	भिवानी	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		भिवानी	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	06AWxxxxxxxD1Z9	भिवानी	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		भिवानी	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	0	3,00,619	0	2,56,002	5,56,621	12,75,984	0	12,75,984	
		भिवानी	2021-22	0	10,14,240	0	0	10,14,240	0	0	0	
7	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	0	0	3,82,074	3,67,856	7,49,930	0	0	0	
		भिवानी	2021-22	0	0	21,64,210	0	21,64,210	0	0	0	
8	06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	7,132	1,22,194	1,29,326	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	0	25,09,452	40,493	25,49,945	0	0	0	
9	06AAxxxxxxxM1Z5	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	0	3,51,684	0	3,51,684	0	0	0	

करदाताओं की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	आयुक्तालय	वर्ष	आर2ए और आर3बी में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	जीएसटीआर-9 में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	वार्षिक रिटर्न में घोषित राशि की तुलना में ईसीएल में अधिक आईटीसी का लाभ उठाना	आर2ए और आर9 (8ए) में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	प्राप्त किया गया कुल आई.टी.सी.	रिटर्न (जीएसटीआर-1/ जीएसटीआर-3बी/ जीएसटीआर-9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा	आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान	कर देयता	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची
10	06AAxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	0	0	65,052	65,052	0	0	0	
11	06AAxxxxxxxD1ZQ	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	64,36,630	0	59,22,949	1,23,59,579	0	0	0	
13	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	0	0	12,97,13,260	0	12,97,13,260	0	27,77,193	27,77,193	
		गुरुग्राम (पूर्व)	2021-22	0	0	7,80,30,835	0	7,80,30,835	0	0	0	
14	06AAxxxxxxxG1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	0	0	41,16,889	0	41,16,889	0	27,500	27,500	
		गुरुग्राम (पूर्व)	2021-22	0	0	1,66,09,035	0	1,66,09,035	24,52,954	1,28,545	25,81,499	
15	06AAxxxxxxxB1ZY	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	0	0	0	0	0	2,34,333	0	2,34,333	
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2021-22	0	0	63,51,622	0	63,51,622	0	0	0	
16	06AAxxxxxxxP1ZX	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2021-22	0	0	0	0	0	7,18,905	0	7,18,905	
17	06ADxxxxxxxL1ZM	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	0	2,70,081	0	0	2,70,081	13,730	0	13,730	
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	06AQxxxxxxxL1ZP	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
			योग	**4,27,35,494**	**1,40,19,288**	**30,43,84,655**	**68,12,346**	**36,79,51,783**	**60,97,191**	**29,33,238**	**90,30,429**	

परिशिष्ट-2.3
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (क); पृष्ठ 23)
कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर छूट/रियायती दरों का गलत लाभ उठाना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	करयोग्य राशि	कर का भुगतान किया गया	कर देयता का भुगतान किया जाना है	कम भुगतान किया गया	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11	12
1	1	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,91,71,84,812	14,37,88,822	34,50,93,266.2	20,13,04,444	ओ.बी.एस.-1836757	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता आवासीय और वाणिज्यिक दोनों निर्माण सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है और अधिसूचना संख्या 03/2019 के अनुसार, करदाता ने आवासीय और वाणिज्यिक आरईपी निर्माण कार्यों की आपूर्ति के लिए क्रमशः 7.50% और 18% की दर से अपनी देयता का सही ढंग से भुगतान किया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता के पास राज्य के भीतर और बाहर केवल एक पैन पर आधारित जीएसटीआईएन है और प्रोफाइल में व्यवसाय का केवल एक अतिरिक्त स्थान घोषित किया गया है। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 03/2019 की प्रविष्टि (ए) और (डी) के अनुसार, यदि करदाता ने 7.50% की दर से कर का भुगतान किया है, तो आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। अतः, आईटीसी को आनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना चाहिए था, लेकिन दोनों वर्षों में किया गया आईटीसी रिवर्सल आवश्यकता से कम था।
2	2	06AAxxxxxxxJ1ZS	सोनीपत	2020-21	10,20,03,344	1,22,40,398	1,83,60,601.92	61,20,204	ओ.बी.एस.-1858219	डीआरसी-01 दिनांक 24.03.2025 को जारी किया गया।	स्वीकृत
	3	06AAxxxxxxxJ1ZS	सोनीपत	2021-22	2,52,86,681	3,03,44,01.72	45,51,602.58	15,17,201	ओ.बी.एस.-1858219	डीआरसी-01 दिनांक 24.03.2025 को जारी किया गया।	स्वीकृत
3	4	06AAxxxxxxxM1Z5	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	14,85,59,075	74,27,953	2,67,40,633.5	1,93,12,681	ओ.बी.एस.-1894081	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि मामले को धारा 61 के तहत संवीक्षा मूल्यांकन के लिए लिया गया है।	स्वीकृत
	5	06AAxxxxxxxM1Z5	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	1,12,08,478	5,60,424	20,17,526.04	14,57,102	ओ.बी.एस.-1894081	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि मामले को धारा 61 के तहत संवीक्षा मूल्यांकन के लिए लिया गया है।	स्वीकृत
4	6	06AAxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	5,37,06,681.00	64,44,802	96,67,202.58	32,22,401	ओ.बी.एस.-1894141	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को धारा 74 के तहत डीआरसी-01 जारी किया गया था।	स्वीकृत
	7	06AAxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	1,68,97,372.00	20,27,686	30,41,526.96	10,13,841	ओ.बी.एस.-1894141	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया था	स्वीकृत
					₹ 2,27,48,46,443	**₹ 17,55,24,487**	**₹ 40,94,72,360**	**₹ 23,39,47,873**			

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (ख) (i); पृष्ठ 25)

प्राप्त अग्रिम पर भुगतान न की गई कर देयता

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	बैलेंस शीट या बही के अनुसार अग्रिम	रिटर्न में घोषित अग्रिम	अग्रिम जिस पर जीएसटीआर-1 (11ए-11बी) के अनुसार कर देय था	अग्रिम जिस पर जीएसटीआर-9(4एफ) में कर का भुगतान किया गया	करयोग्य राशि	18 प्रतिशत की दर पर कर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	06AAxxxxxxx1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	86,73,83,830	20,83,82,245			65,90,01,585	11,86,20,285.30	ओ.बी.एस.-1836739	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को संबंधित लेखांकन मानकों के अनुसार राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, हालांकि जीएसटी कानून के अनुसार कर का भुगतान आपूर्ति के समय के आधार पर किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि पर देय कर का भुगतान नहीं किया है।
	2	06AAxxxxxxx1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2021-22	32,94,65,000	6,02,28,459			26,92,36,541	4,84,62,577.38	ओ.बी.एस.-1836739	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को संबंधित लेखांकन मानकों के अनुसार राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, हालांकि जीएसटी कानून के अनुसार कर का भुगतान आपूर्ति के समय के आधार पर किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि पर देय कर का भुगतान नहीं किया है।
2	3	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	9,99,16,24,416	99,99,29,309			8,99,16,95,107	1,61,85,05,119.26	ओ.बी.एस.-1836753	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि अग्रिम संबंधित पक्षों से ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था और इस पर जीएसटी लागू नहीं होता है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित पक्षों से प्राप्त अग्रिम जीएसटी अधिनियम के तहत करयोग्य है।

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	बैलेंस शीट या बही के अनुसार अग्रिम	रिटर्न में घोषित अग्रिम	अग्रिम जिस पर जीएसटीआर-1 (11ए-11बी) के अनुसार कर देय था	अग्रिम जिस पर जीएसटीआर-9(4एफ) में कर का भुगतान किया गया	करयोग्य राशि	18 प्रतिशत की दर पर कर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	2021-22	11,31,43,68,000	1,18,09,75,286			10,13,33,92,714	1,82,40,10,688.52	ओ.बी.एस.-1836753	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि अग्रिम संबंधित पक्षों से ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था और इस पर जीएसटी लागू नहीं होता है।	उत्तर के समर्थन में ऐसे कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जो यह सिद्ध कर सकें कि ये अग्रिम संबंधित पक्षों से प्राप्त ऋण थे, और न ही वित्तीय विवरणों में अन्य चालू देयताओं की अनुसूची के तहत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाई गई राशि का स्पष्टीकरण दिया गया।
3	5	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	3,86,874	0			3,86,874	69,637.32	ओ.बी.एस.-1894289	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
	6	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2021-22	6,65,802	0			6,65,802	1,19,844.36	ओ.बी.एस.-1894289	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
4	7	06AAxxxxxxxD1ZQ	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21			78,54,693	5,66,557	72,88,136	13,11,864.48	ओ.बी.एस.-1893901	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि संशोधनों पर विचार नहीं किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है; अगस्त 2020 और जुलाई 2021 के जीएसटीआर-1 की क्रॉस जांच की गई है, जिसमें करदाता के दावे को प्रभावी बनाने वाला कोई उपयुक्त संशोधन नहीं पाया गया है।
									20,06,16,66,759	**3,61,11,00,017**			

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (ख) (ii); पृष्ठ 25)

करयोग्य टर्नओवर को छिपाने के कारण भुगतान न की गई कर देयता

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	बही के अनुसार किया गया कार्य/ जीएसटीआर-3बी के अनुसार करयोग्य टर्नओवर	जीएसटीआर 9 के अनुसार क्रेडिट नोट और छूट प्राप्त आपूर्ति सहित टर्नओवर	करयोग्य टर्नओवर में छिपाव	18 प्रतिशत की दर पर कर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	3,46,73,65,170	3,38,60,79,796	8,12,85,374	1,46,31,367	ओ.बी.एस.-1894048	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। मामले को संवीक्षा और मूल्यांकन के लिए लिया गया था। करदाता को जीएसटी एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया था।	स्वीकृत
2	2	06AAxxxxxxxG1GL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	12,48,42,339	10,07,62,675	2,40,79,664	43,34,340	ओ.बी.एस.-1826657	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 में घोषित और भुगतान की गई कर देयता में कोई विसंगति नही है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता ने जीएसटीआर-1 में डेबिट/क्रेडिट नोट को शून्य दर्शाया है।
					3,59,22,07,509	**3,48,68,42,471**	**10,53,65,038**	**1,89,65,707**			

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (ख) (iii); पृष्ठ 26)

अचल परिसंपत्तियों पर भुगतान न की गई कर देयता

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र एवं मशीनरी) का निपटान	18 प्रतिशत की दर पर कर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	2,03,15,990	36,56,878	**ओ.बी.एस.-1894026**	इस राशि के संबंध में विभाग से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
	2	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	2,95,38,316	53,16,897	**ओ.बी.एस.-1894026**	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। मामले को संवीक्षा और मूल्यांकन के लिए लिया गया था। करदाता को जीएसटी एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया था।	स्वीकृत
					4,98,54,306	**89,73,775**			

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (ग); पृष्ठ 27)

आर.सी.एम. के तहत कानूनी और पेशेवर प्रभारों/रॉयल्टी/माल ढुलाई प्रभारों पर कर का भुगतान न करना/कम भुगतान करना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	कानूनी और पेशेवर प्रभार	रॉयल्टी	माल ढुलाई प्रभार	कुल करयोग्य राशि	राशि जिस पर जीएसटीआर-9सी (तालिका 9) के अनुसार 18% की दर से आरसीएम का भुगतान किया गया	अंतर	कर का कम भुगतान	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर के पश्चात अंतर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=10-9	12=11∗18%	13	14	15
1	1	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	5,30,000		12,14,290	17,44,290	0	17,44,290	3,13,972	ओ.बी.एस.-1894304/ ओ.बी.एस.-1894299	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
	2	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2021-22	14,89,065		26,30,206	41,19,271	0	41,19,271	7,41,469	ओ.बी.एस.-1894304/ ओ.बी.एस.-1894299	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
2	3	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	1,05,14,604	1,50,94,278		2,56,08,882	29,37,205	2,26,71,677	40,80,902	ओ.बी.एस.-1894015/ ओ.बी.एस.-1893995	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के मामले को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत संवीक्षा के लिए लिया गया है और करदाता को जीएसटी एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया है। अंतिम परिणाम से यथासमय अवगत करा दिया जाएगा।	स्वीकृत
	4	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	22,29,565	98,80,365		1,21,09,930	48,50,726	72,59,204	13,06,657	ओ.बी.एस.-1894015/ ओ.बी.एस.-1893995	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के मामले को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत संवीक्षा के लिए लिया गया है और करदाता को जीएसटी एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया है। अंतिम परिणाम से यथासमय अवगत करा दिया जाएगा।	स्वीकृत
					1,47,63,234	**2,49,74,643**	**38,44,496**	**4,35,82,373**	**77,87,941**	**3,57,94,432**	**64,42,998**			

परिशिष्ट-2.8
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.3 (क); पृष्ठ 28)
आई.टी.सी. का रिवर्सल न करना/कम रिवर्सल करना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	जीएसटीआर 9 की तालिका 5एन के अनुसार करयोग्य टर्नओवर	जीएसटीआर 9 की तालिका 5डी के अनुसार कर-मुक्त/शून्य दर वाली आपूर्ति	जीएसटीआर 9 की तालिका 6ए के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	आईटीसी जिसे रिवर्स किया जाना है	नियम 42 एवं 43 के अनुसार जीएसटीआर-3बी (तालिका 4बी(1)) के तहत रिवर्स किया गया आईटीसी	आईटीसी का कम रिवर्सल	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7*8/6	10	11=10-9	12	13	14
1	1	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	83,06,00,330	93,28,760	13,53,97,756	15,20,699	0	15,20,699	ओ.बी.एस.-1894308	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
	2	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2021-22	82,60,10,424	89,13,867	13,86,55,012	14,96,291	0	14,96,291	ओ.बी.एस.-1894317	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
2	3	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	29,81,82,196	61,80,200	3,19,52,007	6,62,245	0	6,62,245	ओ.बी.एस.-1894328	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
	4	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2021-22	20,95,57,528	44,78,733	1,95,89,597	4,18,675	0	4,18,675	ओ.बी.एस.-1894335	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
3	5	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	2,14,60,10,209	2,38,90,280	22,90,27,286	25,49,627	0	25,49,627	ओ.बी.एस.-1894017	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत मामले को संवीक्षा मूल्यांकन के लिए लिया गया है और जीएसटी एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया है।	स्वीकृत
	योग				4,31,03,60,687	5,27,91,840	55,46,21,658	66,47,539	0	66,47,539			

परिशिष्ट-2.9
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.1; पृष्ठ 29)
पंजीकरण प्रमाण पत्र में नए एस.ए.सी. कोड की घोषणा न करना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	एच.एस.एन./ एस.ए.सी. कोड	ओ.बी.एस.	उत्तर	अभ्युक्ति
1	1	06AAxxxxxxxP1ZX	गुरुग्राम (दक्षिण)	440410	ओ.बी.एस.-1820082	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर, जीएसटी कॉमन पोर्टल पर पंजीकरण प्रोफाइल में एसएसी अद्यतन करने के लिए करदाता के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस के माध्यम से उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके उत्तर में, करदाता ने एसएसी कोड अद्यतन करने के लिए संशोधन हेतु आवेदन किया है, जिसे विधिवत अनुमोदित कर दिया गया है। अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।	स्वीकृत
2	2	06AQxxxxxxxL1ZP	गुरुग्राम (दक्षिण)	440410	ओ.बी.एस.-1821880	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र में नया एसएसी कोड अद्यतन कर दिया है। अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।	स्वीकृत
3	3	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला	440410	ओ.बी.एस.-1885411	विभाग ने मई 2025 में उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
4	4	06AAxxxxxxxC1ZR	सोनीपत	440410	ओ.बी.एस.-1858221	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया है कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुपालन में करदाता को नोटिस जारी किया गया था। करदाता ने नवीनतम एसएसी के अनुसार एचएसएन/एसएसी कोड अद्यतन कर दिया है।	स्वीकृत
5	5	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	68101990	ओ.बी.एस.-1894160	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में नए एसएसी कोड को बदलने के लिए करदाता को नोटिस जारी किया गया था। अंतिम परिणाम से बाद में अवगत कराया जाएगा।	स्वीकृत
6	6	06AAxxxxxxxQ1Z5	भिवानी	440410	ओ.बी.एस.-1894246	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में नया एसएसी कोड बदलने के लिए करदाता को नोटिस जारी किया गया था। करदाता का उत्तर प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
7	7	06AAxxxxxxxH1Z8	रेवाड़ी	440410	ओ.बी.एस.-1898129	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि नया एसएसी घोषित न करने के कारण ₹ 50,000/- का जुर्माना लगाया गया और वसूल किया गया है। इसके अलावा, करदाता ने एचएसएन कोड में भी सुधार कर लिया है। अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।	स्वीकृत
8	8	06BWxxxxxxxL2ZK	रेवाड़ी	440294	ओ.बी.एस.-1898137	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि नया एसएसी घोषित न करने के कारण जुर्माना लगाया गया है और उसकी वसूली लंबित है। इसके अलावा, करदाता ने नए एचएसएन कोड में भी सुधार कर लिया है।	स्वीकृत
9	9	06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	440410	ओ.बी.एस.-1892559	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में सही लेखांकन कोड का सुधार कर दिया गया है। अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।	स्वीकृत
10	10	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	440410	ओ.बी.एस.-1893850	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को जीएसटी पंजीकरण में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट/निर्माण सेवा से संबंधित एसएसी कोड अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है।	स्वीकृत
11	11	06AAxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	440410	ओ.बी.एस.-1893903	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता ने एचएसएन कोड के सुधार के लिए संशोधन हेतु आवेदन किया था। अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।	स्वीकृत
12	12	06AAxxxxxxxG1Z5	हिसार	98010030, 00440410	ओ.बी.एस.-1893647	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता ने 02.05.2025 को अपने संशोधन आवेदन में नए एसएसी कोड के लिए आवेदन कर दिया है। अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।	स्वीकृत
13	13	06ABxxxxxxxK1ZJ	हिसार	27131100	ओ.बी.एस.-1893662	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता ने 03.05.2025 को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र में नया एसएसी कोड अद्यतन कर दिया है। अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।	स्वीकृत

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.2; पृष्ठ 30)

ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	विलंबित रिटर्नों (जीएसटीआर-3बी) की संख्या	दिनों में विलंब (रेंज)		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	ब्याज	जीएसटीआर-3बी के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज	ब्याज का कम भुगतान	वसूल की गई राशि	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
					न्यूनतम	अधिकतम												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 7+8+ 9+10	12	13	14	15	16	17	18
1	1	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	5	5	36	82,074	25,20,88,548	25,20,88,549	0	50,42,59,171	38,40,488	0	38,40,488.00		ओ.बी.एस.-1836751	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज करदाता द्वारा जमा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा आयोजित करके मामले की जांच की जाएगी।	स्वीकृत
2	2	06AAxxxxxxxB1ZY	गुरुग्राम (दक्षिण)	2	13	36	2,36,744	50,70,783	4,28,76,088	0	4,81,83,615	3,09,049	0	3,09,049.16	2,85,105	ओ.बी.एस.-1820066	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि आपत्ति स्वीकार कर ली गई है और करदाता से वसूली कर ली गई है।	स्वीकृत
3	3	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	17	3	62	15,442	1,31,99,731	1,32,08,555	0	2,64,23,728	3,40,963	0	3,40,963.00		ओ.बी.एस.-1894207	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	विलंबित रिटर्नों (जीएसटीआर-3बी) की संख्या	दिनों में विलंब (रेंज)		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	ब्याज	जीएसटीआर-3बी के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज	ब्याज का कम भुगतान	वसूल की गई राशि	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
					न्यूनतम	अधिकतम												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 7+8+ 9+10	12	13	14	15	16	17	18
4	4	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	5	6	65	0	17,81,507	40,20,114	0	58,01,621	32,706	0	32,706.00		ओ.बी.एस.-1894240	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
5	5	06AAxxxxxxxQ1Z5	भिवानी	3	14	74	0	3,44,331	3,44,331	0	6,88,662	12,453	0	12,453.00		ओ.बी.एस.-1894283	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
6	6	06AAxxxxxxxJ1ZS	सोनीपत	5	1	41	0	14,33,688	22,67,456		37,01,144	47,209	0	47,209.00	21,585	ओ.बी.एस.-1863523	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि आपत्ति स्वीकार कर ली गई है और करदाता से वसूली कर ली गई है।	स्वीकृत
7	7	06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	10	1	78	40,859	61,60,279	1,02,62,358	0	1,64,63,496	1,35,802	81,543	54,259.00	22,668	ओ.बी.एस.-1893269	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि ब्याज की राशि की पुनर्गणना कर ली गई है और देय राशि जमा कर दी गई है। तथ्यों का सत्यापन कर लिया गया है। अब इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।	स्वीकृत

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	विलंबित रिटर्नों (जीएसटीआर-3बी) की संख्या	दिनों में विलंब (रेंज)		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	ब्याज	जीएसटीआर-3बी के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज	ब्याज का कम भुगतान	वसूल की गई राशि	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
					न्यूनतम	अधिकतम												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 7+8+ 9+10	12	13	14	15	16	17	18
8	8	06AAxxxxxxxD1ZQ	फरीदाबाद (पूर्व)	7	1	37	11,303	24,73,545	76,13,939	0	1,00,98,787	23,789	0	23,789.00	19,565	ओ.बी.एस.-1893884	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि ब्याज की राशि की पुनर्गणना कर ली गई है और देय राशि जमा कर दी गई है। तथ्यों का सत्यापन कर लिया गया है। अब इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।	स्वीकृत
9	9	06AAxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2	1	46	0	3,35,602	8,43,352	0	11,78,954	16,649	0	16,649.00	16,650	ओ.बी.एस.-1893910	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि आपत्ति स्वीकार कर ली गई है और करदाता से वसूली कर ली गई है।	स्वीकृत
10	10	06AAxxxxxxxG1Z5	हिसार	2	14	19	0	17,31,997	17,31,997	0	34,63,994	20,318	0	20,318.00	20,318	ओ.बी.एस.-1893656	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2020) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और वांछित राशि करदाता द्वारा दिनांक 02.05.2025 के डीआरसी-03 के माध्यम से जमा कर दी गई है।	स्वीकृत
11	11	06ABxxxxxxxK1ZJ	हिसार	7	1	38	47,811	14,61,451	17,94,793	0	33,04,055	15,526	0	15,526.00	15,526	ओ.बी.एस.-1893668	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2020) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और वांछित राशि करदाता द्वारा दिनांक 30.04.2025 के डीआरसी-03 के माध्यम से जमा कर दी गई है।	स्वीकृत
				65								**47,94,952**		**47,13,409.16**	**4,01,417**			

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 30)

जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	जीएसटीआर-3बी के अनुसार आईटीसी	जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी (तालिका 3 + तालिका 4 + तालिका 5 + तालिका 6)	अंतर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11
1	1	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला	2021-22	17,75,15,733	13,52,00,568	4,23,15,165	ओ.बी.एस.-1885409	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और चूंकि करदाता भारत सरकार की एक सहायक कंपनी है, इसलिए वर्ष 2021-22 के मामले को संवीक्षा के लिए लिया गया है।	स्वीकृत
2	2	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2020-21	41,74,712	37,54,383	4,20,329	ओ.बी.एस.-1885429	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 594, दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा जा रहा है।	स्वीकृत
					18,16,90,445	**13,89,54,951**	**4,27,35,494**			

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)

जी.एस.टी.आर.-9 कॉलम-8डी में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 8ए (जी.एस.टी.आर. 2ए के अनुसार आई.टी.सी.)	आर9 (8बी+8सी)	अंतर [आर9 8डी=8ए-(8बी+8सी)]	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11
1	1	06ADxxxxxxxL1ZM	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	69,49,865	72,19,946	2,70,081	ओ.बी.एस.-1822095	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए करदाता का यह तर्क है कि लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी के आईटीसी और वित्तीय वर्ष 2020-21 के जीएसटीआर 9 की तालिका 12 और 7 में दर्शाए गए आईटीसी रिवर्सल पर विचार नहीं किया गया है।	तथ्यों और आंकड़ों का सत्यापन कर लिया गया है और उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है। तालिका 12 में उन आंकड़ों का विवरण होता है जो 'पिछले वित्तीय वर्ष में लिए गए आईटीसी के रिवर्सल का कुल मूल्य है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक के रिटर्न में या पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख, जो भी पहले हो, तक रिवर्स किया गया हो। इन विवरणों को भरने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(बी) का उपयोग किया जा सकता है'। जब वर्ष 2021-22 के जीएसटीआर 3बी की तालिका 4(बी) से मिलान किया गया, तो रिवर्सल केवल ₹ 9,047/- पाया गया, न कि वह राशि जिसका दावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के जीएसटीआर 9 की तालिका में किया गया था। अतः, यह पैरा यथावत रहेगा।
2	2	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला	2020-21	27,79,15,450	28,39,13,168	59,97,718	ओ.बी.एस.-1885414	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि मांग सृजित कर दी गई है।	स्वीकृत
3	3	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	3,29,29,632	3,32,30,251	3,00,619	ओ.बी.एस.-1894213	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
	4	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2021-22	1,87,23,330	1,97,37,570	10,14,240	ओ.बी.एस.-1894213	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 8ए (जी.एस.टी.आर. 2ए के अनुसार आई.टी.सी.)	आर9 (8बी+8सी)	अंतर [आर9 8डी=8ए-(8बी+8सी)]	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11
4	5	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	36,04,45,344	36,68,81,974	64,36,630	ओ.बी.एस.-1893842	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
					69,69,63,622	71,09,82,909	1,40,19,287			

विसंगतियों की पहचान की गई			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है / खंडन किया गया	
करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	स्वीकृत मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में
4	5	1.4	4	1.37	1	0.03

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)

जी.एस.टी.आर.-9 कॉलम-6जे में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 (6ए)	आर9(6आई)	अंतर आर9(6जे)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11
1	1	06AAxxxxxxxB1ZY	गुरुग्राम (दक्षिण)	2021-22	1,06,98,67,583	1,06,35,15,961	63,51,622	ओ.बी.एस.-1818407	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि ₹ 18.12 लाख के लिए पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मामले को संवीक्षा मूल्यांकन हेतु चुना गया है।	स्वीकृत
2	2	06AAxxxxxxx1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	2,17,17,288	1,76,00,399	41,16,889	ओ.बी.एस.-1836729	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि विभाग द्वारा करदाता को समन जारी कर बुलाया गया है।	स्वीकृत
	3	06AAxxxxxxx1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2021-22	5,78,25,511	4,12,16,476	1,66,09,035	ओ.बी.एस.-1836729	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि विभाग द्वारा करदाता को समन जारी कर बुलाया गया है।	स्वीकृत
3	4	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	33,42,58,891	20,45,45,631	12,97,13,260	ओ.बी.एस.-1836740	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा रिवर्सल पर विचार नहीं किया गया है और किसी भी अतिरिक्त आईटीसी का लाभ नहीं उठाया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने अधिसूचना संख्या 03/2019 की प्रविष्टि (ए) और (डी) के अनुसार करयोग्य राशि पर स्वीकार्य रूप से 7.50 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया है, जिस पर आईटीसी उपलब्ध नहीं था और इसे आनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना था। जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे में अंतर का कारण यह है कि करदाता ने जीएसटीआर 3बी में अधिक आईटीसी का लाभ उठाया है, जैसा कि तालिका 6ए में दर्शाया गया है, जिसके लिए तालिका 6बी से 6एच में वर्गीकरण नहीं दिया गया था, अतः करदाता द्वारा अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया गया है।
	5	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	2021-22	41,78,97,472	33,98,66,637	7,80,30,835	ओ.बी.एस.-1836740	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा रिवर्सल पर विचार नहीं किया गया है और किसी भी अतिरिक्त आईटीसी का लाभ नहीं उठाया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने अधिसूचना संख्या 03/2019 की प्रविष्टि (ए) और (डी) के अनुसार करयोग्य राशि पर स्वीकार्य रूप से 7.50 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया है, जिस पर आईटीसी उपलब्ध नहीं था और इसे आनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना था। जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे में अंतर का कारण यह है कि करदाता ने जीएसटीआर 3बी में अधिक आईटीसी का लाभ उठाया है, जैसा कि तालिका 6ए में दर्शाया गया है, जिसके लिए तालिका 6बी से 6एच में वर्गीकरण नहीं दिया गया था, अतः करदाता द्वारा अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया गया है।

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 (6ए)	आर9(6आई)	अंतर आर9(6जे)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11
4	6	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला	2020-21	25,71,33,003	24,13,19,639	1,58,13,364	ओ.बी.एस.-1885417	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है। साथ ही, वर्ष 2021-22 के लिए करदाता के मामले को संवीक्षा मूल्यांकन हेतु लिया गया है।	स्वीकृत
	7	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला	2021-22	18,47,31,490	13,71,41,358	4,75,90,132	ओ.बी.एस.-1885417	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है। साथ ही, वर्ष 2021-22 के लिए करदाता के मामले को संवीक्षा मूल्यांकन हेतु लिया गया है।	स्वीकृत
5	8	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2020-21	40,37,383	32,97,996	7,39,387	ओ.बी.एस.-1885438	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने हेतु ज्ञापन संख्या 591, दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
	9	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2021-22	36,48,507	36,42,928	5,579	ओ.बी.एस.-1885438	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है, और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मामले को संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (पुनरीक्षण), अंबाला के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
6	10	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	13,53,97,758	13,50,15,684	3,82,074	ओ.बी.एस.-1894192	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
	11	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2021-22	13,86,55,013	13,64,90,803	21,64,210	ओ.बी.एस.-1894192	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 (6ए)	आर9(6आई)	अंतर आर9(6जे)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11
7	12	06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	2,81,96,645	2,81,89,513	7,132	ओ.बी.एस.-1892567	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे में अंतर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए दावा किए गए आईटीसी के कारण है।	विभागीय उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी में ₹ 1,19,451/- और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 64,322/- की राशि का अंतर था। इन राशियों को करदाता द्वारा रिवर्स किया जाना चाहिए था।
	13	06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	2,01,55,853	1,76,46,401	25,09,452	ओ.बी.एस.-1892567	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे में अंतर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए दावा किए गए आईटीसी के कारण है।	विभागीय उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी में ₹ 1,19,451/- और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 64,322/- की राशि का अंतर था। इन राशियों को करदाता द्वारा रिवर्स किया जाना चाहिए था।
8	14	06AAxxxxxxxM1Z5	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	14,70,117	11,18,433	3,51,684	ओ.बी.एस.-1893887	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। मामले को संवीक्षा और मूल्यांकन के लिए चुना गया है।	स्वीकृत
					2,67,49,92,514	2,37,06,07,859	30,43,84,655			

विसंगतियों की पहचान की गई			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है / खंडन किया गया	
करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	स्वीकृत मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में
8	14	30.44	10	9.41	4	21.03

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)

जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 (कॉलम 8ए) में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 8ए (जीएसटीआर-2ए के अनुसार आई.टी.सी.) आंकड़े टूल किट से लिए गए हैं	आर2ए के अनुसार लिया गया आईटीसी आंकड़े टूल किट से लिए गए हैं	अंतर (आर9 8ए - आर2ए)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11
1	1	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2020-21	34,35,444.18	34,63,496.00	28,051.82	ओ.बी.एस.-1885440	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 593, दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
	2	06BDxxxxxxxC1Z1	अंबाला	2021-22	36,56,310.65	36,66,059.00	9,748.35	ओ.बी.एस.-1885440	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है, और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मामले को संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (पुनरीक्षण), अंबाला के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
2	3	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	13,66,28,191.64	13,69,96,047.70	3,67,856.06	ओ.बी.एस.-1894200	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
3	4	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	3,29,29,631.71	3,31,85,633.54	2,56,001.83	ओ.बी.एस.-1894228	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 8ए (जीएसटीआर-2ए के अनुसार आई.टी.सी.) आंकड़े टूल किट से लिए गए हैं	आर2ए के अनुसार लिया गया आईटीसी आंकड़े टूल किट से लिए गए हैं	अंतर (आर9 8ए - आर2ए)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11
4	5	06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	2,24,35,706.99	2,25,57,901.00	1,22,194.01	ओ.बी.एस.-1892570		विभाग का उत्तर (जून 2025) नियमसंगत नहीं है।
	6	06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	1,22,02,761.74	1,22,43,254.57	40,492.83	ओ.बी.एस.-1892570		विभाग का उत्तर (जून 2025) नियमसंगत नहीं है।
5	7	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	36,04,45,344.43	36,63,68,293.00	59,22,948.57	ओ.बी.एस.-1893843	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और मामले को संवीक्षा मूल्यांकन के तहत लिया गया है। इसके अतिरिक्त, एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया है।	स्वीकृत
6	8	06AAxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	14,60,467.27	15,25,519.13	65,051.86	ओ.बी.एस.-1893908	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि आईटीसी को रिवर्स कर दिया गया है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार आईटीसी को रिवर्स नहीं किया गया है।
					57,31,93,858.61	**58,00,06,203.94**	**68,12,345.33**			

		विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है / खंडन किया गया	
मामलों की संख्या	**₹ करोड़ में**	**स्वीकृत मामलों की संख्या**	**₹ करोड़ में**	**मामलों की संख्या**	**₹ करोड़ में**
8	0.68	5	0.66	3	0.02

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)

रिटर्न (जी.एस.टी.आर.-1/जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर3बी कर का भुगतान किया गया (6.1ए) + जीएसटीआर 9 तालिका 14	आर1 देयता	आर9 देयता तालिका (4एन-4जी+ 10-11)	भुगतान न की गई देयता-आर1 या आर9 (जो भी अधिक हो) - आर3बी	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 या 8 (जो भी अधिक हो) - 6	10	11	12
1	1	06AAxxxxxxx1ZX	गुरुग्राम (दक्षिण)	2021-22	97,85,990	1,05,04,895	1,05,04,893	7,18,905	ओ.बी.एस.-1820091	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि बाहरी कर देयता में अंतर 'क्रेडिट नोट्स'के समायोजन के कारण है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।
2	2	06AAxxxxxxxB1ZY	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	1,10,41,18,179	1,10,43,52,512	1,10,41,18,181	2,34,333	ओ.बी.एस.-1820064	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि करदाता द्वारा रिपोर्ट किए गए जीएसटीआर-1, कर देयता और बी2सी संशोधनों को संज्ञान में नहीं लिया गया है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संशोधन जीएसटीआर-1 में प्रदर्शित नहीं हुआ था।
3	3	06ADxxxxxxxL1ZM	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	74,81,007	74,94,737	74,81,008	13,730	ओ.बी.एस.-1822207	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि करदाता द्वारा रिपोर्ट किए गए जीएसटीआर-1, कर देयता और बी2सी संशोधनों को संज्ञान में नहीं लिया गया है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संशोधन जीएसटीआर-1 में प्रदर्शित नहीं हुआ था।
4	4	06AAxxxxxxx1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2021-22	10,47,46,670	10,71,99,624	10,58,85,960	24,52,954	ओ.बी.एस.-1836734	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि जीएसटीआर-1/3बी/9 के अनुसार, कुल कर देयता ₹ 10,62,73,962/- थी।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता ने जीएसटीआर-1 में अपनी कर देयता ₹ 11,02,27,397/- दिखाई है। तदनुसार, करदाता ने जीएसटी की कम राशि का भुगतान किया है।

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर3बी कर का भुगतान किया गया (6.1ए) + जीएसटीआर 9 तालिका 14	आर1 देयता	आर9 देयता तालिका (4एन-4जी+ 10-11)	भुगतान न की गई देयता-आर1 या आर9 (जो भी अधिक हो) - आर3बी	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 या 8 (जो भी अधिक हो) - 6	10	11	12
5	5	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2020-21	30,67,451	43,83,699	30,67,449	13,16,248	ओ.बी.एस.-1885443	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 596 दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
	6	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2021-22	33,16,375	34,01,412	34,01,412	85,037	ओ.बी.एस.-1885443	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा स्वीकार कर लिया गया है। मामला एचजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू करने की अनुमति हेतु संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आर) अंबाला के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
6	7	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	3,37,64,256	3,50,40,240	3,50,40,240	12,75,984	ओ.बी.एस.-1894233	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
								60,97,191			

		विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है / खंडन किया गया	
मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	स्वीकृत मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में
7	0.61	3	0.27	4	0.34

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)

आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	जीएसटीआर-2ए में आरसीएम करयोग्य मूल्य	आरसीएम के तहत देय कर	जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में घोषित आरसीएम करयोग्य मूल्य	जीएसटीआर-3बी में आरसीएम के तहत भुगतान किया गया कर	अंतर	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-9	11	12	13
1	1	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,64,95,716	28,72,729	5,30,750	95,536	27,77,193	ओ.बी.एस.-1836750	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन सर्विसेज नामक आपूर्तिकर्ता ने करदाता को निर्माण सेवाएं प्रदान की हैं, जो आरसीएम के अंतर्गत नहीं आती हैं और आपूर्तिकर्ता ने वास्तव में आरसीएम के तहत कर का भुगतान कर दिया है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता ने स्वयं जीएसटीआर-2ए में करयोग्य राशि/मूल्य घोषित किया है। तदनुसार, करदाता ने आरसीएम के तहत कर जमा नहीं किया है।
2	2	06AAxxxxxxx1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21		27,500		0	27,500	ओ.बी.एस.-1836735	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि करदाता को सम्मन जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
	3	06AAxxxxxxx1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2021-22		1,28,545		0	1,28,545	ओ.बी.एस.-1836735	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि करदाता को सम्मन जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
						30,28,774		**95,536**	**29,33,238**			

विसंगतियों की पहचान की गई			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है / खंडन किया गया	
करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	स्वीकृत मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में
2	3	0.29	2	0.02	1	0.27

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1; पृष्ठ 33)

संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा मामलों की सूची

क्र. सं.	डी.सी.एस.टी. का नाम	2017-18		2018-19	
		संवीक्षा मामले	लेखापरीक्षा मामले	संवीक्षा मामले	लेखापरीक्षा मामले
1	अंबाला	206	19	79	14
2	भिवानी	165	2	71	2
3	फरीदाबाद (पूर्व)	287	18	161	10
4	गुरुग्राम (दक्षिण)	357	27	210	18
5	सोनीपत	461	28	209	11
	योग	**1,476**	**94**	**730**	**55**
	कुल संवीक्षा मामले	**2,206**			
	कुल लेखापरीक्षा मामले	**149**			

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (i); पृष्ठ 33)

अभिलेख की संवीक्षा

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अप्रस्तुतिकरण के लिए ओ.बी.एस. संख्या	संवीक्षा अभिलेखों के लिए ओ.बी.एस. संख्या	एएसएमटी-10 आदि के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई
1	2	3	4	5
1	गुरुग्राम (दक्षिण)	ओ.बी.एस.-1822702	ओ.बी.एस.-1758546	नहीं
2	सोनीपत	ओ.बी.एस.-1870698	ओ.बी.एस.-1865294	नहीं
3	अंबाला	ओ.बी.एस.-1899974	क्षेत्रीय दौरे के पूरा होने के बाद संख्या 102 दिनांक 4.04.2025 के माध्यम से सूचित किया गया। इसलिए, ओ.बी.एस. अलग से जारी नहीं किया गया। लेखापरीक्षा का खंडन दिनांक 7.4.2025 को ईमेल के माध्यम से जारी किया गया।	नहीं
4	फरीदाबाद (पूर्व)	ओ.बी.एस.-1892523		नहीं
5	भिवानी	ओ.बी.एस.-1895752		नहीं

परिशिष्ट-2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (i); पृष्ठ 34)

कार्यात्मक लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का चयन

करदाताओं की संख्या	मामला संख्या	डी.सी.एस.टी. का नाम	वित्तीय वर्ष	जी.एस.टी.आई.एन.
1	1	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	06AAxxxxxxxB2ZZ
2	2	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	06AAxxxxxxxC1ZX
3	3	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	06AAxxxxxxxR1ZD
4	4	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	06AAxxxxxxxC1Z1
5	5	गुरुग्राम (दक्षिण)	2017-18	06AAxxxxxxxN1Z8
6	1	अंबाला	2018-19	06AAxxxxxxxC1ZB
7	2	अंबाला	2018-19	06AAxxxxxxxA1ZR
8	3	अंबाला	2018-19	06AAxxxxxxxB1ZA
9	4	अंबाला	2017-18	06AAxxxxxxxP1ZJ
10	5	अंबाला	2018-19	06AAxxxxxxxA1Z0
11	1	सोनीपत	2018-19	06AAxxxxxxxP1ZR
12	2	सोनीपत	2018-19	06AAxxxxxxxP1Z0
13	3	सोनीपत	2017-18	06AAxxxxxxxD1ZI
14	4	सोनीपत	2017-18	06BKxxxxxxxN1ZN
15	5	सोनीपत	2017-18	06AAxxxxxxxH1ZA
16	1	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	06AAxxxxxxxH1ZU
17	2	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	06ABxxxxxxxE1ZZ
18	3	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	06AAxxxxxxxR1ZU
19	4	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	06AAxxxxxxxN1ZW
20	5	फरीदाबाद (पूर्व)	2017-18	06AAxxxxxxxN1ZW
21	1	भिवानी	2018-19	06AAxxxxxxxM1ZB
22	2	भिवानी	2017-18	06EMxxxxxxxC1Z6
23	3	भिवानी	2018-19	06AZxxxxxxxK1ZV
24	4	भिवानी	2018-19	06AAxxxxxxxD2ZK
25	5	भिवानी	2018-19	06AAxxxxxxxG1ZI

परिशिष्ट-2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (क); पृष्ठ 34)

करयोग्य टर्नओवर के छिपाव के कारण कर का कम उद्ग्रहण

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	जीएसटीआर-9 की तालिका 4(ए+बी) के अनुसार वह करयोग्य आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान किया जाना था	जीएसटीआर-1 की तालिका 12 के अनुसार वह करयोग्य आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान किया गया था	अंतर	कर	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06AAxxxxxxxC1Z1	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	78,77,81,001	52,48,92,419	26,28,88,582	3,15,46,630	ओ.बी.एस.-1741334	करदाता किफायती सोसायटी से संबंधित निर्माण गतिविधियों के विकास में लगा हुआ है, जिसे एचएसएन कोड 72044900 और एसएसी कोड 00440334 के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिस पर 12% की जीएसटी दर लागू होती है। वर्तमान मामले में, जीएसटीआर-3बी में घोषित करयोग्य मूल्य में निर्माण सेवाओं के साथ-साथ भूमि घटक से संबंधित प्रतिफल (जो कुल परियोजना मूल्य का 1/3 हिस्सा है) भी शामिल है। इस पद्धति के परिणामस्वरूप कुल प्रतिफल पर 8% की प्रभावी जीएसटी दर लागू होती है, जिसकी गणना कर देयता को केवल निर्माण घटक (कुल मूल्य का 2/3 हिस्सा) पर 12% तक सीमित रखकर की गई है। करदाता ने यह सिद्ध किया है कि यह दृष्टिकोण भूमि और निर्माण सेवाओं से जुड़ी मिश्रित आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे, विशेष रूप से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 और संबंधित मूल्यांकन प्रावधानों के अनुरूप है। जीएसटीआर-3B में, करयोग्य मूल्य में निर्माण सेवाओं पर देय कर के साथ-साथ भूमि का प्रतिफल भी सम्मिलित है, जिसके कारण जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच विसंगतियां दिखाई दीं। करदाता ने विधिवत रूप से स्थापित किया है कि इस तरह का समावेशन जीएसटी कानूनों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने सहायक दस्तावेज जैसे कि बिक्री चालान, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) द्वारा आवंटित लाइसेंस संख्या आदि प्रदान नहीं किए थे, जो यह प्रमाणित करते हों कि करदाता किफायती आवास परियोजना में कार्यरत था।
				78,77,81,001	52,48,92,419	26,28,88,582	3,15,46,630			

परिशिष्ट-2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (ख); पृष्ठ 35)

प्राप्त अग्रिमों पर कर का अनुद्ग्रहण

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	2017-18 के जीएसटीआर-1 की तालिका 11(ए) में प्राप्त अग्रिम	2017-18 के जीएसटीआर-1 की तालिका 11(ए) में अग्रिम का समायोजन	2017-18 का असमायोजित अग्रिम (जीएसटीआर-1 पर आधारित)	बैलेंस शीट के अनुसार अग्रिम	जीएसटीआर-1 के अनुसार 2018-19 में प्राप्त अग्रिम	2018-19 के जीएसटीआर-9 के 4एफ में समायोजित	अतिरिक्त समायोजित अग्रिम/ वह अग्रिम जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया	18% की दर से कर का कम भुगतान	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	06AAxxxxxxxR1ZU	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	97,46,724	34,67,763	62,78,961		Nil	1,19,26,049	56,47,088	10,16,475	ओ.बी.एस.-1892424	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। करदाता को डीआरसी-01 जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
2	06EMxxxxxxxC1Z6	भिवानी	2017-18	0	0	0	33,06,221			33,06,221	5,95,119	ओ.बी.एस.-1895749	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
				97,46,724	**34,67,763**	**62,78,961**	**33,06,221**	**0**	**1,19,26,049**	**89,53,309**	**16,11,594**			

परिशिष्ट-2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (ग); पृष्ठ 36)

जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर/7जी में असमायोजित टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	असमायोजित टर्नओवर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	06AAxxxxxxxC1ZB	अंबाला	2018-19	15,44,45,149	ओ.बी.एस.-1899972	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि वर्ष 2018-19 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
2	06AAxxxxxxxB1ZA	अंबाला	2018-19	15,44,45,149	ओ.बी.एस.-1899973	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि वर्ष 2018-19 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
				₹ 30,88,90,298			

परिशिष्ट-2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (घ); पृष्ठ 37)

डी.आर.सी. 01 और डी.आर.सी. 05 के मध्य अंतर

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अभ्युक्ति	ब्याज			पेनल्टी		विलंब फीस		कुल राशि	ओ.बी.एस.	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
					आई.जी.एस.टी.	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी				
1	06AAxxxxxxxC1Z1	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	जीएसटीआर-3बी को देरी से फाइल करने पर ब्याज और विलंब फीस	3,257	799	5,19,615	0	0	36,850	36,850	5,97,371	ओ.बी.एस.-1741340	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि विवादित विसंगतियों पर स्पष्टीकरण मांगने हेतु करदाता को सीजीएसटी/ एचजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत विधिवत समन जारी किया गया है।	स्वीकृत
				जीएसटीआर-9 और 3बी में देयता के अंतर पर ब्याज	0	47,268	47,268	0	0	0	0	94,536	ओ.बी.एस.-1741340		
				जीएसटीआर-9सी को देरी से फाइल करने पर सामान्य पेनल्टी	0	0	0	25,000	25,000	0	0	50,000	ओ.बी.एस.-1741340		
					₹ 3,257	**₹ 48,067**	**₹ 5,66,883**	**₹ 25,000**	**₹ 25,000**	**₹ 36,850**	**₹ 36,850**	**₹ 7,41,907**			

परिशिष्ट-2.24

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (ङ); पृष्ठ 37)

ब्याज का कम उद्ग्रहण

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	दिनों में विलंब (रेंज)		योग	ब्याज	निर्धारण आदेश में प्रभारित ब्याज	अंतर	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
				न्यूनतम	अधिकतम							
		3		4	5	10=6+7+8+9	11			12		
1	06AAxxxxxxxC1ZX	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19		245	74,24,824	8,97,081		8,97,081	ओ.बी.एस.-1741328	विभाग ने बताया (जून 2025) कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
2	06BKxxxxxxxN1ZN	सोनीपत	2017-18		1,276	33,736	21,228	5,274	15,954	ओ.बी.एस.-1865272	विभाग के दिनांक 08.04.2025 के उत्तर के अनुसार अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। करदाता को दिनांक 08.04.2025 के डीआरसी-08 (संदर्भ संख्या ZD060425015624M) के माध्यम से सुधार जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
	06BKxxxxxxxN1ZN	सोनीपत	2017-18		1,276	1,33,71,495	84,14,151	21,22,222	62,91,929	ओ.बी.एस.-1865272		
	06BKxxxxxxxN1ZN	सोनीपत	2017-18		1,276	1,77,121	1,11,455	1,00,809	10,646	ओ.बी.एस.-1865272		
3	06AAxxxxxxxP1ZR	सोनीपत	2018-19		288	22,64,326	3,21,596		3,21,596	ओ.बी.एस.-1867439	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि डीआरसी-01 जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
	06AAxxxxxxxP1ZR	सोनीपत	2018-19		196	71,53,997	6,91,488		6,91,488	ओ.बी.एस.-1867439		
योग					**1,276**	**3,04,25,499**	**1,04,57,000**	**22,28,305**	**82,28,695**			

परिशिष्ट-2.25

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (च); पृष्ठ 40)

अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	3बी आई.टी.सी. दावा	2ए में आई.टी.सी.	2ए में उपकर	फाइनल 2ए (2ए-उपकर)	अंतर 3बी-2ए	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	06AAxxxxxxxR1ZU	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	10,92,93,169	10,31,91,798	1,85,593	10,30,06,205	62,86,964	ओ.बी.एस.-1892424	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। करदाता को डीआरसी-01 जारी कर दिया गया है। अंतिम परिणाम से यथासमय अवगत करा दिया जाएगा।	स्वीकृत

परिशिष्ट-2.26

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.2; पृष्ठ 40)

रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की गई

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	सूचना प्रदान की गई	ओ.बी.एस.		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	गुरुग्राम (दक्षिण)	हां	ओ.बी.एस.-1745433	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	223	316	78	57
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	893	743	295	348
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0
2	फरीदाबाद (पूर्व)	हां	ओ.बी.एस.-1892523	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	153	62	29	74
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0
3	भिवानी	हां	ओ.बी.एस.-1895752	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	426	518	161	295
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0
4	सोनीपत	हां	ओ.बी.एस.-1865366	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	338	139	48	62
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	641	337	191	260
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0
5	अंबाला	हां, क्षेत्रीय दौरे के पूरा होने के बाद ज्ञापन संख्या 102 दिनांक 04.04.2025 के माध्यम से। इसलिए, ओ.बी.एस. अलग से जारी नहीं किया गया। अगले कॉलम में दिया गया ओ.बी.एस. विस्तृत जानकारी/ सूची प्रस्तुत न करने के संबंध में है।	ओ.बी.एस.-1899974	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	272	369	25	17
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	543	657	99	103
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0

परिशिष्ट-2.27

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.3; पृष्ठ 41)

रिफंड दावों के प्रसंस्करण और भुगतान में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	सूचना प्रदान की गई	ओ.बी.एस. संख्या
1	गुरुग्राम (दक्षिण)	नहीं	ओ.बी.एस.-1758548
2	सोनीपत	नहीं	ओ.बी.एस.-1865363
3	अंबाला	नहीं	ओ.बी.एस.-1899974
4	फरीदाबाद (पूर्व)	नहीं	ओ.बी.एस.-1892523
5	भिवानी	नहीं	ओ.बी.एस.-1895752

परिशिष्ट-2.28

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.4; पृष्ठ 42)

अभिलेखों का रखरखाव

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	ओ.बी.एस. संख्या
1	2	3
1	गुरुग्राम (दक्षिण)	ओ.बी.एस.-1822702
2	सोनीपत	ओ.बी.एस.-1870698
3	अंबाला	ओ.बी.एस.-1899974
4	फरीदाबाद (पूर्व)	ओ.बी.एस.-1892523
5	भिवानी	ओ.बी.एस.-1895752

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/haryana/hi